खण्ड-222, अंक-7
सोमवार, 27 चैत्र, शक संवत् 1883
(17 अप्रैल, 1961 ई0)

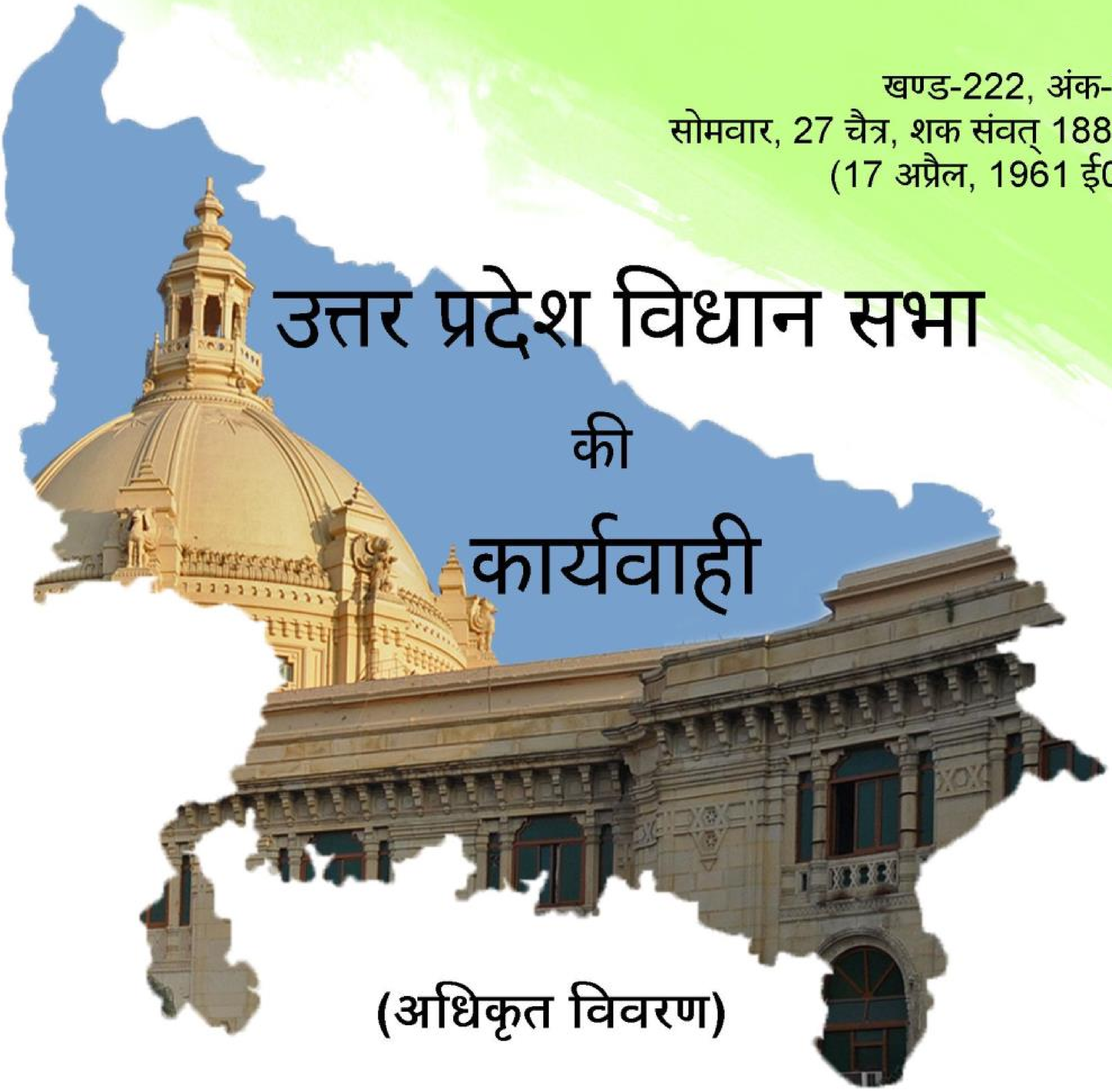

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 222 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३२९

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पान्डेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण, गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमल कुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण अग्रवाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोड़ा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश प्रसाद पान्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीब दास, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपी कृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरी शंकर राय, श्री

घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीश नारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीका राम, श्री
टीका राम पुजारी, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तारा चन्द माहेश्वरी, श्री
तारा देवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वर दीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभु दयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालक राम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बुद्धी सिंह, श्री
बुलाकी राम, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री

बेनीबाई, श्रीमती
बैजू राम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगोतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पान्डेय, श्री
मदनगोपाल, वैद्य, श्री
मदन पान्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखान सिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटविहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरली धर, श्री
मुरली धर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद (हंस), श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूल चन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदा देवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
राम किंकर, श्री
राम कुमार वैद्य, श्री
राम कृष्ण जैसवार, श्री
राम कृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदुलारे, मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम बली, श्री
राम मूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य, श्री
रामसुन्दर पान्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद श्री
रामस्वरूप यादव श्री

राम सूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह श्री
वजरंग बिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
वीर सेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रज बिहारी मेहरोत्रा , श्री
शंकर लाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भु दयाल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिव मूर्ति, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पान्डेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्री नाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खन लाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र सिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त कान्डपाल, श्री
हरिहर बख्श सिंह, श्री
हरीश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरी सिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
होरी लाल यादव, श्री

नोट—श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

वाराणसी, सेंट्रल जेल में कैदी की हत्या

**१—श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर) तथा श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला वाराणसी सेन्ट्रल जेल में दिनांक ४-४-६१ को ३ बजे रात में एक कैदी द्वारा एक दूसरे कैदी की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

आबकारी मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां, पौने तीन और तीन के बीच ऐसी घटना हुई। जेल मैनुअल के पैरा ६५९ के अन्तर्गत जिलाधीश वाराणसी व पुलिस अधिकारियों को तुरन्त सूचना दी गई और मामले की जांच हो रही है।

**२—श्री रघुवीरराम तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कैदी की हत्या का क्या कारण था और क्या यह दोनों कैदी एक ही बैरक में थे ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, दोनों कैदी एक ही बैरक में थे। परन्तु हत्या के कारणों के विषय में जब तक पूर्ण जांच न हो जाय निश्चित रुप से कुछ कहना संभव नहीं है।

श्री रघुवीरराम—क्या मंत्री जी बताएंगे कि इतने महत्वपूर्ण केस की अब तक जांच न होने का क्या खास कारण है ?

डाक्टर सीताराम—अभी जैसा उत्तर में बतलाया गया, जेल मैनुअल के पैरा ६५९ के अनुसार पुलिस जांच कर रही है और पुलिस की जांच करने में देरी होती ही है क्योंकि हत्या का केस है।

श्री रघुवीरराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेल अधिकारी तथा कुछ और कर्मचारियों की साजिश से इस व्यक्ति का कत्ल कराया गया है ?

श्री अध्यक्ष—जब उसकी जांच हो रही है तो वह कैसे कह सकते हैं ?

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि जिस कैदी ने यह हत्या की है वह पहले पागल था और पागलखाने में जांच के लिये रखा गया था ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताएगी कि किस हथियार से कत्ल हुआ, क्या कैदियों को बैरक में बन्द करने से पहले तलाशी नहीं ली गई थी ?

डाक्टर सीताराम—किसी हथियार से नहीं कत्ल किया गया है बल्कि चबूतरा नं० ७ से ईंट निकाल कर ईंट से सिर पर और छाती पर मारा है, उससे हत्या हुई है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—जिस कैदी ने हत्या की है, उसके मामले में तो पुलिस जांच कर रही है लेकिन जो जेल के अधिकारी इस हत्या के दोषी पाये गये, क्योंकि उन्होंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, उनके खिलाफ अब तक जल विभाग या सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—जेल मैनुअल के पैरा ६५९ के अन्तर्गत ए० डी० एम० वाराणसी ने भी इसकी जांच कर ली है और उनकी रिपोर्ट के अनुसार मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जेल अधिकारियों का जरा भी दोष नहीं है ।

लखनऊ में पानी की कमी का खतरा

**३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार का ध्यान गत वर्षों में लखनऊ में गोमती का बहाव गऊ घाट पम्पिंग स्टेशन से लगभग पांच सौ फीट दूर हो जाने के परिणाम स्वरूप पानी के उस अकाल की शिकायत की ओर आकर्षित हुआ है जिसका कि इस गर्मियों में खतरा है ? यदि हां, तो वह इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)—जी हां । नगर में सुचारु रूप से पानी की व्यवस्था बनाये रखने हेतु लखनऊ नगर महापालिका गऊघाट के पास ४० फीट की एक नाली (Channel) बनाकर गोमती नदी का पानी पम्पिंग स्टेशन को पहुंचा रही है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि नाली में बार-बार रेत भर जाने से पानी जाने में रुकावट पड़ती है और शहर के कुछ हिस्से में पानी की कमी हो गई है, इसलिये कोई स्थायी प्रबन्ध करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—नाली में [जो रेत भर जाता है उसकी सफाई करने का प्रबन्ध है और पेपर मिल की तरफ एक बांध था जिस बांध से पानी गऊघाट के पम्पिंग स्टेशन पर मुड़कर आता रहता था वह बांध टूट गया था । अब उस बांध की भी मरम्मत कर दी गई है और पानी स्टेशन पर आता रहता है ।

पर्वतीय क्षेत्रों की पेय जल योजनाओं में कटौती

**४—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि पर्वतीय जिलों की पेयजल योजनाओं में जनता द्वारा दिये जाने वाले श्रमदान का हिस्सा योजना के २५ प्रतिशत से घटा कर १० प्रतिशत कर दिया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं । परन्तु कुछ योजनाओं में इस अंशदान को २५ प्रतिशत से घटाकर कम कर दिया गया है। इस संबंध में ऐसी प्रत्येक योजना के बारे में पृथक से विचार हुआ है और परिस्थितियों के अनुसार छूट दी गई है । अतः छूट की मात्रा प्रत्येक योजना की अलग-अलग है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन-कौन योजनायें हैं जिसमें श्रमदान की मात्रा घटायी गई और कितनी ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन् एक सूची है—

श्री अध्यक्ष—बहुत बड़ी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, एक पेज तो है ही ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इतनी लम्बी सूची पढ़ने . . . . .

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—अल्मोड़े की पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं फिर तो यह होगा कि नैनीताल की भी आपको पढ़नी पड़ेगी । आप उनको लिस्ट भेज दीजियेगा । परसेंटेज आपने जो कम किया है उसमें दिलचस्पी है और उसके खिलाफ वह कहेंगे नहीं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ योजनाओं के बारे में मेरा पत्र क्या उनके विभाग को मिला था ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाश प्रकाश—विशेष रूप से मुझे इस वक्त पता नहीं है कि माननीय सदस्य का कोई पत्र था। किन्तु चूंकि पत्र आये होंगे, और प्रतिवेदन आये होंगे इसलिये इस बात पर विचार हुआ कि २५ फीसदी जो अंशदान रखा गया है वह घटाया जाय और प्रति योजना के अनुसार घटाया गया है।

श्री प्रताप सिंह—क्या यह सही है कि जो २५ फीसदी के घटाने का प्रस्ताव था वह कुमाऊं की प्रत्येक अंतरिम परिषद ने मंत्री जी के पास भेजा ? यदि हां, तो जो ग्रामीण ड्रिन्किंग स्कीम्स हैं, उनमें कितनों में २५ फीसदी से कम किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, आप मुझे आज्ञा दे दें मैं सूची पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—पढ़ दीजिये।

श्री कैलाश प्रकाश—गढ़वाल में बूंग वाटर सप्लाई २३ फीसदी। पैलांग धारसोला वाटर सप्लाई २१ प्रतिशत। किन्डई वाटर सप्लाई २४ प्रतिशत। टेहरी गढ़वाल में जे० एच० स्कूल, धाधी वाटर सप्लाई १८ प्रतिशत। पडयार गांव वाटर सप्लाई, १५ प्रतिशत। रेसूताल वाटर सप्लाई २० प्रतिशत। पोखारी भदुरा वाटर सप्लाई, २३ प्रतिशत। बेदवाल गांव वाटर सप्लाई १४·६ प्रतिशत। डोवा वाटर सप्लाई स्कीम, १८ प्रतिशत। नैनीताल और अल्मोड़ा बक्सवार वाटर सप्लाई स्कीम, १३ प्रतिशत। बदियार बिष्ट वाटर सप्लाई १२ प्रतिशत। शैल वाटर सप्लाई, १६ प्रतिशत। कांडा वाटर सप्लाई १२ प्रतिशत। चामी वाटर सप्लाई २२·५ प्रतिशत। नाया संगरौली १० प्रतिशत। गंगानाथ विद्यापीठ, १४ प्रतिशत।

गढ़वाल में एक स्कीम और है जो हल्दूखाता सर्किल गढ़वाल भावर गवर्नमेन्ट स्टेट में १७ गांवों में वाटर सप्लाई की स्कीम है जिसमें ७·६९ प्रतिशत है।

श्री प्रताप सिंह—मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि अलग-अलग स्कीम्स में वैरिएशन करने का क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश—मंशा तो यही है कि जहां यह स्कीम चले वहां के लोग २५ फीसदी अंशदान दें। किन्तु परिस्थितियां भिन्न हैं। बहुत सी जगह के लोग अंशदान दे सकते हैं, कुछ जगह के नहीं दे सकते हैं और कुछ जगह के लोग किसी मात्रा में दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है। इन स्कीमों में जो श्रम का काम है वह भी भिन्न-भिन्न होता है और यह आशा की जाती है कि गांव वाले इस पानी की सप्लाई के लिये श्रम दे सकते हैं, यदि पैसा न दे सकते हों। इन चीजों का खयाल करते हुए जिलाधीश से रिपोर्ट मंगा कर तथा जो स्कीम को चलाने वाले हैं उनसे रिपोर्ट मंगा कर यह चीज तय की गयी।

श्री अवधेशचन्द्र सिंह—(जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पेयजल की योजना के रख-रखाव की व्यवस्था कौन करता है ?

श्री कैलाश प्रकाश—रख-रखाव की व्यवस्था अधिकांश में स्थानीय निकायों द्वारा होती है। इसके अतिरिक्त जहां जैसा प्रबन्ध उचित होता है कर दिया जाता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि २५ परसेंट से कम करने की बात थी वह इस लिये थी कि पेयजल योजनाओं का जितना रुपया था वह लैप्स हुआ और सब अन्तरिम जिला परिषदों ने यह प्रस्ताव किया कि २५ परसेंट गांव वाले नहीं दे सकते हैं ? इसलिये सरकार ने विचार करके जो पेयजल योजनायें हैं उनमें १० परसेंट कर दिया ताकि वे स्कीमें लागू हो सकें ?

श्री कैलाश प्रकाश—मैं कह चुका हूं कि सरकार की यह मंशा है कि पानी के पीने का इंतजाम हो और साथ ही यह भी मंशा है कि वहां के लोग जो अपना श्रमदान तथा अंशदान दे सकें, वह दें। इन दोनों चीजों को देख कर इस बात को तै किया जाता है कि कितनी छूट उनको इसमें दी जाय। यह बात अपनी जगह कुछ हद तक सही है कि २५ प्रतिशत अंशदान वहां के ग्रामीण लोगों के न दे सकने के कारण वे योजनायें नहीं चल पाईं और चूंकि वे नहीं चल पाई इसीलिये इस बात की आवश्यकता पड़ी कि इस पर विचार किया जाय और उसको कम किया जाय।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले में पंचायतों के चुनाव में नामजदगी के पर्चों का खारिज किया जाना

*१—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचायतों के वर्तमान चुनाव में गोरखपुर जिले की महाराजगंज, फरेंदा, सदर तथा बांस गांव तहसीलों में से प्रत्येक में नामजदगी के पर्चे गलत ढंग से खारिज किये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उनके निराकरण के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश—पंचायतों के वर्तमान चुनाव में गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में केवल १५, फरेन्दा तहसील में ९, सदर तहसील में १८ तथा बांसगांव तहसील में ५ नामजदगी के पर्चे गलत ढंग से खारिज किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुईं। इनके निराकरण के लिये अतिरिक्त परगना जिलाधीश सदर तथा महाराजगंज द्वारा जांच कराई गई तथा जांच के परिणाम स्वरूप महाराजगंज तहसील में कुल ४, फरेंदा तहसील में २, सदर तहसील में २ तथा बांसगांव तहसील में ३ नामजदगी के पर्चे बहाल किये गये। शेष के संबंध में प्रार्थना-पत्र तथ्य-हीन होने अथवा निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा होने के कारण खारिज कर दिये गये।

*२—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि राज्य में वर्तमान पंचायत चुनावों में नामजदगी के गलत ढंग से खारिज किये गये पर्चों के कारण कितने अधिकारी दंडित किये गये ?

श्री कैलाश प्रकाश—राज्य में वर्तमान पंचायत चुनावों में नामजदगी के गलत ढंग से खारिज किये गये पर्चों के कारण अब तक केवल एक सरकारी कर्मचारी जिला वाराणसी में दंडित किया गया।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो शिकायतें महाराजगंज से प्राप्त हुई थीं उनमें उस तहसील की न्याय पंचायत के सेक्रेटरी के द्वारा गलत ढंग से पर्चे खारिज कराये जाने के सम्बन्ध में भी कोई शिकायत थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—इतने ब्यौरे में कि वहां के सेक्रेटरी द्वारा कोई गलती की गई थी इसमें तो.....

श्री अध्यक्ष—सूचना की जरूरत है आपको ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, सूचना की जरूरत है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या कुछ ऐसे भी मामले इसमें हैं जिनके परचे टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर तो बहाल नहीं किये जा सके लेकिन यह पाया गया कि कर्मचारियों की गलती से या गड़बड़ी करने की वजह से परचे खारिज हुये लेकिन टेक्निकली अब वे परचे मंजूर होने की हैसियत में नहीं हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह तो दो भिन्न बातें हैं। एक तो किसी सरकारी कर्मचारी ने कुछ गड़बड़ी की है तो वह दोषी है और उसके सम्बन्ध में प्रशासनिक दृष्टि से इन्क्वायरी होता है और दूसरे १२-बी की जो धारा है जिसमें निर्वाचन निदेशक कोई कार्यवाही कर सकता है वह सीमित है कि यदि कोई अनियमित काम हो गया है तो उसमें वह कार्यवाही कर सकता है। जिस हैसियत से जो शिकायतें आयीं उनको उस दृष्टि से देखा गया और देखने के पश्चात् कार्यवाही की गयी जैसाकि मैंने उत्तर में बताया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने आदमियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें आयी थीं या कुल कितनी शिकायतें इस सम्बन्ध में आयी थीं और अभी कितनी विचाराधीन हैं या सब पर फैसला हो गया?

श्री कैलाश प्रकाश—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि अन्यत्र एक प्रश्न में मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जहां सभापति के लिये केवल दो पर्चे थे और एक के गलत तरीके से खारिज हो जाने के बाद दूसरा आदमी बाकायदा एलेक्टेड डिक्लेयर हो गया क्योंकि कानूनन तो यह मजबूरी हो गयी महकमें को कि बिला एलेक्शन पेटीशन के वह एलेक्शन करवा नहीं सकता, तो ऐसे कितने मामले हैं?

श्री अध्यक्ष—जो सवाल है वह मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं—

"क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचायतों के वर्तमान चुनाव में गोरखपुर जिले में महराजगंज, फरेंदा, सदर तथा बांस गांव तहसीलों में से प्रत्येक में नामजदगी के पर्चे गलत ढंग से खारिज किये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उनके निराकरण के लिये क्या कार्यवाही की गयी?"

उन्होंने किसी में १५ बतायीं और किसी में १० बतायीं। अब यहां बैठ कर उसमें से सार्ट करें आपका उत्तर देने के लिये, इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, आपने भी नहीं समझा मेरे सवाल को। मेरा सवाल यह है कि पंचायत के चुनाव में अगर दो ही परचे थे और एक गलत तरीके से खारिज हो गया तो बाकी एक आदमी डिक्लेयर एलेक्टेड हो गया। जब वह एलेक्ट हुआ मान लिया जायगा तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, १२-बी में यह डिफेक्ट था, इस वजह से लोकल अधिकारी कुछ नहीं कर सके हैं।

श्री अध्यक्ष—उसमें उनका उत्तर यह है कि "शेष के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र तथ्यहीन होने अथवा निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा होने के कारण खारिज कर दिए गए।"

श्री गौरी शंकर राय—मैं स्पष्ट किये देता हूं।

श्री अध्यक्ष—कहिए।

श्री गौरी शंकर राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो निर्विरोध निर्वाचन हो गया है और गलत तरीके से पर्चे खारिज हो गये थे तो उनके लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री कैलाश प्रकाश—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

कोआपरेटिव डेरी फार्म, भैंसाकुन्ड, लखनऊ की इमारत तथा मशीनें

*१—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कोआपरेटिव डेरी फार्म, जो कि गोमती नदी के किनारे भैंसाकुंड पर बन रहा है, उसका ठेका कब, किसको तथा कितने रुपयों में, कितना भाग बनाने के लिये दिया गया था ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मंगला प्रसाद)—अशोक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को कथित डेरी के मुख्य भवन और स्टोर रूप के बनाने का ठेका सितम्बर, १९५८ में और रेफ्रीजेरेशन रूम, ब्वाइलर हाउस तथा वर्कशाप बनाने का ठेका ९ अप्रैल, १९५९ को दिया गया। इन निर्माण कार्यों का ठेका किसी एक निश्चित धनराशि पर नहीं दिया गया है बल्कि प्रचलित प्रथा के अनुसार हर निर्माण कार्य का ठेका अलग-अलग निश्चित दरों पर दिया गया है। इन सब इमारतों के बनवाने का अनुमानित व्यय लगभग सात लाख रुपया है।

*२—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कुछ मशीनें भी विदेशों से आ गई हैं ? यदि हां, तो कब और कितने मूल्य की मशीनें आ चुकी है तथा कितने मूल्य की और आनी है ?

श्री मंगला प्रसाद—जी हां, विदेशों से सन् १९५८ से १७ मार्च, १९६१ तक ५,१२,४२५.२५ नये पैसे के मूल्य की मशीने आ चुकी हैं। इसके अतिरिक्त लगभग साढ़े दस लाख रुपयों के लागत की मशीने और आनी हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भवन बनाने का ठेका तथा उसकी अवधि कब तक बनाने के लिये दी गई थी और समय के अन्दर न बनने पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मंगला प्रसाद—आशा तो थी कि १९६० तक तैयार हो जायगा लेकिन बहुत सी दिक्कतों के आने की वजह से देरी हुई। यदि आप चाहें तो मैं उन दिक्कतों को भी बता दूं। यह जो प्लान बना इसको गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक्सपर्ट्स के पास भेजा गया, उसमें देरी हुई। साथ-साथ इसके लिये लोहा तथा अन्य सामान के मिलने में देरी हुई। फिर प्लेन के आने से देरी हुई। इन तीन कारणों से देरी होती गई। इसलिये १९६० में तैयार नहीं हो सका।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जब यह भवन १९६० से पहले बनने वाला नहीं था तो मशीनें १९५८ में क्यों मंगा ली गईं जिससे सूद पड़ने लगा ?

श्री मंगला प्रसाद—यह उन्होंने अपने धन से मंगाईं। इसमें बात यह है कि फारेन एक्सचेंज आसानी से नहीं मिलता है। जब जितना प्राप्त हो जाता है उतना मंगा लेते हैं, तब कहीं जाकर काम चलता है। ऐसी कोई इसकी दूकान तो है नहीं कि जाकर खरीद लें, इसलिये काफी पहले से कोशिश करनी पड़ती है तब कहीं जाकर खरीद पाते हैं। अभी साढ़े दस लाख की और मशीनें खरीदनी हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत डेरी फार्म का खर्चा हुआ है। उसके संबंध में एक्सपर्ट्स आये थे और जहां यह भवन बना है वहां के लिये उन्होंने अस्वीकृत किया था और कहा था कि यहां नहीं बनना चाहिये ?

श्री मंगला प्रसाद—इसके लिए वाकफियत तो नहीं यह मालूम है लेकिन है कि कोलम्बो प्लान से साढ़े १० लाख पये की सहायता इस काम में लगाने के लिए मिल रही है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---देर तो कई मामलों में हुई है इस योजना को चलाने में, वक्त पर कितना काम हुआ ?

श्री अध्यक्ष---वक्त पर आपको उत्तर मिल गया ।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि काम कब तक पूरा हो जायगा और डेरी कब तक चालू हो जायगी ?

श्री मंगला प्रसाद---मेरा खयाल है कि कांस्ट्रक्शन का काम करीब-करीब खत्म हो गया है । जल्दी ही काम शुरू हो जायगा । निश्चित तारीख बताना मुश्किल है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि डेरी बनाने के लिए जो स्थान चुना गया है इसके सम्बन्ध में या दूसरे स्थान के सम्बन्ध में सरकार के पास सुझाव आये थे और यही स्थान चुनने का क्या कारण है ?

श्री मंगला प्रसाद---कारण बताने के लिए नोटिस की जरूरत है । अच्छी जगह सस्ते में मिल गयी, इसलिए उन्होंने बना लिया ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पांच लाख के करीब की मशीनरी १९५८ में खरीद ली गयी थी वह १९६० के सैलाब में पानी में डूब गयी और उसमें ज्यादातर मशीनरी खराब हो गयी ?

श्री मंगला प्रसाद---यह सही है कि पानी में डूब गयी थी लेकिन वह खराब नहीं हुई । वह नयी चीज थी । ९-१० हजार रुपया लगा कर, उसको साफ सुथरा करके, वैसी ही नयी फिर बना दी गयी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उनके द्वारा कोई समय उद्घाटन करने का नियत हो चुका है? यदि हां, तो वह उद्घाटन किसके कर कमलों द्वारा होगा ?

श्री मंगला प्रसाद---मुझे वाकफियत नहीं है कि कब होगा और कौन करेगा ।

कर्वी तहसील में कूप निर्माण कार्य में शिथिलता

*३---**श्री जगपति सिंह** (जिला बांदा)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वायत्त शासन (इंजीनियरिंग) विभाग ने बांदा जिले की कर्वी तहसील के किन-किन ग्रामों में कूप निर्माण कराये हैं और उन पर कितना धन व्यय किया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री जगपति सिंह---क्या मंत्री जी कृपा कर ऐसा आदेश देंगे कि जिन गांवों के सब कुएं गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं, और जहां दो वर्ष से कूप निर्माण-कार्य मंजूरशुदा हैं, वहां जल्दी काम लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां, इसमें कोई संदेह नहीं कि वहां काम लगाने की आवश्यकता है । किन्तु कुछ मौलिक कठिनाइयां हैं । उस क्षेत्र में ठेकेदार मिलते नहीं हैं । विभाग की तरफ से जो मजदूर लगाये जाते हैं, उनको उतनी मजदूरी निर्धारित नहीं है । इसलिए पहले इस बात की कोशिश की गयी कि कहीं ठेकेदार मिलें और जब ठेकेदार नहीं मिले तो इस बात की कोशिश की गयी कि विभाग के द्वारा काम हो । इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं कि वहां शीघ्र ही काम चले ।

श्री जगपति सिंह---क्या माननीय मंत्री जी पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये काम करवाने की कृपा करेंगे, क्योंकि एल० एस० जी० का काम लापरवाही से होता है, दो वर्ष से काम पड़ा है और उनको पानी का महान् कष्ट है ?

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, यह बात तो सही नहीं है कि एल० एस० जी० द्वारा बहुत देर होती है; किन्तु जैसा कि मैंने निवेदन किया उस एरिया को विशेष कठिनाइयां हैं। पत्थर तोड़ने की कठिनाई है, चट्टानों का तोड़ना, ठेकेदारों का न मिलना, मजदूरी का निर्धारित होना, ये सब कठिनाइयां हैं। वित्त विभाग से परामर्श करके उनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है।

श्री जगपति सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सब जगह पत्थर नहीं हैं, जहां पर पत्थर नहीं हैं वहां पीली मिट्टी से कुएं पूर जाते हैं, जैसे महाराजपुर और असोह, वहां मिट्टी निकालने का काम दो साल हो गये अब तक नहीं किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश--मैं भी यह चाहता हूं कि वहां जल्दी काम हो और माननीय सदस्य यदि कोई सुझाव और सहयोग देंगे तो उसका लाभ उठाना चाहूंगा।

श्री रघुवीर राम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने यह कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो वह सूचना एकत्रित हो जाने के बाद सदन की मेज पर उसकी कापी रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--वह तो प्रश्न कार्यसूची में फिर रखा जायगा।

देवरिया जिले में सहकारी समितियों के सेक्रेटरी

*४--**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने देवरिया जनपद की सहकारी समितियों में सरकारी कर्मचारियों (सेक्रेटरियों) के स्थान पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किये हुये सेक्रेटरियों को रखने की कोई व्यवस्था की है ?

श्री मंगला प्रसाद--जी नहीं।

गोंडा जिले में सहकारी भट्ठे

*५--**श्री दशरथ प्रसाद** (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में इस समय कितने सहकारी भट्टे हैं, उनमें से कितने भट्ठे पिछले वर्ष घाटे में थे तथा कितने नफे में ? जो भट्ठे घाटे में हैं उनके घाटे में होने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--सूचना एकत्र की जा रही है।

बाराबंकी जिले में साधन सहकारी समिति के एकाउन्टेन्टों को वेतन न मिलना

*६--**श्री भगौती प्रसाद वर्मा** (जिला बाराबंकी)--क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अधिकतर ब्लाकों में साधन सहकारी समिति के एकाउन्टेन्टों का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मंगला प्रसाद--जी हां, मार्च, १९६० से।

श्री भगौतीप्रसाद वर्मा--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इनको वेतन न दिये जाने का कारण क्या है और वेतन के अभाव में उनका और उनके आश्रितों का काम कैसे चल रहा है ?

श्री मंगलाप्रसाद--कायदा यह है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी सबसिडी इनको चलाने के लिए देती है और वह तब देती है जब उसके पास उससे पहले का उनका सर्टिफिकेट आफ यूटिलाइजेशन आ जाता है। जहां से जल्दी आ जाता है वहां जल्दी दे देती है और जहां से जल्दी नहीं आता वहां जल्दी नहीं मिलता। यहां से अनुदान का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट गालिबन

देर में आया जिसकी वजह से इनको सबसिडी नही दी गई और जब उनके यहां का आ गया तो तारीख २१-३-६१ को बैंक में रुपया जमा कर दिया गया है हर सोसाइटी के नाम से जिसको जिसको कि रुपया देना था और उसके नाम से जब जमा हो जाता है उसके खाते में तो उनको पता चल जाता है । होता अक्सर यह है कि सोसाइटी के लोग अपने फंड में से या बैंक से लेकर रुपया दे देते हैं और फिर सरकार से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के बाद जब रुपया मिलता है तब उनको दे दिया करते हैं । इस तरह से दोनों के मिल जुल कर काम करने से काम चल जाता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि इस प्रकार आवर्त्तक अनुदान न मिलने की वजह से जो उनको कठिनाई होती है उसके लिए वह कोई ऐसा तरीका सोच रहे हैं कि जिससे उनको समय पर वेतन मिल जाया करे ?

श्री मंगला प्रसाद—जरूर उसके ऊपर विचार करेंगे । अगर कोई तरीका ऐसा निकल आये जल्दी देने का तो अच्छा ही होगा ।

जिला पंचायत कार्यालय, आजमगढ़ में विचाराधीन अपीलें

*७—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ६६, दिनांक २० फरवरी, १९६१ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में १९५८-५९ व १९५९-६० में कितने पंचायत निरीक्षकों, लिपिकों और मंत्रियों की अपीलें जिला कार्यालय में आयीं और कितनी अपीलों का निर्णय कब-कब अधिकारियों द्वारा हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश—वांछित सूचना संलग्न तालिका १ और २ में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६३२ पर)

*८—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त समय की कितनी-कितनी और किन-किन कर्मचारियों की अपीलें संचालक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास प्रेषित (forwarded) की गईं और वे जिला पंचायत कार्यालय में आने के कितने-कितने दिनों बाद प्रदेशीय कार्यालय में भेजी गईं ?

श्री कैलाश प्रकाश—वांछित सूचना तालिका ३ में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६३२ पर)

श्री मुक्तिनाथ राय—अध्यक्ष महोदय, तालिका ३ देखने से मालूम पड़ता है कि पंचायत कर्मचारियों के प्रतिवेदन, प्रार्थना-पत्र एवं अपीलें आजमगढ़ जिला पंचायत कार्यालय में काफी दिन तक रुकी पड़ी रहती हैं । मिसाल के लिये छोटे लाल पंचायत मंत्री की अपील ६-९-५८ को जिला कार्यालय में आयी और २ वर्ष बाद में यह अग्रसारित की गई । तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की कार्यवाही न हो, इस प्रकार की अनियमित कार्यवाहियां न की जायं, और ऐसी सुस्ती न की जाय, इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—निस्सन्देह इसके बारे में अत्यधिक देर लगी है । इसकी जांच-पड़ताल हो रही है और जांच के पश्चात् दोषी के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कारण क्या है कि दो, दो वर्ष तक अपीलें कार्यालय में पड़ी रहीं और जिला पंचायत अधिकारी ने कार्यवाही नहीं की ?

श्री कैलाश प्रकाश—जांच होने के पश्चात् ही कारण का पता चलेगा ।

*९-१२—श्री मदन पांडेय—[२४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

विभिन्न जिलों में बेकार सहकारी नलकूप

*१३—श्री देवनारायण भारतीय—प्रदेश में बेकार पड़े सहकारी नलकूपों के संबंध में दिनांक २० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर के क्रम में क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शाहजहांपुर जिले में जो १४ सहकारी नलकूप ,अब से प्रायः आठ वर्ष पहले बनाये गये उनको आज तक चलाये जाने के लिये कभी भी कोई प्रयत्न किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंगला प्रसाद—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री देवनारायण भारतीय—मान्यवर, मुझे आपसे यह प्रार्थना करनी है कि यह उत्तर दूसरे प्रश्न के उत्तर के संबंध में दिया गया है । सरकार के पास सूचना पहले से भी और जो कमी थी वह सरकार इस बीच में एकत्रित कर सकती थी । लेकिन आज यह उत्तर दिया गया है । मेरी प्रार्थना यह है कि इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें और जब सूचना आ जाय तो उसका उत्तर वह दे दें ।

श्री अध्यक्ष—यह तो होगा ही । इस उत्तर का मतलब यह है कि जब सूचना आयेगी तो आपको दे दी जायगी । मैं तो सिर्फ जल्दी करने के लिये यह कर देता हूं कि १५ दिन बाद प्रश्न रख दिया जाय और फिर रख दिया जाय इसलिये कि कुछ न कुछ उत्तर तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो दो, तीन महीने तक कोई उत्तर नहीं मिलेगा । इसलिये यह रख देता हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय—मेरा निवेदन है कि उत्तर यहां देने पर हमको पूरक प्रश्न करने का अवसर मिल जायगा ।

श्री अध्यक्ष—उत्तर तो आपको सदन में मिलेगा, लेकिन हम बार-बार प्रश्न इसलिये रख देते हैं कि उत्तर जल्दी आ जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कारण क्या है कि इस प्रश्न का उत्तर देने में इतना विलम्ब किया जा रहा है ?

श्री मंगला प्रसाद—कारण तो बहुत स्पष्ट नहीं मालूम होता, लेकिन वहां पर सूचना इकट्ठा करने का सवाल पैदा होता है, तो उनके यहां से यह इकट्ठा होकर नहीं आयी । इसके लिये हमने कोशिश की और अपने विभाग से कहा भी कि ऐसे कामों में जल्दी करनी चाहिये । आइन्दा शायद इस तरह की बात नहीं होगी ।

[१७ अप्रैल, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

वाटर वर्क्स इंस्पेक्टर, लखनऊ नगर पालिका के विरुद्ध शिकायत

*१—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार के पास लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के वाटर-वर्क्स इंसपेक्टर गनेशगंज, हजरतगंज तथा हुसेनगंज वार्ड, के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए हाल ही में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा बतायेगी कि वे शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं ।

श्री मदन पांडेय—मैंने प्रश्न में "हाल ही में" शब्द का प्रयोग किया था । यदि मंत्री जी को हाल ही में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई तो क्या इसके थोड़ा आगे पीछे कोई इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जून ४, १९५९ को प्राप्त हुई है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस सूचना में क्या था ? किस प्रकार के आरोप थे ?

श्री अध्यक्ष---यह तो १९५९ की बात आप पूछ रहे हैं।

श्री मदन पांडेय---उनके पास है।

श्री अध्यक्ष---अगर माननीय मंत्री के पास सूचना हो तो बतलायें।

श्री कैलाश प्रकाश---थोड़ी सी सूचना यह है कि जो चीफ पाइप लाइन के इंसपेक्टर थे उनके खिलाफ शिकायत आयी थी कि उन्होंने पानी के नल बिना नोटिस दिये हुए काट दिये। उसकी जांच हुई और जांच में यह पाया गया कि ३० मई, १९५९ को जलकल के अधिकारियों ने २८ नल काट दिये थे क्योंकि जो नल वहां थे उनको खुला छोड़ दिया गया था और पानी बर्बाद होता था।

श्री मदन पांडेय---क्या उन पर यह भी आरोप था कि जिन लोगों से कुछ वसूल नहीं होता था उन्हीं के नल काटे गये थे ?

श्री कैलाश प्रकाश---बहुत ब्योरे की सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*२-३---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---[२४ अप्रैल, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

झांसी जिले में पंचायत इंस्पेक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

*४---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में कितने पंचायत इंसपेक्टर अथवा ए० डी० ओ० पंचायत हैं जो पांच वर्षों से अधिक दिनों से उसी जिले में हैं, वे कब से तथा किस-किस स्थान पर हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---केवल तीन पंचायत निरीक्षक ऐसे हैं, जिनके संबंध में वांछित सूचना इस प्रकार है :---

क्रमांक	पंचायत निरीक्षक का नाम	वर्तमान नियुक्ति के क्षेत्र का नाम	जिले में नियुक्ति की तिथि	वर्तमान क्षेत्र में नियुक्ति की तिथि
१---	श्री प्रतापनारायण मिश्र	बड़ा गांव	२-२-५४	२५-४-५५
२---	,, रामलोचन नायक	चिरगांव	१८-११-५५	२३-११-५९
३---	,, उमा शंकर राय	ललितपुर	२५-५-५५	८-१२-५६

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर में जो पंचायत इंसपेक्टर हैं उनके विरुद्ध सरकार के पास शिकायतें आई हैं और.....

श्री अध्यक्ष---इस तरह से मैं प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दूंगा। आपने शिकायतों के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया था। आपने तो यह पूछा था कि कौन-कौन से पंचायत इंसपेक्टर ५ वर्षों से वहां हैं। आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि क्या उनके विरुद्ध शिकायतें आई हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायत इंसपेक्टरों के विरुद्ध कुछ शिकायतें आई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

अल्मोड़ा जिला परिषद् को पुलों के लिये अनुदान

*५—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मार्च, १९६० में जिला अल्मोड़ा की (१) स्वाल, (२) कोसी (३) जैगंण, (४) पनार तथा (५) बिषौदगाड़ नदियों पर पुल बनाये जाने के लिये अन्तरिम जिला परिषद् अल्मोड़ा को कोई राजकीय अनुदान दिया गया है ? अगर हां, तो वे पुल किन-किन स्थानों पर कितने-कितने अनुदान से बनेंगे तथा जिलाधीश, अल्मोड़ा अथवा अध्यक्ष A. Z. P. से इस संबंध में क्या कोई संस्तुति अब तक इस विषय में आयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—मार्च, १९६० में इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये अन्तरिम जिला परिषद्, अल्मोड़ा को कोई राजकीय अनुदान नहीं दिया गया । अलबत्ता जनवरी, १९६० में सड़कों के साधारण रख-रखाव, मरम्मत, सुधार तथा निर्माण हेतु २०,००० रुपये का अनुदान परिषद् को स्वीकार किया गया था ।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार के पास कोई ऐसी सूचना है कि यह मार्च, १९६१ में इन नदियों पर पुलों के लिये दिया गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह तो मार्च, १९६० के लिये था ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसके पास इधर हाल ही में मार्च या फरवरी में जिलाधीश से कोई संस्तुति आई है कि फलां-फलां पुलों को प्राथमिकता देते हुये अनुदान दिया जाय और उसके अनुसार रुपया भेजा भी गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—पूरा ब्योरा तो मेरे पास नहीं है क्योंकि यह प्रश्न सन् १९६० का था और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह सन् ६१ के बारे में है । मैं अपनी याददाश्त से कुछ कह सकता हूं कि जिला अंतरिम परिषद्, अल्मोड़ा, को करीब पौने दो लाख रुपया दिया गया था, किन्तु यह भी कहा गया था कि किन-किन पुलों के लिये यह इस्तेमाल किया जायगा, वह बाद में भेजा जायेगा ।

*६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[१८ मई, १९६१ के लिये प्रश्न १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[२४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

आगरा तथा कानपुर नगरमहापालिकाओं के सदस्यों को वेतन भत्ता संबंधी प्रस्ताव

*८—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य के अन्तर्गत किन-किन नगरमहापालिकाओं ने अपने सदस्यों के लिये वेतन अथवा भत्ते की मांग संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाश प्रकाश—ऐसे प्रस्ताव कानपुर तथा आगरा की नगर महापालिकाओं से प्राप्त हुये थे; परन्तु नगर महापालिका अधिनियम में महापालिका के सदस्यों को वेतन व भत्ता देने के लिये कोई प्राविधान न होने के कारण उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गये ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर और आगरे की नगरमहापालिकाओं ने यह प्रस्ताव किस आधार पर भेजे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बता दिया गया कि वह निराधार है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर और आगरे की नगरमहापालिकाओं ने जो प्रस्ताव पास किया है वह सर्व सम्मति से पास हुआ है या कुछ मतभेद भी रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी क्योंकि प्रस्ताव तो जब पास हो जाता है तभी आता है, उसमें यह तो होता नहीं है कि कुछ मतभेद था या नहीं । इसके लिये तो पूछना पड़ेगा ।

नगरपालिकाओं तथा टाउन एरियाओं द्वारा टोल टैक्स की वसूली

*९—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि सरकार ने जून, १९५७ में उत्तर प्रदेश के टाउन एरियाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों को टोल-टैक्स की वसूली करनेहेतु किन्हीं नियमों को लागू करने का आदेश दिया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं ।

*१०—श्री रामदीन (अनुपस्थित)—यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी म्युनिसिपैलिटी तथा टाउन एरिया हैं जिन्होंने सरकार के उक्त आदेश का पालन नहीं किया और टोल-टैक्स नियमों से अधिक वसूली की ?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रश्न ही नहीं उठता ।

*११—श्री रामदीन (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन म्युनिसिपैलिटियों तथा टाउन एरियाओं ने टोल-टैक्स सरकार के नियमों से अधिक वसूल किया है, क्या सरकार उसको वापस कराने का आदेश देने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद में नगरपालिका सम्बन्धी सुविधाओं से वंचित मुहल्ले

*१२—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद नगरपालिका की सीमा के अन्दर कितने मुहल्ले ऐसे हैं जिनके मार्गों को सार्वजनिक मार्ग घोषित नहीं किया गया और न ही उनमें कोई नाली या खरंजा बनाया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—गाजियाबाद नगरपालिका के अन्दर ऐसे मोहल्लों की संख्या १४ है ।

*१३—श्री तेजा सिंह—क्या यह सत्य है कि माननीय मंत्री जब गत जनवरी में गाजियाबाद पधारे थे तो उनके सामने कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि चन्द्रपुरी, मुकन्दनगर, कैला आदि मुहल्लों में गन्दे पानी के निकास के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है और गन्दा पानी गलियों में सड़ता है ? यदि हां, तो इस संबंध में मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, कुछ ऐसी शिकायतें की थीं । उसमें अभी कोई विशेष कार्यवाही नहीं हो सकी है ।

श्री तेजा सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको यह ज्ञात है कि १४ मोहल्लों में से बहुत से मोहल्ले १० साल पहले के बने हुए हैं, तो क्या कारण है कि अब तक उनके मार्गों को सार्वजनिक मार्ग घोषित नहीं किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—कारण एक यह था कि कुछ प्राइवेट लोग इस बात का वायदा करते हैं कि हम सड़क और नालियां बनायेंगे और फिर उस जमीन को बेच देते हैं और खरीदार खरीद लेने के बाद बनाते नहीं हैं, वह नालियां बनती नहीं हैं इसलिये वहां की नगरपालिका कहती है कि जब ये सड़क और नालियां बन जायंगी तभी उनको पब्लिक स्ट्रीट डिक्लेयर किया जायगा, तब तक ये प्राइवेट हैं और उन पर कोई रुपया नगरपालिका नहीं लगा सकती ।

श्री तेजा सिंह—जिन्होंने वह जमीनें बेचीं और लोगों ने मकान बना लिया, उनमें से कुछ तो मर गये होंगे और चले गये होंगे, तो जो मौजूद हैं उनको क्या मजबूर कर सकते हैं कि वह नालियां और खरंजे बनवा दें ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह तो कानून देखने की जरूरत पड़ेगी ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि म्युनिसिपल ऐक्ट के मुताबिक म्युनिसिपल बोर्ड के एरिया में कोई प्राइवेट आदमी मकान मालिक या कोई भी गंदगी करता है तो म्युनिसिपल बोर्ड उस पर ऐक्शन ले सकती है तो वहां की नगरपालिका ने ऐक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री अध्यक्ष—यह किससे संबंधित है ?

श्री प्रताप सिंह—अभी यह कहा गया है कि प्राइवेट का हम इन्तजाम नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष—प्राइवेट है, इसलिये उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया पब्लिक स्ट्रीट, तो पब्लिक स्ट्रीट के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं किया गया ?

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका के बाई-लाज के मुताबिक और नियम के मुताबिक किसी मोहाल और स्ट्रीट को पब्लिक स्ट्रीट कब घोषित किया जाता है ?

श्री कैलाश प्रकाश—या तो जिसकी वह है वह दे दे नगरपालिका को, या अक्वायर कर ले नगरपालिका ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि १४ मोहल्ले ऐसे हैं जो अभी तक नगरपालिका नहीं ले सकी है और जहां साधारण सुविधाएं लोगों को प्राप्त नहीं हैं, तो क्या उनको अक्वायर करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसलिये नहीं, क्योंकि यह जिम्मेदारी, जिन्होंने पहले बेचे थे, उनकी भी है और उनको वह पूरी करनी चाहिये ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी नगरपालिका को यह आदेश देंगे कि वह उनको नोटिस ईश्यू करे जिन्होंने पहले बेची थीं कि वह उनको म्युनिसिपल बोर्ड को दें जिससे इन्तजाम ठीक हो सके ?

श्री कैलाश प्रकाश—माननीय सदस्य एक बात तो जरूर महसूस करेंगे कि यदि यही सिलसिला चलता रहे कि कहीं किसी ने जमीन खरीदी और प्लाट्स बना दिये और फिर उनको बेच दिया, खरीदारों ने खरीद लिया और बेचने वालों ने बेच दिया और जिसने खरीदा उसने सस्ता खरीद लिया और जिसने बेचा उसने कुछ ज्यादा दाम वसूल कर लिये और वह सड़क और नाली बनाने की जिम्मेदारी नगरपालिका के ऊपर । इसको बहुत प्रोत्साहन देना सम्भवतः नागरिकों के लिये अच्छी बात नहीं होगी ।

इस बात को विशेष कर सोचा जा रहा है और जो एक कानून बना है उसमें इस बात की व्यवस्था भी रख दी गयी है कि इस किस्म की चीजें न हों, लेकिन समस्त नगरपालिकाओं में वह कानून लागू नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—जो आपने सुझाव रखा उसके अनुसार उनको दिक्कत यह है कि अगर वह डिक्लेयर नहीं होती है और यह ज्यादती कर दी बेचने वालों ने, तो पब्लिक सफर कर रही है और आप अपने को हेल्पलेस बता रहे हैं, तो उनका प्रश्न है कि क्या आप कोई रास्ता निकालेंगे। यह प्रश्न है, उसका जवाब दें।

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, प्रश्न ठीक है। मैं यह कहता हूं कि जो खरीदार हैं वह इस बात की परवाह करें कि जो सड़क बनाने के लिए कहा जाता है....

श्री अध्यक्ष—आगे के लिये तो ठीक है लेकिन पिछले के लिये वह जानना चाहते हैं कि क्या होगा। मैं समझता हूं इस प्रश्न को आप बाई—पास न कीजिये।

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, इस चीज को देखा जायगा।

श्री प्रताप सिंह—इस बात को मद्देनजर रखते हुये कि १४ मोहल्लों में जो जनता रहती है वह हाउस टैक्स, बिजली टैक्स और पानी टैक्स देती है, क्या मंत्री जी शीघ्रातिशीघ्र इस बात की व्यवस्था करायेंगे कि जो टैक्सपेयर हैं उनको वही सुविधायें प्राप्त हो सकें जो एक पब्लिक स्ट्रीट में रहने वाली जनता को मिलती हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—यह कार्य नगरपालिका का है। मैं नहीं कह सकता कि कम्परेटिव हालत किस किस्म की है। वहां की हालत देखकर वह अपनी व्यवस्था बनाती है।

*१४—**श्री राम हेत सिंह** (जिला मथुरा) [२४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५-१६—**श्री रामकुमार वैद्य** (जिला मुरादाबाद)—[२४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

पंचायत मन्त्रियों के कार्य क्षेत्र की निवास स्थान से दूरी

*१७—**श्री गौरी शंकर राय**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश में पंचायत मंत्रियों को अपने घर से २५ मील से अधिक दूरी पर रखने के पुराने आदेश में हाल में कोई संशोधन किया है?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

श्री गौरीशंकर राय—अगर हां, तो क्यों?

श्री कैलाश प्रकाश—अब तक जिला पंचायत अधिकारी स्वयं किसी भी पंचायत मंत्री के कार्य तथा आचरण अच्छा होने की दशा में उक्त आदेशों से मुक्ति दे सकते थे। अब मुक्ति देने के लिए निदेशक पंचायत राज की स्वीकृति लेने के आदेश दिये गये हैं जिससे कि निर्धारित नीति का यथोचित पालन हो सके।

श्री गौरीशंकर राय—इस बात को देखते हुये कि पंचायत सेक्रेटरी बहुत ही छोटा मुलाजिम है क्या सरकार इस २५ मील की कैद को पूरी तौर से हटा लेने पर विचार करेगी?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, जी नहीं।

श्री गौरीशंकर राय—मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि आचरण अच्छा होने पर किसी पंचायत सेक्रेटरी को २५ मील की कैद से मुक्त किया जा सकता है तो फिर बुरा आचरण होने पर जोकि ८०-९० फीसदी हैं, उनको पंचायत राज विभाग ने क्यों मुलाजिम रखा है?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, पंचायत मंत्री के लिये साधारण नियम यह है कि वह अपने निवास स्थान से २५ मील के अन्तर्गत न रहे। यह आदेश पहले प्रसारित हुआ था और अनुभव के ऊपर आधारित था और जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं उनपर आधारित था लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने अभी कहा उस दृष्टिकोण को देखते हुये यह छूट दी गई कि यदि किसी पंचायत सेक्रेटरी का काम बहुत अच्छा हो और कोई शिकायत न हो तो विशेष स्थिति में उसको २५ मील के अन्दर भी रखा जा सकता है और यह छूट देने का अधिकार जिला पंचायत अधिकारी को दे दिया गया था लेकिन उसके बावजूद भी इस किस्म की बहुत सी शिकायतें आईं तो यह आवश्यक समझा गया कि जो छूट देने का अधिकार है वह निदेशक पंचायत राज को रहे।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इसी आदरणीय सदन में एक हफ्ता पहले उन्होंने कहा था कि पंचायत सेक्रेटरी को पंचायत तनख्वाह देती है तो किस आधार पर सरकार ने यह नियम बनाया है कि २५ मील से बाहर उनको रहना चाहिये ?

श्री कैलाश प्रकाश—क्योंकि अभी तक उनका प्रशासन निदेशक पंचायत राज के हाथ में है।

श्री गौरीशंकर राय—सर्विस कांडक्ट रूल्स के मुताबिक किसी भी सर्विस में ट्रान्सफर पनिशमेन्ट नहीं समझा जाता तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २५ मील से अधिक दूरी पर ट्रान्सफर करने की कैद पंचायत मंत्रियों के लिये कोई दंड का स्वरूप है या केवल शासकीय व्यवस्था है ?

श्री कैलाश प्रकाश—दंड बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से अन्य सरकारी नौकरियों में यह साधारण नियम है कि अपने जिले में उनको नहीं रखा जाता उसी तरह से पंचायत सेक्रेटरी के लिये यह साधारण नियम रखा गया कि उसको उसके निवास स्थान से २५ मील के अन्तर्गत नहीं रखना चाहिये। यह कोई दंड नहीं है।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मंत्री जी ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे कि जो खराब हों केवल वही २५ मील से दूर भेजे जावें ?

श्री कैलाश प्रकाश—मंशा यही है कि सब मंत्री अपने निवास स्थान से २५ मील दूर रहें।

श्री अध्यक्ष—उनका कहना है कि २५ मील से दूरी की कैद उन्हीं के ऊपर लागू हो जिनका काम खराब हो।

श्री कैलाश प्रकाश—मैं तो उत्तर दे चुका हूं कि "जी नहीं"।

[१९-२०—श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—[२६ अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ४०-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

हरदोई कोआपरेटिव बैंक यूनियन के मनोनीत डाइरेक्टर

*२१—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई कोआपरेटिव बैंक यूनियन में सरकार द्वारा नामजद कौन-कौन डायरेक्टर हैं और उनका कार्यकाल कब से कब तक का है ?

श्री मंगला प्रसाद—इस बैंक में गत वर्ष सर्वश्री बुलाकी राम, एम०एल०ए०, जे० पी० मिश्रा तथा जिला सहकारी अधिकारी, हरदोई सरकार द्वारा डायरेक्टर मनोनीत किये गये थे। ये डायरेक्टर उक्त बैंक की वार्षिक साधारण सभा होने तक या शासन द्वारा उनके स्थान पर दूसरे डायरेक्टर मनोनीत होने तक पदासीन रहेंगे।

*२२-२३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) [२४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

मैनपुरी-किशनी सड़क का अपूर्ण निर्माण कार्य

*२४—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—मैनपुरी से किशनी जाने वाली सड़क की मरम्मत के बारे में १० मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सड़क का काम जो अधूरा पड़ा है वह कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—मैनपुरी से किशनी सड़क का केवल १७ मील ४ फर्लांग अन्तरिम जिला परिषद् मैनपुरी के अधीन है जिसमें से मैनपुरी से भावन्त तक ६ मील सड़क पक्की है। इस सड़क पर मिट्टी का कार्य हो चुका है। कंकड़ की कुटाई के कार्य के इस वर्ष बरसात में पूरे हो जाने की आशा है।

अनुसूचित तथा पिछड़ी हुई जाति के पंचायत मन्त्री

*२५—श्री लायक सिंह चौधरी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने पंचायत मंत्री हैं, उनमें से कितने अनुसूचित जाति के तथा कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रदेश में ८५४६ पंचायत मन्त्री हैं, उनमें से ४२१ अनुसूचित जाति के तथा १०८५ पिछड़ी जाति के हैं।

*२६—श्री लायक सिंह चौधरी—उपर्युक्त पंचायत मंत्रियों में कितने शहरवासी तथा कितने ग्रामवासी हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—उपरोक्त पंचायत मंत्रियों में १६४ शहरवासी तथा ८३८२ ग्रामवासी हैं।

श्री लायक सिंह चौधरी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ८ हजार से अधिक में केवल ४२१ ही अनुसूचित जाति के होने का क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश—कारण यही बताया जाता है कि शुरू में जब मंत्री रखे गये थे तब शायद यह कैद नहीं रखी थी। उस योग्यता के मिलते भी नहीं हैं, और जो मिल जाते हैं उनमें से बहुत से अच्छी नौकरी मिलने पर छोड़ देते हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—मंत्री जी ने कहा कि यह बताया जाता है। तो क्या मंत्री जी ने यह सब अफवाहन सुना है या कोई डेफीनिट इनफार्मेशन है ?

श्री कैलाश प्रकाश—यहां सूचना मंगा कर ही दी जाती है।

*२७—श्री शिवप्रसाद नागर—[४ मई, १९६१ के लिए प्रश्न ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बड़हलगंज टाउन एरिया का अधिकृत मानचित्र तथा अभिलेख न होना

*२८—श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया बड़हलगंज, जिला गोरखपुर में टाउन एरिया का न तो कोई आथेंटिकेटेड मैप है और न कोई कागज (रिकर्ड्स) ? यदि हां, तो क्यों और कब से और ऐसी दशा में जो टैक्स आज तक जनता से वसूल किया जाता रहा है उसका आधार और औचित्य क्या रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश— जी नहीं।

*२९—श्री इन्दुभूषण गुप्त—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त टाउन एरिया में बहुत से लोगों से नजूल भूमि का, परजबट प्रत्येक वर्ष बिना इस जानकारी के कि वह किस जमीन की बाबत है वसूल किया जाता है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—क्या माननीय मंत्री को सूचना है कि बड़हलगंज टाउन एरिया के भूतपूर्व चेयरमैन ने श्री गिरजादत्त बनाम शशिभूषण गुप्त के मुकदमे में, जो मुंसिफी बांसगांव में था और अपील में भी, शपथपूर्वक यह बयान दिया था कि बडहलगंज टाउन एरिया का न तो कोई आर्थेटीकेटेड मैप है और न कोई रिकार्ड ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि मैंने उन्हें एक पर्सनल पत्र लिखकर भेजा था और उस फैसले की नकल भी उनकी सेवा में भेजी थी ?

श्री कैलाश प्रकाश—मुझे इस समय याद नहीं है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार आज मैंने कोई विषय स्वीकार नहीं किया है ।

विभिन्न समितियों के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब मैं विभिन्न समितियों के सदस्यों के नाम जो मैंने मनोनीत किये हैं, सुनाता हूं। ये मैंने सन् १९६१-६२ के लिये किये हैं ।

विशेषाधिकार समिति के लिये—

१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (उपाध्यक्ष) नियमानुसार सभापति होंगे ।
२—श्री लक्ष्मीरमण आचार्य
३—श्री बेचनराम गुप्त
४—श्री हरिश्चन्द्र सिंह
५—श्री नवलकिशोर
६—श्री नेकराम शर्मा
७—श्री गोविन्दनारायण तिवारी
८—श्री चन्द्रजीत यादव
९—श्री देवीप्रसाद मिश्र और
१०—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित ।

पुस्तकालय समिति में —

१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (उपाध्यक्ष) सभापति रहेंगे—
२—श्री कालीचरण अग्रवाल
३—श्री जयराम वर्मा
४—कुमारी कमल कुमारी गोईंदी
५—श्री रामदास आर्य
६—श्री मोहनलाल
७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी
८—श्री वीरसेन
९—श्री शब्बीर हसन
१०—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी
११—श्री मदन मोहन
१२—श्री कैलाश प्रकाश
१३—श्री दीनदयालु शर्मा
१४—श्री अनन्तराम वर्मा
१५—श्री रामचन्द्र उनियाल
१६—श्री जरगाम हैदर
१७—राजा वीरेन्द्रशाह
१८—श्री राजनारायण
१९—आचार्य दीपंकर
२०—श्री झारखंडेराय
२१—श्रीमती सावित्री श्याम
२२—डाक्टर ईश्वरीप्रसाद
२३—श्री महावीर सिंह
२४—कुंवर गुरुनारायण
२५—श्रीमती सुचेता कृपालानी

आवास मंत्रणा समिति में पहले ११ सदस्य रहते थे लेकिन चूंकि नियम में ११ की सीमा नहीं है इसलिये मैंने ३,४ बढ़ा दिये हैं ताकि आवास के बारे में सभी पार्टियों के लोग आ जावें और सभी पार्टियों के लोग सूचना दे सकें।

१—श्री रामनारायण त्रिपाठी (उपाध्यक्ष) इसके सभापति होंगे।

२—श्री कमलापति त्रिपाठी
३—श्री वीरेन्द्र वर्मा
४—श्री राममूर्ति
५—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट
६—श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा
७—श्री तेजबहादुर
८—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी
९—श्री उग्रसेन
१०—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल
११—श्री प्रतापसिंह
१२—श्रीमती बेनी बाई
१३—श्री मन्नालाल
१४—श्री सीताराम शुक्ल
१५—श्री हरीसिंह।

नियम समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो रहते ही हैं, नके अवाला १३ सदस्य और हैं:—

१—श्री हुकुमसिंह विसेन
२—श्री चरण सिंह
३—श्री कैलाशप्रकाश
४—श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल
५—श्री देवकी नन्दन विभव
६—श्री नारायणदत्त तिवारी
७—श्रीमती सुनीता चौहान
८—श्री गोविन्दसहाय
९—श्रीमती सियादुलारी
१०—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह
११—श्री रामस्वरूप वर्मा
१२—श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल
१३—श्री डूंगरसिंह

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—आपने बड़ी कृपा की है कि पुस्तकालय समिति में इस सेवक का नाम भी रख दिया है। मुझे पहले किसी समिति की सूचना नहीं मिली। एक की मिली और मैंने लिखकर भेजा था कि मैं इस समिति में कैसे रख लिया गया तो उत्तर यह मिला कि मुझे अध्यक्ष महोदय ने पहले दिन मनोनीत किया था। तो हम उसके लिये आभार प्रकट करते हुये यह प्रार्थना करेंगे कि हमारी जगह हमारे दल के किसी अन्य सदस्य को रख दें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—आप पारसाल भी थे।

श्री राजनारायण—मुझे नहीं मालूम था।

श्री अध्यक्ष—तो आप लिखकर भेज दें जो चाहते हैं।

सदन के आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, बहुत सी अफवाहें हैं कि सदन कब तक बैठेगा। सुनने में आया है कि बजट के बाद खत्म हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—मुख्य मंत्रीजी इसके बारे में कुछ सूचना दे सकेंगे?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—पहली सूचना यह थी कि १२ मई तक सदन बैठेगा अगर लोगों को ज्यादा गर्मी सता रही है तो फिर से विचार कर लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—तो क्या मुख्य मंत्री जी दो एक दिन में सूचना दे देंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दे दूंगा।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत व अनुदान संख्या २८—उद्योग

श्री अध्यक्ष—अब माननीय मुख्य मन्त्री जी दोनों अनुदान एक साथ रख दें।

*सूचना उप-मन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ७, १४, ३९, ४०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८ उद्योग के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ६,७०,४३,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन् जब माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां उपस्थित हैं तो उनके मुखारविन्द से हम कुछ सुन लें।

श्री अध्यक्ष—शायद उन्होंने उत्तर रिजर्व करके रखा है।

श्री रऊफ जाफरी—अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी जो अनुदान पेश किया गया है, उसके सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर खेती के ऊपर था और उद्योगों की तरफ इतना ज्यादा जोर नहीं दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह सूरत बदल गई लेकिन खेती के ऊपर तो वैसा ही जोर रहा, परन्तु उसके साथ-साथ उद्योगों पर काफी एम्फेसिस दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में हमने काफी तरक्की की। इसके माने यह नहीं हैं कि मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश और प्रदेशों से आगे बढ़ गया है लेकिन यह जरूर है कि पहले के मुकाबले में हम आगे बढ़े हैं। जो भी तरक्की हमने की है माननीय सदस्यों के सामने उसकी कुछ तस्वीर रख देना चाहता हूं।

पिछली पंचवर्षीय योजना के अन्दर ६३३ इन्डस्ट्री के लाइसेंसेज दिये गये जिनमें से १३३, १९५९-६० में दिये गये। एक बड़ा फर्क है जो इन लाइसेन्सेज में हुआ है। इससे पहले जो लाइसेंसेज दिये गये थे वह अमूमन कन्जूमर गुड्स के थे लेकिन इन १३३ इंडस्ट्रीज में काफी बड़े-बड़े उद्योगों के लाइसेन्स रहे जो करीब ७५ करोड़ रुपये के हैं। अगर यह काम ठीक हुआ तो यह कहना गलत न होगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में १२६ करोड़ रुपये की पूंजी लगाने के बारे में जो हैवी इन्डस्ट्रीज ऐडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया है, न सिर्फ हम वहां तक पहुंच जायेंगे बल्कि आगे भी बढ़ जायेंगे, अगर यही टैंपो कायम रहा।

रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज की तादाद १९५६ में २०७५ थी जो बढ़कर १९६० में २,६१२ हो गई। हैवी इन्डस्ट्रीज के विषय में सरकार को, इस सदन को और माननीय सदस्यों को हमेशा से यह शिकायत रही है कि हैवी इंडस्ट्रीज के सिलसिले में हमारे साथ पूरा-पूरा इन्साफ नहीं किया जा रहा है। अब भी हमारी यह शिकायत अपनी जगह पर कायम है। वैसे पब्लिक सेक्टर में जो उद्योग हैं, वे दो हैं—चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी और प्रेसीजन इंस्ट्रमेंट फैक्टरी। इन फैक्टरियों के सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि अक्सर इस सदन में यह सवाल उठाया जाता है कि इन फैक्ट्रियों में काम बहुत अच्छा नहीं होता। इसके मुताल्लिक भी बड़ी गलतफहमी है कि प्रेसीजन इंस्ट्रमेन्ट फैक्टरी ठीक काम नहीं कर रही है। इसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दोस्तान की फैक्ट्रियों के मुकाबले में, चाहे प्रोडेक्शन के हिसाब से देखा जाय, चाहे मजदूरों की मजदूरों के हिसाब से देखा जाय, चाहे मुनाफे के हिसाब से देखा जाय, यह सब से आगे है। जैसा कि सदन को मालूम है पहले इसमें कुछ जर्मन स्पेशलिस्ट्स थे, वह काम करते थे। उनके जमाने में कोई नफा नहीं हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नुकसान होता रहा और टार्गेट पर नहीं पहुंच सके। लेकिन उसके बाद जबसे हिन्दुस्तानियों ने सम्भाला कोई साल ऐसा नहीं हुआ कि फैक्टरी ने मुनाफा न किया हो। और मुनाफा भी मामूली नहीं हुआ, बल्कि पिछले साल २१ परसेन्ट का डिवीडेंड दिया और इस साल २५-२६ परसेन्ट डिवीडेंड मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। कोई स्वेटिश लेबर लिया जा रहा हो, यह नहीं है। यह जरूर है कि पीसवर्क का हिसाब है। लेकिन ८-१० रुपये रोज तक मजदूर वहां कमा लेते हैं। तो यह तो प्रेसीजन इंस्ट्रूमेन्ट फैक्टरी के बारे में है।

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी जो है उसमें भी पहले हैनरी पूली का इन्तजाम था। उसके बाद जब से यह इन्तजाम हटा है काफी प्रगति हुई है। कभी एक आध साल ऐसा हुआ कि २ लाख ३१ हजार टन की जो कैपेसिटी है उससे कुछ शार्टफाल हो गया। उसकी वजह यह थी कि उसमें काफी रिपेयर्स वगैरह की जरूरत थी। लेकिन पिछले साल जनवरी के महीने तक की फिगर्स जो हैं उसमें २ लाख २० हजार टन सीमेन्ट बन चुका था और हम उम्मीद करते हैं कि जो कैपेसिटी है २ लाख ३१ हजार टन की वहां तक हम जरूर पहुंच जायेंगे, बल्कि बढ़ जायेंगे, इस फैक्टरी के बारे में भी कुछ लोगों का जो खयाल है कि नुकसान पर चल रही है वह खयाल गलत है। यह सही है कि जितना मुनाफा हम वहां से उम्मीद करते थे वह अभी नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद है कि हमारा एक्सपेंशन का जो प्रोग्राम है या और जो बातें होने जा रही हैं उससे यह फैक्टरी भी अच्छा-खासा मुनाफा देने लगेगी।

इसके अलावा पब्लिक सेक्टर में जो सेन्टर की तरफ से फैक्टरीज यहां के लिये हुई हैं, कई दफा कहा जा चुका है, एक तो रबर फैक्टरी है, बरेली में। हैवी फर्टीलाइजर फैक्टरी है गोरखपुर के लिये, शायद अभी तक उसमें तब्दीली तो नहीं हुई है हालांकि कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह की दिक्कत पड़ती है, लेकिन वह गोरखपुर में लगेगी। इसके अलावा एक ऐन्टी-बायोटिक फैक्टरी ऋषीकेश में होगी। और भी चीजें चल रही हैं, जैसे हैवी इलैक्ट्रिकल्स हैं जो कहीं रुड़की के पास लगेगी। लेकिन फाइनल नहीं हुई है हालांकि उम्मीद है कि हो जायेगी। कुछ और भी बातें चल रही हैं, लेकिन उनके मुताल्लिक कहना मुनासिब नहीं है।

इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में काफी फैक्ट्रियां लगी हैं। उनकी पूरी फेहरिस्त देने में तो वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनका तजकिरा करना चाहता हूं। मसलन रबर फैक्टरी है बरेली में। मैं गलत कह गया था, रबर फैक्टरी प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में नहीं है। अल्मूनियम फैक्टरी है पिपरी में। रेयन फैक्टरी कानपुर में। साहू केमिकल्स वाराणसी में। तीन मिल्क प्राडक्ट्स की फैक्टरियों के लिये लाइसेन्स मिल चुके हैं जो मुजफ्फरनगर, एटा और गाजियाबाद में लगेंगी। ट्रांसफार्मर और स्विच गीयर की फैक्टरी नैनी में है। टेक्सटाइल मशीनरी पार्ट्स की कानपुर में है। सुपर फास्फेट की उन्नाव में है और इन्डस्ट्रियल मशीनरी पार्ट्स की नैनी में है। तो यह इम्पार्टेन्ट फैक्टरीज हैं।

हैवी इंडस्ट्रीज के सिलसिले में मैंने कुछ अर्ज किया लेकिन इसके यह माने नहीं कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और विलेज इन्डस्ट्री की तरफ से कोई लापरवाही है या कम तवज्जह है। हमारी इस पंचवर्षीय योजना के अन्दर १६.३७ करोड़ रुपया स्माल स्केल इन्डस्ट्री के लिये रखा गया है जिसमें हैन्डलूम के ऊपर २.७५, स्माल स्केल के ऊपर ८.५३, इंडस्ट्रियल स्टेट्स के ऊपर ३.७५, हैंडी क्राफ्टस के ऊपर ९० हजार, सेरीकल्चर पर ३५ हजार, और खादी और विलेज इन्डस्ट्री के अन्दर जो कुछ वहां से कमीशन में मिलेगा उसको छोड़ कर इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेन्ट और इनिशियल एक्सपेंसेज के लिये हैं वह ३० हजार है।

इसके अलावा, पिछली दफा, जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सिलसिले में २ बड़ी और ३ छोटी स्टेट्स बननी थी, वह बन रही हैं और तैयार हो जायेंगी और मैं समझता हूं कि जल्दी ही काम पूरी तरह शुरू हो जायगा। इस योजना काल में ४

[श्री रऊफ जाफरी]

बड़ी इन्डस्ट्रियल स्टेट्स, ५ मीडियम स्केल की और ८ स्माल स्केल की इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम करने का इरादा है। उसके साथ-साथ कुछ यह भी है कि कुछ ऐसी जमीनें हैं जिनको डेवलप किया जाय और वहां जो उद्योग लगाना चाहें उनको अलावा इन स्टेट्स की जमीन के दूसरे किस्म की सहूलियतें भी दी जायें। इस तरह से हमारी जो छोटे धन्धों की स्कीम है वह कुछ तरक्की करेगी। अब मैं हैंडलूम के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—गुड़ और खांडसारी के सिलसिले में भी कुछ कहिये।

श्री रऊफ जाफरी—उसके लिये तो आज शाम को आपने १ घंटे की बहस रखी है। इस वक्त न लें तो अच्छा है।

श्री गदा सिंह—वह भी तो इन्डस्ट्रीज में शामिल है।

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, शामिल तो है मुझे कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन शाम को तो उसके लिये समय है ही।

श्री अध्यक्ष—आपको यह जानना चाहिये कि गेंदासिंह जी हर घड़ी गुड़ और शुगर से दिलचस्पी रखते हैं। (हंसी)

श्री रऊफ जाफरी—तो हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत अहम है और उसमें बहुत से आदमी लगे हुये हैं। उसमें हमने कितनी तरक्की की है उसकी एक छोटी सी तस्वीर मैं दे देना चाहता हूं। सन् १९५१-५२ में हैंडलूम सोसाइटियां ७०५ थीं और दिसम्बर सन् १९६० में वह बढ़कर १,२२८ हो गईं। मेम्बरशिप उनकी १९५१-५२ में ९०,८३० थी वह बढ़कर के १,१७,६२० हो गई। प्रोडक्शन सोसाइटीज १९५१-५२ में ३२ थीं, वह दिसम्बर सन् १९६० में ४८६ होगईं। स्माल और मिडिल डाई हाउसेज एक भी नहीं थे अब ६३ चल रहे हैं। इसी तरह से सेल डिपो बिलकुल नहीं थे अब १७१ सेल डिपो में काम हो रहा है। सन् १९५१-५२ में हैंडलूम का कुल प्रोडक्शन २८ लाख ३४ हजार यार्ड था वह बढ़कर के ८ करोड़ ३३ लाख यार्ड हो गया जिसकी कीमत ३४ करोड़ ३६ लाख हुई। इस सूरत से इस अहम उद्योग के सिलसिले में माननीय सदस्यों को पता चलेगा कि इस काम में हम आगे बढ़े हैं। यह नहीं है कि यह सब हो गया, अभी और ज्यादा तरक्की हम इसमें करना चाहते हैं और हमारा अगला प्रोग्राम यह है कि ६०.५० मीटर तक प्रोडक्शन बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। इसी तरह से यह भी इरादा है कि २५ सौ और लूम्स कोआपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर आ जायं। कुछ बुनकर हाउसिंग का कोनीज कायम की जायंगी। अलावा इसके सरकार २० लाख रुपये का यार्न मिल का शेयर कैपिटल खरीदेगी। जहां हम इतना काम बढ़ा रहे हैं, काम बढ़ रहा है तो उसके लिये यह भी लाजिमी होता है कि हमको टेक्नीकल स्किल की जरूरत है और हम लोगों को ट्रेन्ड करें अपने कामों के लिये और बेरोजगारी के सिलसिले में भी लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद वह अपने-अपने काम खोल सकें। इसलिये ट्रेनिंग के ऊपर काफी जोर दिया गया है। इस समय ५१ ट्रेनिंग सेन्टर सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के अन्दर चल रहे थे। हम यह उम्मीद करते हैं कि तीसरी योजना के अन्दर २१,००० आदमियों को ट्रेन्ड कर सकेंगे। जब ट्रेन्ड करेंगे तो कोशिश यह भी होगी कि हम उनको कोआपरेटिव सोसाइटीज बना करके जो हम क्लस्टर्स बना रहे हैं गांवों में, उन क्लस्टर्स में ऐस्टेब्लिश कर दें ताकि वह मारे-मारे नौकरी के लिये न फिरें। इस सिलसिले में जो काम है वह यह कि एक इन्जीनियरिंग कालेज गोरखपुर में खोलने की तजवीज है। ५ पोलीटक्नीक, मुरादाबाद, गोंडा, आजमगढ़, बस्ती और श्रीनगर (गढ़वाल) में इस प्लान में खुलेंगे। एक गर्ल्स टेक्नीकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में इस प्लान में है। डिप्लोमा इंस्टीट्यूट लेदर वर्किंग का और ट्रेनिंग का आगरे में है। तो एक साल, दो साल की ट्रेनिंग और इंटेन्सिव ट्रेनिंग इस प्लान के अन्दर रखी गई है।

लोन और ग्रान्ट के सिलसिले में सवालात होते रहते हैं। इस सिलसिले में मैं भी थोड़ा सा जिक्र करा दूं तो बेहतर होगा। पिछली योजना के अन्दर १ करोड़ ९१ लाख ४४ हजार रुपया ऋण और अनुदान की शक्ल में बांटा गया। इस योजना काल के अन्दर ३ करोड़ ९८ लाख रुपया इस मद के लिये रखा गया है। सरकार इस बात को हमेशा महसूस करती रही है कि दरअस्ल जो बिलकुल गरीब हैं उन तक रुपया पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी और श्योरिटी नहीं होती है। इसलिये यह तजवीज है कि अब ५०० रुपये तक की रकम के लिये किसी किस्म की श्योरिटी वगैरह की जरूरत न रह जायगी ताकि बिलकुल नीचे तक हम पहुंच सकें। यह जरूर है कि हमारे अफसर आदमी को देखेंगे कि वह माकूल है कि नहीं, ट्रेनी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन नान ट्रेनी भी अगर है तो ५०० रुपये तक वैसे ही दे दिया जायगा। २,००० रुपये तक अनुदान महज पर्सनल श्योरिटी पर दिया जायगा। इससे ऊपर ५,००० रुपये तक सिक्योरिटी की जरूरत होगी और ५,००० रुपये से ऊपर हम लैन्डेड प्रापर्टी के मार्गेज करने पर देंगे।

तो इससे पता चलेगा कि हमने अपने रूल्स में काफी सुविधा, खास कर उन लोगों के लिये जिनके पास खेत वगैरह नहीं हैं, की है। इसमें रिस्क जरूर है कि मुमकिन है हमारा कुछ रुपया वसूल न हो पाये....

श्री अध्यक्ष--आप इसको ऋण कहिये, अनुदान न कहिये, अगर वापस लेना है।

श्री रऊफ जाफरी--वापस लेने की ऋण की बात है। लेकिन अनुदान वापस नहीं लिया जायगा। अनुदान भी दिया जाता है और ऋण भी। ग्रान्ट तो वापस होगा नहीं। ऋण भी दे सकते हैं और अनुदान भी दे सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं।

मैं यह कह रहा था कि यह मुमकिन है कि इसमें कुछ रुपया जाया भी जाय लेकिन यह ऐसा मौका है जहां थोड़ा रिस्क लेना चाहिये वर्ना जो असली नीडी लोग होते हैं उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, लेकिन माननीय सदस्य जब बोलें तो वह इसका लिहाज रखकर कुछ सुझाव दें जो कांस्ट्रक्टिव हों ताकि उनपर पूरी तरह से गौर किया जाय। मुझे उम्मीद है कि एतराज तो होगा। बहुत सी त्रुटियां भी हैं उनके ऊपर ध्यान किया जायगा, लेकिन रुख ऐसा हो जो कांस्ट्रक्टिव तरीके का हो ताकि उससे हम लोग फायदा उठा सकें और उनके हर एक सुझाव पर विचार किया जायगा।

*श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति बिन्दुओं का उल्लेख करना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८--उद्योग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--

नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।
छोटे उद्योगों की उपेक्षा व रुचिवर्ग करने में ढील।

मान्यवर, मैं बड़े गौर से माननीय मन्त्री जी की स्पीच सुन रहा था और उन्होंने वह दस्तूर अदा किया जो यहां पर हमेशा किया जाता रहा है। हम देखते हैं कि द्वितीय पंच-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

वर्षीय योजना में ११ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। वह घटा कर बाद में ९ करोड़ कर दी गई और आखिर में वह भी घटाई गई। हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि खासकर यह उद्योग विभाग जो कुछ रुपया लेता है उसमें काफी बड़ा भाग हमेशा लैप्स हो जाता है। तो योजना कोई भी हो अगर काम करने वाला ठीक हो, छोटी हो या बड़ी हो, अगर वह मुकम्मल हो जाती है तो उसमें जनता की आस्था बढ़ती है और उत्साह बढ़ता है। लेकिन अगर योजनायें अच्छे तरीके से कार्यान्वित न हों तो निराशा का वातावरण पैदा होता है और उसमें इंडस्ट्रियल सेटबैक होने लगता है।

माननीय मंत्री जी अभी जब भाषण दे रहे थे तो उनको ऋण और अनुदान में कंफ्यूजन हो रहा था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि किसे ऋण कहें और किसे अनुदान कहें।

श्री अध्यक्ष--वह ऐसा था कि प्वाइंट कुछ था। इसे वह समझ नहीं पा रहे थे कि ३० हजार है या ३० लाख।

श्री रऊफ जाफरी--मैं करेक्शन कर दूं। ३० हजार कह दिया था आखिर में, वह दरअसल ३० लाख है। गलत कह गया था।

श्री अध्यक्ष--.३ था। वह ३० लाख होता है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--नुक्ते के हेरफेर से "खुदा" उर्दू में "जुदा" हो जाता है, इसको उनसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं समझता।

अपने यहां एक जमाना था, ढाके की मलमल का। मिश्र की पुरानी ममीज़ा को देखने जाते हैं तो ३ हजार वर्ष पुरानी मलमल ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। अपने यहां घर-घर गृह-उद्योग इतने सम्पन्न थे कि शायद ही किसी दूसरे देश में हों। शाह सुलेमान जो बहुत मशहूर रहा है उसके यहां तमाम चीजें जाती थीं। तवारीख में अरब के सौदागर भारतवर्ष से तमाम चीजें ले कर दुनिया के तमाम बाजारों में बेचा करते थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था, अंग्रेज आये। वह आये तो अपना व्यापार भी साथ लाये और जो सब से खतरनाक काम उन्होंने किया वह यह कि अपने उद्योगों को उन्होंने हमारे उद्योगों पर हावी करना शुरू किया। अंग्रेजों के आने के बाद भी एक्सपोर्टिंग कन्ट्री मेनली इंडिया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जो राजा लोग वहां हुए उन्होंने बराबर यह कोशिश की कि मैनचेस्टर और लंकाशायर को बढ़ाया जाय। इसलिये उन्होंने हमारे ऊपर हर तरह की पाबन्दी लगानी शुरू की। उसके बाद म्यूटिनी हुई। उसमें अंग्रेजों ने देखा कि यातायात की बहुत जरूरत है, इसलिये उन्होंने रेलें बनायीं और १८८० तक ८ हजार मील रेलवे लाइन भारत वर्ष में हो गई थी। इतना सब होते हुए भी १,८५४ में फिर भी उन्हें पहली सूती मिल भारत में लगानी पड़ी और उसकी रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ी।

अंग्रेज तो इस देश के व्यापार को खत्म करने वाले थे। जो गुण भी उनके थे वह भी हम अवगुण कहते हैं क्योंकि अगर किसी ने अंग्रेज के गुण की तारीफ कर दी तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन फिर भी १८८० और १८९५ के बीच में ५८ से बढ़ कर १४४ कपड़ा मिलें इस देश में हो गयीं, उन अंग्रेजों के जमाने में जो यहां की इंडस्ट्री नहीं पनपाना चाहते थे। जूट की मिलें २० से २९ हो गयीं, कागज की ८। आज आये दिन यह सुनते-सुनते कान थक गये कि हमने यह किया, वह किया, इतने अस्पताल बनाये, इतने स्कूल खोले। हम मानते हैं कि गवर्नमेंट प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री बहुत बढ़िया है, हम उसके मैनेजमेंट के लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हैं। जो अच्छी चीज होती है उसके लिये कोई रेजर्वेशन हम अपने दिल में

नहीं रखते हैं हालांकि जिन जर्मन साइंटिस्ट्स को लाया गया था आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिये बाद में जब उनसे पूछा गया तो मालूम हुआ कि वे तो डाक्टर हैं। उन्होंने कहा कि आप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के बारे में उन्हें इतना ही मालूम है कि वे आपकी आंख का इलाज कर सकते हैं। फिर भी हम यह मानते हैं कि आपकी यह फैक्ट्री अच्छी है। मगर हर साल आप वही राग अलापें, एक ही रेकार्ड बजावें और वह भी रेकार्ड जो कि एक ग्रूप में फंस गया हो, हर साल प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, कोई नयी चीज कहिये तो हम भी सुनें।

इसके बाद आइटम नम्बर २ है—चुर्क सीमेंट फैक्ट्री। उसकी मंत्री महोदय बड़ी तारीफ कर गये लेकिन उसके बाद कुछ गले में अटका क्योंकि प्रोडक्शन घट गया है। उसके आंकड़ों का तो भगवान ही मालिक है। जो सालान किताबें छपती हैं चुर्क सीमेंट फैक्ट्री इत्यादि की उनका क्या महत्व है? मैं समझता हूं कि बढ़िया गेट-अप, खूब बढ़िया पेपर, उसमें मंत्री लोगों की फोटो, शायद इतना ही इनका मतलब है। माननीय गुप्त जी की पूरे पेज पर फोटो छपी हुई है। मैं इसे बुरा नहीं मानता, मंत्री लोगों की फोटो अगर हमारे कलेजे के नजदीक हो तो शायद और मुहब्बत पैदा हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ये पुस्तकें साल में एक बार निकलती हैं। इनमें उन्हें यह दिखाना चाहिये कि हमने इस साल पिछले साल के मुकाबले में कितनी तरक्की की और अन्य प्रांतों के मुकाबले में हमारी स्थिति क्या है, रा मैटीरियल का क्या हिसाब है। लेकिन इस सब की बजाय आपने इसमें थोड़ी सी तस्वीर दे दीं। इसी तरह से प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री में है। लेकिन यह जो लिटरेचर हमें दिया जाता है यह कोई सिनेमा का विज्ञापन तो नहीं जो टिकट लिया और अन्दर चले गये। यह तो हमारी इस साल क्या तरक्की या तनज्जुली हुई उसको असेस करने के लिये छापी जाती हैं। उसमें भी तमाशा यह है कि सन् १९६०-६१ में सीमेंट का कुल उत्पादन २ लाख ४४ हजार टन दिखाया गया है। और श्रीमन्, एक उद्योग नामक पुस्तिका छपी है उसमें फिगर्स दिये गये हैं, लेकिन उसमें कोई महीना नहीं दिया गया है कि वह फिगर्स किस महीने के हैं। इसमें श्रीमन्, सीमेंट का उत्पादन २,३२,४७७ टन छपा है। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि हम किस को सही मानें। मुझे ताज्जुब यह हुआ कि इसमें लिखा है कि वार्षिक निर्धारित उत्पादन शक्ति २,३४,७०० टन है और इस पुस्तिका में यानी चुर्क सीमेंट फैक्ट्री वाली में २,४४,००० टन छपा है। इसके माने हैं कि उत्पादन शक्ति से ज्यादा दिखा रखा है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। या तो कैपेसिटी गलत दिखाई गई थी और यदि गलत नहीं दिखाई तो उत्पादन झूठा है और यदि झूठा नहीं है तो दूसरी किताब में ऐसा क्यों निकलता है? मंत्री जी इस पर गौर फरमायें और देखें। उनके पीछे एक बटालियन बैठी है, वह इनको नोट बनाकर भेज देगी। श्रीमन्, उनके उत्पादन की यह हालत है।

श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि अंग्रेजों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात सोची थी क्योंकि उनको महायुद्ध में बाध्य होना पड़ा, जब कि सप्लाई बन्द हो गई थी। उस समय से यह रिकार्ड है कि २० परसेंट भारत का प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन इसके आगे हम तरक्की नहीं कर पाये क्योंकि हमारी मशीनें पुरानी थीं और बाहर से मशीनें नहीं आ सकीं। श्रीमन्, मैं एक व्यापक चीज ले रहा हूं। जो धीरे-धीरे प्रोडक्शन बढ़ा था वह खत्म हो गया। मेरे पास समय नहीं हैं कि मैं यह बता सकूं कि क्यों यह कमी हो गई। हमारे यहां मशीनें या उनके पार्टस बनते नहीं हैं और टैक्नीकल मदद भी हमको नहीं मिल सकी। इस तरह से तरक्की नहीं हो सकी और औद्योगिक पिछड़ापन रहा।

अंग्रेजी सरकार ने उस समय दो चीजें कीं। एक तो यह कि १९१६ में भारत में एक एम्यूनीशन बोर्ड बना। उन्होंने सोचा कि लड़ाई में सामान यहां न आ सका तो अगर गोला बारूद वगैरह यहीं बनने लगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज उन्होंने यह की कि एक इंडस्ट्रियल कारपोरेशन नाम की संस्था बनाई। उन्होंने सोचा अगर देश की तरक्की करना है

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

तो आर्थिक विकास में विषमता नहीं होनी चाहिये और उन्होंने सोचा कि आयात का मूल्य कच्चे माल से नहीं देना चाहिये। पहले हम जो इम्पोर्ट करते थे तो उसका फिनिश्ड कमोडिटीज से जवाब नहीं देते थे बल्कि कच्चा माल जैसे चमड़ा, अन्न वगैरा भेजा करते थे। उन्होंने कहा कि यह चीज गलत है क्योंकि मशीनों तथा लोहा आदि पर हम विदेशों पर निर्भर करते थे और ज्ञान की कमी थी।

एक चीज सरकार भी महसूस करती है कि मजदूरों के रहन-सहन का स्तर गिरा है जिससे उनकी दक्षता में कमी हुई है और वह बीमारी के शिकार हुए हैं। देश को तरक्की करने के लिये जिस तरह से मशीनों की जरूरत है उसी तरह से स्वस्थ, सबल और टैक्नीकली एडवांस्ड मजदूर की भी जरूरत है। लेकिन हमारे यहां मजदूर जाहिल है और छोटी-छोटी कोठरियों में रहते हैं क्योंकि इनके लिये जो आवासगृह बने हैं उनका किराया इतना ऊंचा है कि बेचारे मजदूर उनमें नहीं जा सकते। बड़ी-बड़ी तनख्वाह वाले लोग वहां जाते हैं क्योंकि उनको और कोई मिलता नहीं है। मजदूरों के लिये कुछ किया गया, लेकिन उसको फायदा नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। जरूरत इस बात की है कि उन मकानों का किराया ऐसा हो जो मजदूर दे सके और जो सुविधा उसको दी गई है उससे सुख उठा सके।

हमारे यहां मजदूर की एफीशेंसी क्या है? एक दो लूम्स मुश्किल से चला पाता है जब कि अमेरिका में वही मजदूर नौ-दस लूम्स चलाता है। इतना फर्क है। मिल मालिक की अर्निंग भी कम होती है। उत्पादन भी कम होता है। जब मजदूर ज्वर से, मलेरिया से, या अन्य बीमारियों से पीड़ित होगा तो क्या काम कर सकेगा? इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिये यह जरूरी है कि उनको सारी सुविधायें दी जाय। इससे अल्टीमेटली उस इंडस्ट्री का फायदा होगा। श्रीमन्, इस ओर हमारा ध्यान कतई नहीं गया।

जब डाक्टर श्यामा प्रसाद मुकर्जी उद्योग मंत्री थे तो उनके जमाने में एक घोषणा हुई थी। वह पंडित नेहरू की सरकार में शामिल थे। वह सरकार की घोषणा थी कि सब को समान अवसर मिले, शीघ्रता से सबका जीवन स्तर बढ़ाने के लिये मुल्क के सारे साधनों का उपयोग किया जाय, सभी सम्भव उपायों से उत्पादन बढ़ाया जाय तथा समाज की सेवा में सब को समान रूप से काम देकर सेवा करने का मौका दिया जाय। मिक्स्ड इकानामी का फार्मूला था। लेकिन उन्होंने डिफाइन कर दिया था आज प्राइवेट सेक्टर क्या होगा और पब्लिक सेक्टर क्या होगा। लेकिन देश में और खासकर हमारे प्रदेश में एक कन्फ्यूजन है। पालिटिकल पार्टीज को और खास कर कांग्रेस को कुछ ऐसा लगता है कि अगर हम कोई सही-सही बात कह देंगे तो शायद लोग नाराज हो जायं। लिहाजा एक समाजवाद का भूत खड़ा किया जाय। समाजवाद के नाम पर क्या होगा क्या नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, पब्लिक सेक्टर में क्या होगा, इसका बिलकुल कन्फ्यूजन है। उद्योगपतियों को यह विश्वास नहीं है कि आज उन्होंने रुपया लगाया कल को इंडस्ट्री रहेगी या नहीं रहेगी। इससे वह पूंजी लगाते नहीं, कैपिटल फार्मेशन होता नहीं। मैं बड़े-बड़े सेठों की वकालत नहीं करता हूं। मैं एक स्टेटमेंट आफ फैक्ट कर रहा हूं। इस कन्फ्यूजन से लोगों के मन में सुरक्षा की भावना नहीं रही।

दूसरी बात यह है कि पंडित नेहरू ने या प्लानिंग कमीशन ने तीन-चार किस्म की घोषणायें की हैं। एक तो बेसिक इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में कहा, जैसे आर्म्स एंड अम्युनीशन्स हैं, वह सरकार के कंट्रोल में होने चाहिये। यह नहीं है कि डिफेंस किसी प्राइवेट कैपिटल पर मुनहसर हो। हमको विदेशों से सबक लेना चाहिये। जर्मनी में एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने रूस और इंगलैंड दोनों को हथियार बेच दिया और दोनों तरफ से फायदा उठा लिया। अगर कोई ऐसा कैपिटलिस्ट दुर्भाग्य से हमारे देश में पैदा हो जाय तो वह यहां भी बेच देगा और हमारे दुश्मन को भी बेच देगा। जनता के सामने यह चीज बिलकुल साफ आनी चाहिये कि इतनी चीजें सरकार

अपने नियन्त्रण में रखेगी, लेकिन कुछ चीजों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस तरह की नीति होनी चाहिये लेकिन कोई क्लियर-कट पालिसी नहीं है।

नम्बर दो एक कैटेगरी बनायी है कि इसमें सरकार कंट्रोल करेगी और नम्बर तीन में यह है कि किसी हद तक सरकार कंट्रोल करेगी, जैसे गल्ले की दूकानें हैं उन्हीं के पैरेलल गवर्नमेंट ने अपनी दूकानें खोल दीं। इस तरीके से कंट्रोल करेगी कि एक उसके कम्पीटीशन में उसी तरीके का उद्योग लगायेगी या उसमें ही वह अपना हस्तक्षेप करेगी और उसको अपने हाथ में ले लेगी।

तीसरी सरकार ने यह नीति निर्धारित की है कि इस उद्योग को लोग कर सकते हैं, लेकिन सरकार जब चाहे तब उसमें हस्तक्षेप करे तो इससे एक दुविधा का वातावरण हो गया है। इससे कैपिटल फार्मेशन हो नहीं रहा है, उद्योग तरक्की नहीं कर पा रहा है। एक यह खप्त कि हर चीज का राष्ट्रीयकरण होगा, समाजवाद होगा, यह समाजवाद का नारा जब से चल गया है तब से उसका कन्फ्यूजन हो रहा है। होना क्या चाहिये था कि बेसिक इंडस्ट्रीज को सरकार अपने हाथ में लेती, जैसे डिफेंस की इंडस्ट्री है उसे सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। बाकी तो श्रीमन्, जैसे आयरन वगैरह हैं या रेलवे हैं वह तो सरकार के हाथ में हैं ही। लेकिन जैसे टेक्सटाइल्स वगैरह हैं ऐसी चीजों में विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये था और वह भी लघु उद्योगों में होना चाहिये था। मगर सरकार की तो दुधारी नीति है। केवल एक चुनाव में जीतने के लिये करोड़पतियों से कुछ लाख रुपया वसूल करने के लिये ऐसी नीति वह रखती है। मान लिया कि इससे दस वर्ष कांग्रेस और रह गई तो उससे क्या हो जायगा जबकि देश ही खत्म हो जायगा जब देश ही नहीं रहेगा वह यहां किसके लिये रहेगी? जिस देश के लिये इतनी सारी कुर्बानियां कीं वह क्या इसीलिये कि दस वर्ष हम यहां और बने रहें?

अब हो क्या रहा है? सरकार का चीनी उद्योग पर कब्जा होगा, चाहें गेंदा सिंह जी अपना सिर पटक दें गरीबों के लिये लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जायगी। इसी तरह टेक्सटाइल का है। उसमें क्या होना चाहिये था कि सूत मामूली आदमी कात नहीं सकता, तो उसे तो मिलों को दे दें, लेकिन कपड़े बुनने की यह व्यवस्था होनी चाहिये कि वह कपड़ा आजमगढ़ का जुलाहा ही बुनेगा, कानपुर के सेठ सिंहानियां और कमलापति नहीं बुनेंगे। उन पर रोक होनी चाहिये थी। मैंने कहा कि धोती के जोड़ों पर कर दो और खास-खास किस्म के पैटर्न पर कर दो, उससे ही बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जायगा। लेकिन सरकार वह नहीं कर सकती। इस किताब में हमने यह देखा कि सरकार कहती है कि लघु उद्योगों में ३ लाख ६५ हजार आदमियों को हम ऐडीशनल वर्क दिला सकेंगे, ऐसी व्यवस्था वह कर रही है। तो यह तो एक पायस विश है। पहली और दूसरी योजना में जितने लोगों को रोजगार दिलाने की बात रखी थी वह पूरी नहीं हुई, आधी भी पूरी नहीं हुई।

आज मान लिया कि नया मंत्रिमंडल आया है, उसका विश्वास भी कर लिया, लेकिन बेकारों की संख्या जो आज १९ लाख है वह कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है? इसमें से हम किसानों को रोजगार दे पायेंगे? १९ लाख तो इस वक्त बेकार हैं और आगे कितने और बढ़ जायेंगे क्योंकि एक चीज का प्रोडक्शन तो काफी तेजी से चल रहा है गोया कि हमने और त्रिलोकी बाबू ने उस पर कुछ रोक लगाने की कोशिश की है, लेकिन उससे क्या होता है? तो उनकी संख्या कितनी बढ़ जायगी, इसका कोई अन्दाज नहीं है और इधर छोटे-छोटे उद्योगों का सरकार ने गला घोंट दिया है इस समाजवाद के नारे के द्वारा।

बरेली में एक लीसा की फैक्ट्री चल रही है। एक लाख मन लीसा उसे दिया जाता रहा। सरकार कहती है कि यह जनतन्त्र की सरकार, है, उसके सारे अधिकारी लोग जनता के नुमाइन्दों की बातें बहुत मानते हैं, और उनका बड़ा आदर करते हैं। उसने इवैल्यु-एशन कमेटी भी बनायी, लेकिन अक्सर आर० टी० ए० या ईवैल्युएशन कमेटी जो वह बनाती

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

है उसको वह कांग्रेसमैनों के लिये रिजर्व रखती है, विरोधी दल का उसमें कोई नहीं है। तो उन्होंने यह किया कि केवल ५ हजार मन लीसा दिया मुनि की रेती को छोटे उद्योगों के पैमाने पर, तो उससे ६८ हजार रुपये का फायदा हुआ। बरेली की फैक्ट्री को १ लाख मन से दो लाख और सवा दो लाख मन दिया जाने लगा और १३ रुपये या १५ रुपये की मन के हिसाब से दिया जाता है जबकि मार्केट रेट ३० रुपया था और अब तो ४० और ४५ रुपया हो चुका है, तो इतनी सबसिडी देने के बाद भी बरेली की फैक्ट्री को जितना लीसा काम में लाया गया उसमें सवा रुपया फी मन के हिसाब से ही फायदा हो पाया। वह फैक्ट्री चार महीने ही चल पायी। तो छोटे उद्योग में ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। मगर चूंकि लीसा फैक्ट्री में सरकार के थोड़े से अफसर हैं, कुछ कमिश्नर कहलाते हैं, कुछ मैनेजर कहलाते हैं नये-नये रूप में हैं, स्पेशल पे मिलती है और काफी स्टाफ रहता है। इस बार सुना है कि बरेली की फैक्ट्री को ५, ६ लाख मन लीसा मिलेगा। अगर सरकार छोटे पैमाने पर, सहकारिता के आधार पर इसका बटवारा करती तो उससे हजारों, लाखों आदमियों को काम मिलता। ऐसा करने से सरकार का फायदा कम है। अगर वह कुल लीसा मार्केट में बेचते तो ४० रुपये के हिसाब से कच्चा लीसा दिया गया है। तीन लाख मन लीसा का दाम अगर ७० रुपये के हिसाब से भी लगाया जाय तो ५१ लाख रुपया हो जाता है। लेकिन आप के यहां ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें घाटा होता है। तो इस तरह से आपको फायदा नहीं होगा।

हमारे अफसर काबिल हैं और मुझे उनकी नीयत पर भी शक नहीं है, मैं उनकी आनेस्टी पर भी हमला नहीं करूंगा, लेकिन वह प्रशासन के लिये पैदा हुए हैं। उनका एटीट्यूड बिजनेस का नहीं है। आपने उनको बिजनेस करने के लिये डाल दिया है। वह तो आर्डर लिखते हैं और प्रेसीडेंट से गवर्न होते हैं। उनमें रिस्क लेने की भावना नहीं। बनिया तो रिस्क भी लेता है, लेकिन अगर वह जरा भी इधर-उधर कुछ करें तो एकाउन्टेंट जनरल उनकी गर्दन पकड़ लें। हम लोग ही कहते हैं कि बिना सेंक्शन आपने यह कैसे खर्च कर दिया। हां, इस सब के साथ उनमें अंग्रेजियत जरूर है। वे पूरे साहब हैं। अंग्रेज तो कभी-कभी अपना बगीचा भी देख लेता था, ये साहब खुरपी भी नहीं छू पाते। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह स्थान वे बिजनस मैनों को दें, यह नहीं कि हल्दी भी हम बेचें, नोन भी हम बेचें, साग भी हम बेचें। ऐसा होने से वे बेचारे क्या करेंगे ? सरकार का काम शासन का है, उसे आप करें और जिस पर सरकार आधारित हो वह काम आप लें बाकी सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण आप न करें। उनको दूसरों के लिये छोड़ दें।

कुमारी कमल कुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं पीछे बैठा रह जाता हूं और आप के कान तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाती . . . .

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि समय निर्धारित कर दिया जाय। नहीं तो नेता लोग ही बोलेंगे और पीछे वाले रह जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, यही पांच छः लोग बोला करते हैं और हम लोगों को समय नहीं मिल पाता। श्रीमन्, १० मिनट हम लोगों के लिये रहे, १५ मिनट नेता के लिये होने चाहिये और श्रीमन्, हम लोग बोल लें उस के बाद नेता लोग बोलें।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें और अगर नहीं बैठते हैं तो सदन को छोड़ दें।

श्री टीकाराम पुजारी---कितना समय लिया है उन्होंने और कितना ऊटपटांग बका है। कोई अर्थ नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आप सदन को छोड़ दें। आप सदन छोड़ें या तत्काल बैठ जायं।

श्री टीकाराम पुजारी---जो अभी मैंने निवेदन किया है उसका आप जरा ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष---आप सदन को छोड़ जायं।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं बैठ जाता हूं।

कुमारी कमलकुमारी गोइदी---मैं आपकी कृतज्ञ हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। मैं इसके समर्थन के लिये खड़ी हुई हूं। मैं माननीय सदस्य की बातों का उत्तर न दे कर कुछ अपने विचार सदन के सम्मुख रखूंगी।

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। सब लोग इस चीज को मानते हैं कि हमारे यहां इस विभाग में बहुत तरक्की नहीं हुई। अगर हम अपने पड़ोस के सूबे से अपने को कंपेयर करें तो मालूम होगा कि हम कितने पिछड़े हुये हैं। पंजाब के बारे में मालूम होगा कि वहां पर हर प्रकार के उद्योगों में तरक्की हुई है। लोहे का सामान, बिजली का सामान, स्पोर्ट्स का सामान, मोजे, बनियाइन, साइकिलें तथा उनके पार्ट्स, सीने की मशीनें आदि करोड़ों रुपये की चीजें दूसरे देशों और प्रदेशों में जाती हैं और वहां से धन आता है। इसलिये देखना यह है कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं और क्या कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ सके। यहां पर मजदूरी सस्ती, रा मैटीरियल सस्ता, कोयले तथा लोहे आदि की ढुलाई का खर्चा कम, यह सब होते हुये भी हम पिछड़े हुये हैं। पंजाब से यहां पर यह सभी चीजें सस्ती हैं। तो हमें इनके कारणों को भी देखना चाहिये। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं।

इसका एक कारण यह भी है कि पंजाब में सन् १९४७ के बाद एक नीति अपनाई गई जिसके अनुसार वहां की सरकार ने भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये मैनुफैक्चरर्स की एक कमेटी बना दी और उनको एक वार्षिक धनराशि व कच्चा माल दे दिया ताकि वे अपने कार्यों में उसका उपयोग कर सकें। उसमें उनको काफी सफलता भी प्राप्त हुई। यहां मुख्य कारण है कि कारखानों की मन्जूरी बिना सोचे समझे दे दी जाती है। दूसरे रा मैटीरीयल के कन्ट्रोल का और वितरण का गलत तरीका, बिजली देने का डिफैक्टिव तरीका, सेल टैक्स तथा चुंगी का गलत तरीका, रेलवे ट्रान्जिट की दिक्कतें, लाइसेन्स आदि देने की गलत प्रणालियां, तथा अन्य बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं इलाहाबाद करछना क्षेत्र, जिसमें नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी है, से आती हूं। इस क्षेत्र की कठिनाइयों के कुछ उदाहरण देती हुई मैं सारी तस्वीर आपके सामने रखना चाहती हूं। मैं पहले कारखानों की मंजूरी जो बिना सोचे समझे दे दी जाती है उसके विषय में कहना चाहती हूं। नैनी कालोनी में एक आर० सी० पाइप की फैक्टरी है। बड़ी मेहनत से, रा मैटीरियल के कम होते हुये भी, उसके मालिक ने वहां पर उस फैक्टरी को चालू किया। इस पाइप के बनाने में खर्चा बहुत पड़ता है। इनके सामने कई दिक्कतें थीं और यह अपनी दिक्कतों को हल भी नहीं कर पाये थे कि सरकार ने इलाहाबाद में दूसरी फैक्टरी लगाने की मंजूरी दे दी। इन पाइपों को सरकार ही लेती है और इनके ट्रान्जिट पर खर्चा भी ज्यादा पड़ता है। तो ऐसी सूरत में सरकार को ऐसी प्लान बनानी चाहिये थी कि इस प्रकार के कारखाने कम से कम दो सौ मील की दूरी पर होते जिससे सरकार को भी माल सस्ता पड़ता।

(इस समय १२ बज कर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां, पीठासीन हुये।)

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

दूसरे यह कि वहां पर रा मैटीरियल के वितरण की गलती है । स्थानीय आफिसर अगर किसी काम के लिये १०० मन को सिफारिश करता है तो ५० मन स्वीकार होता और मिलने के समय तक वह केवल २५ मन ही रह जाता है । जितने के लिये दरख्वास्त देता है उसका १/४ हिस्सा उसको मिल पाता है । इसके अलावा जो गलत तरीके अपनाता है, गलत लिख कर देता है, उसको ज्यादा मिल जाता है । उदाहरण के लिये अगर किसी को १०० मन की जरूरत है और वह ५०० मन के लिये दरख्वास्त देता है तो घटते-घटते उसे १०० मन तक मिल ही जाता है । अगर रा मैटीरियल की कमी थी तो एक ही स्थान पर दो दो कारखानों को खोलने की मंजूरी देने की क्या आवश्यकता थी ? दोनों को निराश करने से क्या फायदा ? एक को आप बिजली दे नहीं पाये, दूसरे को आपने कारखाना खोलने की इजाजत दे दी । कीमत कम होने के कारण दलाल लोग किसी तरह से परमिटों को प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसे महंगा करके बेचते हैं ।

अब एक बात मैं बिजली के वितरण के बारे में भी कहना चाहती हूं । हमारा कहना यह है कि नैनी में एक प्लान्ट लगा हुआ है । जब सरकार ने वहां करोड़ों रुपये का धन अपना और कारखानेदारों का लगवाया और प्लान्ट भी उन्हीं की सहायता के लिये लगवाया तो उनकी मांग पूरी करके बची हुई बिजली Industrial colony से बाहर दी जानी चाहिये । फिर आगे सोचते कि कहां पर बिजली दी जाय । इसलिये मैं सिर्फ यह कहती हूं कि लाइसेंस देने से पहले देख लें किसी भी फैक्टरी को कि इसके पास बिजली है या नहीं है । अगर न हो तो ऐसा तय करके अनुमति दें कि जिससे बिजली के बिना वह कार्य कर सकें । इसी तरह एक के पीछे तीन कारखाने तो पंजाब में भी ऐसे हैं कि जहां पर बिजली नहीं मिलती है, लेकिन वह दूसरी भट्टियों से काम करते हैं । उनको कह दिया जाता है कि बिना बिजली के कार्य करना हो तो अनुमति दी जायगी ।

इसके अलावा सेल्स टेक्स के बारे में यह कहना है कि हमारी टैक्जेशन की पालिसी गलत है । अगर हम दूरदर्शिता से काम करें तो जो हमारी पहले की पनपी हुई फ़ैक्टरीज हैं उन पर अधिक टैक्स लगाकर जो नई पनपने वाली हैं, उनको पनपने दें तो उनकी फूटिंग पूरी तरह जम जाय, तब वह आगे अपने पांव पर खड़ी हो सकेंगी । बहुत अर्से के लिये तो नहीं, लेकिन दिक्कतों को देखते हुये यह जरूरी है कि जब तक पनप न जायं तब तक पुरानी फैक्टरीज के ऊपर ही लाद कर इन को खड़ा होने दिया जाय ।

इसके अलावा ट्रांजिट की बहुत भारी दिक्कत है । बुकिंग के लिये ३–३, ४–४ महीने तक नैनी स्टेशन पर इन्तजार करना पड़ता है और राम-बाग स्टेशन की तरफ ले जाते हैं तो उसमें भी वहां चुंगी पड़ती है । इसलिये मैं केवल इतना ही अपनी सरकार से कहना चाहती हूं कि वहां की जो रेलवे साईडिंग है वह उस कालोनी में आ जाय जिससे कि भारी भारी जो ट्रांजिट की चीजें हैं वह लद करके स्टेशन तक पहुंच सकें और उनकी यह असुविधा दूर हो जाय ।

इसके अलावा मुझे एक बात, मान्यवर, यह कहनी है कि हमारी चीनी का क्या हाल हुआ । ७५० रुपया प्रति टन चीनी की कीमत भारत में, और दूसरे देशों के मार्केट की कीमत ४०० रुपया है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, थोड़ा और टाइम दे दीजिये ।

चार सौ रुपये में भी उनको दे नहीं पा रहे हैं । चूंकि वह लेते नहीं है, इसलिये यह जमा हो गई है । साथ ही जावा और हवाई में जहां पर २०० मन पर एकड़ चीनी होती है और भारत में ४० मन पर एकड़ होती है, उनके मुकाबले में तो हम अवश्य ही पीछे रहेंगे, लेकिन हमारे जो अर्थशास्त्र के पंडित हैं वह रिकवरी के ऊपर बात करते हैं । वह कहते हैं कि ६–७ परसेंट खंडसारी में रिकवरी होती है और चीनी में १० परसेंट होती है, इस तरह से १९ करोड़ रुपये का जनता को

फायदा हुआ, चूंकि चीनी अधिक निकली और टैक्स का फायदा सरकार को १५ करोड़ का हुआ। तो मैं निहायत नम्रता से बताऊं कि जरा भी जानकारी होती या वास्तविक तथ्यों का उनको ज्ञान होता तो वे जानते होते कि खंडसारी में जो ३ परसेंट राब होती है वह आम जनता खाती है, वह उनको सस्ती मिल जाती है और जाया नहीं जाती है। इस तरह से ५७ करोड़ रुपये की चीनी का काम देती है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इन चीजों के तथ्य को अगर सामने रखा जाता तो यह समस्या जो आज चीनी के ब्लाक हो जाने की हमारे सामने आ गई है वह उत्पन्न ही न हुई होती। हमको छोटी-छोटी मशीनों के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिये था।

मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूं कि हमारे घने बसे हुये प्रदेश के लिये यह उचित है कि जो बड़े कारखाने हमारे फालतू समय के काम को छीनते हों वे न लगाये जायं, जैसे कपड़े, चीनी, तेल तथा धान कुटाई की बड़ी मिलें। केवल वही बड़े कारखाने लगाये जायं जो ग्रामीण धंधों को बढ़ाने में सहायक हों और छोटे कारखानों की मदद करें और ऐसी वस्तुओं के कारखाने जो गांव में न बन सकती हों, जैसे बिजली, लोहा, सीमेन्ट आदि। हमारा सारा आर्थिक ढांचा अंदरूनी मांग पर हो, नहीं तो अंधाधुन्ध नीति हमारे लिये समस्यायें पैदा कर देंगी और उस से हमारे प्रदेश का फायदा नहीं होगा। जिस प्रकार से हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये पूज्य बापू जी की नीति अपनानी पड़ी थी उसी तरह से स्वतंत्रता को कायम रखने के लिये हमें उन्हीं की उद्योग नीति अपनानी पड़ेगी। नैनी कालोनी में बिजली का प्लान्ट लगा है, उसकी बिजली पहले वहीं के कारखानों को मिलनी चाहिये ताकि वहीं के कारखाने जिन पर काफी रुपया लगा है वह फेल न हो जायं। पानी तथा हास्पिटल का भी वहां पर सुचारु रूप से प्रबन्ध होना चाहिये .....

श्री अधिष्ठाता--समय समाप्त।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। देश और प्रदेश में ज्यादा तर खेती करने वाले लोग रहते हैं और खेती से ही उनका जीवन निर्वाह होता है, लेकिन देखने में यह आया है कि आबादी के बढ़ जाने से प्रान्त में खेती की कमी हो गई है, कृषि से पूरा नहीं पड़ रहा है और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। इस सम्बन्ध में देश के विचारकों का निश्चित मत है कि गांवों में जब तक छोटे-छोटे उद्योग धंधे नहीं बढ़ाये जाते हैं तब-तक वहां की गरीब जनता को रोजी मिलना मुश्किल होगा। इसलिये जब तक गवर्नमेंट का खयाल गावों के छोटे छोटे गृह उद्योगों की तरफ नहीं जायगा तब तक गांवों की तरक्की होना असम्भव सा मालूम हो रहा है।

मान्यवर, गांवों में कोई नये उद्योग नहीं कायम करने हैं। गांवो में उद्योग धंधे मौजूद हैं। गरीब आदमियों के लिये अगर गावों में बांस की खपाची या अरहर के डंठल से खांची तैयार कराने की व्यवस्था की जाय और गवर्नमेंट की तरफ से उनके माल की सप्लाई की कोई व्यवस्था कर दी जाय तो इससे गांव के हरिजनों का काफी उत्थान हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का इस तरफ कोई ध्यान विशेष रूप से नहीं है।

मान्यवर, हमारे प्रान्त में दो पंचवर्षीय योजनायें व्यतीत हुईं, लेकिन गांवों में क्या गृह उद्योग स्थापित किये गये, गांव की गरीब जनता का क्या उत्थान हुआ, यह कहीं मुझे नहीं दिखलाई देता। यूं तो किताबों में छपता है या प्रकाशित होता है कि गवर्नमेंट ने यह उद्योग धंधे फैलाये, इतना अनुदान दिया और इतना पैसा खर्च किया, लेकिन गांवों में कुछ भी पैसा नहीं मालूम होता कि गवर्नमेंट द्वारा जो गृह उद्योग खोले गये उससे गरीब जनता का कोई कल्याण हुआ हो। मुझे कुछ भी ऐसा पता नहीं लगता है।

मान्यवर, सौभाग्य से इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान गाजीपुर के उद्योग धंधों की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर,

[श्री यमुना सिंह]

गाजीपुर ऐसा जिला है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि आजादी की लड़ाई में गाजीपुर सर्वोपरि रहा। वहां के लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां कीं। लेकिन गाजीपुर के साथ जो सरकार की ओर से उपेक्षा रहीं वह मेरी समझ में नहीं आती। मैं शब्द "उपेक्षा" इसलिये कह रहा हूं क्योंकि गाजीपुर आज बगैर उद्योग धंधों के पड़ा हुआ है, यहां तक कि बिलकुल वीरान हो गया है। वहां पर कोई नया उद्योग धंधा खोलने की बात नहीं है।

गाजीपुर में गुलाब और केवड़े के इत्र का पुराना उद्योग था जो कि केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में मशहूर था, लेकिन आज वह रोजगार बिलकुल ठप पड़ा है। वहां की गरीब जनता की बदकिस्मती है कि उधर सरकार का ध्यान ही नहीं जाता। शहर के आस पास गुलाब और केवड़े के बाग लगे हुये हैं, लेकिन वह खंडहर पड़े हुये हैं बिला मरम्मत के। अगर इस उद्योग का ही वहां पर उत्थान कर दिया जाय, सरकार वहां कुछ पैसा दे दे, तो शहर के आस पास के लाखों आदमियों को रोजगार मिल जाय। जब वहां पर गुलाब और केवड़े के बाग लगाये जायेंगे तो उनमें पानी दिया जायगा, खाद डाली जायगी, उसके लिये आदमियों की जरूरत होगी। वे गरीब आदमी आस पास के किसान ही होंगे और उनसे उनको पैसा मिलेगा। हजारों आदमियों को रोजी मिल जायगी। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि गुलाब और केवड़े की खेती गाजीपुर में बढ़ाई जाय।

गाजीपुर जिले में ऊसर जमीन ज्यादा है। ऊसर जमीन की खास बात है 'ऊसर बरसे तृन नहिं जामा'। चाहे जितना पानी ऊसर में बरसे, लेकिन घास नहीं जमती। ऊसर जमीन वह होती है जिसमें रेह होता है। इस रेह से वहां के लोग सज्जी तैयार करते हैं। इससे शीशा भी बनाया जा सकता है। इसलिये इस गृह उद्योग को भी गाजीपुर में पनपाने की आवश्यकता है। वहां के रेह को इकट्ठा करने की जरूरत है। वहां एक जाति है—बौहान, वह यही काम करती है और दो महीने काम करके अपने साल भर के लिये खर्चा निकाल लेती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का ध्यान भी गरीब गाजीपुर की तरफ हो जाय और वहां पर शीशे की छोटी सी फैक्ट्री खोल दी जाय तो वहां पर काफी लोगों को रोजी मिल सकती है। जहां आज १ हजार पैदा किया जाता है वहां २–३ हजार पैदा किया जा सकेगा। आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त गाजीपुर में ईख की खेती करीब आधी होती है। मान्यवर, अगर वहां पर ईख की खेती और बढ़ाने की कृपा की जाय तो हमारी बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। वहां का किसान दो चार महीने खेती करने के बाद बेकार हो जाता है। इतनी ईख वहां होती है, लेकिन वहां पर कोई चीनी की फैक्ट्री भी नहीं है। वहां की बेकारी को समाप्त करने के लिये वहां कोई फैक्ट्री या उद्योग धंधा खोला जाना चाहिये। सुना गया था कि औड़ार में शुगर मिल खुलने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से वह भी नहीं खुल सकी, जिसका बहुत बड़ा अफसोस है।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—अधिष्ठाता महोदय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। ५ वर्ष के बाद हमने यह अनुभव किया कि हमारी आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। केवल खेती से हम लोगों का काम नहीं चलना है। यह खयाल किया गया कि लोगों का ध्यान खेती पर से हटाकर के छोटे उद्योग धंधों पर लगाया जाय और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर काफी जोर दिया गया और काफी रुपया इसके लिये रखा गया। मुझे खेद है कि माननीय गेंदासिंह ने कम्यूनिटी प्रोजेक्ट पर बोलते हुये यह कहा कि जितना रुपया इस प्रदेश में खर्च होना चाहिये था वह खर्च नहीं हुआ यह बात किसी हद तक सही हो सकती है मगर सही बात तो यह है कि कोई इंडस्ट्री एक दिन में नहीं खड़ी हो जाती। श्रीमन्, इंडस्ट्री के लिये एक वायुमंडल तैयार करना पड़ता है, लोगों को इंडस्ट्री माइन्डेड बनाना पड़ता है तब जा करके इंडस्ट्री होती है। फिर

रा मैटीरियल की दिक्कत पड़ती है। कोई इंडस्ट्री खड़ी भी हो जाय तो रा मैटीरियल की दिक्कत से उसमें परेशानी बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि बहुत सी रा मैटीरियल्स पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कोयला, लोहा और इस्पात आदि। कभी कभी इन सब चीजों की वजह से दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत इंडस्ट्री के न बढ़ने की यह भी है कि हमारे प्रान्त में उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जितनी इलेक्ट्रिसिटी की मांग आज कल इंडस्ट्रीज के लिये हैं। अगर उस मांग को पूरा कर दिया जाय तो मुझे आशा है कि हमारा प्रदेश और बहुत से प्रदेशों से इंडस्ट्री के मामले में आगे बढ़ सकता है, मगर बिजली की कमी की वजह से कुछ दिक्कतें हमारे सामने आती हैं।

उदाहरण के लिये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी को ले लीजिये। आज से १० वर्ष पहले वह कायम हुई। उसमें घाटा होता रहा। इधर हम देखते हैं तीन चार सालों से वह फैक्टरी फायदा दे रही है। यह भी कहा गया कि हमारा प्रान्त, बैकवर्ड और प्रान्तों की बनिस्बत है। लखनऊ में आज ११० यूनिट्स काम कर रही हैं। साईकिलें बन रही हैं, साइकिलों के पुरजे बन रहे हैं, पेंच बन रहे हैं, हिन्जेज बन रहे हैं, चपकन बन रहे हैं, तरह-तरह की चीजें लखनऊ ऐसे शहर में जहां लोग नफासत के लिये मशहूर हैं, बन रही हैं। इसी तरह से गाजियाबाद में बहुत सी इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं। वहां भी इस कदर बिजली की मांग है कि सरकार बिजली की मांग को पूरा नहीं कर सकती है। अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उतनी तरक्की नहीं कर सके जितनी कि हम आशा करते थे तो उसके यह सब कारण हो सकते हैं।

सरकार ने एक स्माल स्केल इंडस्ट्री कारपोरेशन कायम किया है। और वह कारपोरेशन स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से कुछ जूते का आर्डर जो रशा वगैरह से आते हैं लेता है और फिर आगरा और कानपुर के उद्योगपतियों के जरिये से एक्जीक्यूट कराता है। हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में पशुधन बहुत ज्यादा है। अगर कोई फैक्टरी बाटा की तरह आगरा में कारपोरेशन कायम करती तो मेरे खयाल से ज्यादा अच्छा होता और जनता को उससे सस्ते जूते मिलते।

हैन्डीक्रैफ्ट हमारे प्रदेश का मशहूर रहा है, किन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि हजरतगंज में एक शो-रूम था जिसके जरिये उसका क्रय होता था और यहां के कारीगरों को उससे प्रोत्साहन मिलता था। मगर साल भर से वह शो-रूम बन्द है। ७३ हजार रुपये लगाकर जो सीलिंग बनी वह भी कोलैप्स हो गई। इसमें किसकी गलती थी इस संबंध में मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उसके साल भर बन्द हो जाने से बड़ा नुक्सान हो रहा है। इसके कर्मचारियों को बराबर तनख्वाह दी जाती है मगर हमको तो नजर आता नहीं कि उनमें कोई काम लिया जाता हो। मैं यह चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हैन्डीक्राफ्ट के लिये शो-रूम वहां पर कायम किया जाय।

हमारे मित्र गोविन्दसिंह जी ने कहा कि सरकार छोटे-छोटे उद्योगों का गला घोट देती है। यह बात बिलकुल सत्य नहीं है। हर एक जिले में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट खुला हुआ है और सरकार द्वारा हर जिले का सर्वे कराया गया है। इसके बाद हर एक डिवीजन के लिये कमेटी कायम की गई और उसमें स्माल स्केल, हैन्डीक्राफ्ट, हैन्डलूम, विलेज इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज का सर्वे हुआ। उसके अलावा एक कमेटी बैठाई गई जिसने कि सारी कमेटियों की छानबीन करके एक रिपोर्ट तैयार की। वह सरकार के सामने है और जो छोटी-मोटी इंडस्ट्री सरकार से सहायता चाहती हैं, सरकार सभी प्रकार की सहायता उनको देती है। टैक्नीकल आदमी भी देती है और रुपये से भी सहायता करती है। फिर भी अगर यह कहा जाय कि सरकार छोटी इंडस्ट्री का गला घोट रही है तो यह कहां तक सच हो सकती है?

छोटी मोटी इंडस्ट्री को सहायता देने के लिये कानपुर में एक फायनेन्शियल कार्पोरेशन है। जहां तक उन इंडस्ट्रीज का सवाल है जो मशीनें बैठाती हैं, उनको तो रुपया मिलने में आसानी

[श्री बेचनराम गुप्त]

होती है, मशीन को प्लेज करके रुपया मिल जाता है। लेकिन काटेज इंडस्ट्री वालों को दिक्कत पड़ती है। उनके पास सिवाय मकान या रा मैटीरियल के और कुछ नहीं होता है। इस पर फायनेन्शियल कार्पोरेशन कुछ ध्यान नहीं देता है। वह तो इतनी छानबीन करता है कि सारी जन्म कुन्डली देख डालता है। उससे बड़ी परेशानी होती है। कृपया माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान दें कि फायनेन्शियल कार्पोरेशन काटेज इंडस्ट्रीज वालों को रुपया आसानी से दे सके।

सात जगहों में इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम हुई हैं और इनमें काम अच्छी तरह से चल रहा है। कुछ और भी कायम होने जा रही हैं, कानपुर में, आगरे में, और शहरों में भी कायम होने जा रही हैं। इन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स से जनता को बड़ा लाभ होता है और उनको बड़ी सुविधा मिलती है। मैं यह चाहता हूं कि इसी प्रकार की छोटी-छोटी एस्टेट्स देहातों में अगर कायम की जायं, जहां किसी इंडस्ट्री की संभावना हो, तो ज्यादा अच्छा है। विलेज इंडस्ट्री की तरफ भी सरकार का ध्यान है, काफी अच्छा काम हो रहा है और हैन्डलूम के बारे में तो यह है कि गाजियाबाद में जो हैन्डलूम के पर्दे वगैरह के कपड़े बनते हैं, मैं समझता हूं कि विदेशों से जो कपड़े आते हैं उनसे वह किसी सूरत में कम नहीं हैं। चार-पांच प्रदेशों को छोड़ कर हमारा प्रदेश और प्रदेशों से इंडस्ट्री में आगे है और अगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का और मंत्री जी का यही टेम्पो रहा और बिजली की सप्लाई होती रही तो मुझे आशा है कि यह प्रदेश बहुत प्रदेशों से आगे जायगा।

इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उद्योग किसी भी मुल्क के लिये बहुत ही आवश्यक विषय है। मैं देखता हूं कि हमारे प्रदेश में उद्योग की जो स्थिति है, बहुत ही असन्तोषजनक है और एक विचित्र रूप में दिखलाई दे रही है। मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो सरकारी प्रवक्ता यहां पर खड़े हो रहे हैं, वह तो ऐसे बहीखाते को लेकर आंकड़े पढ़ देते हैं और वह आंकड़े उस वस्तुस्थिति को इस तरह से चित्रित कर देते हैं जैसे कि यह प्रदेश उद्योग धंधों में लहलहा रहा हो। आज जो सरकार में है उनको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है, मैं चाहता हूं कि वे वस्तुस्थिति को आंकें। अगर सही रूप में वह हरियाली पर दृष्टिपात करें तो वह हरियाली कहीं नहीं दिखाई देती है, बल्कि स्थिति भयावह होती जाती है। सरकार की ही रिपोर्ट को मैं पढ़ देना चाहता हूं। ३९ पेज पर जो सरकारी उद्योग धंधे हैं २७ से लेकर २९ तक, यह सूती वस्त्र उद्योग हैं उनके बारे में कहा गया है कि "सूती उद्योग विस्तृत रूप में दिखाई देते हैं, राज्य में कुल मिलें ३२ हैं जिसमें से १७ कम्पोजिट मिलें हैं जहां कताई बुनाई दोनों होती है, और ११ कताई मिलें और ४ बुनाई मिलें हैं। और कुल कारखानों में १ जनवरी, सन् ६० तक लगे हुये तकुआ और करघों की संख्या ८,४२,६९८ और १३,७१६ हैं"।

अब यह देखिये कि यह आंकड़े जो हैं इनसे कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन मतलब तो आगे निकलता है। रपट में लिखा है कि "यद्यपि इस प्रदेश में जनसंख्या पूरे भारत की जन संख्या का १७ प्रतिशत है, यहां पर सूत और कपड़ा बनाने की दृष्टि से यह क्षेत्र अभाव ग्रसित रहा है"। जब क्षेत्र अभावग्रस्त रहता है तो अब भी इस प्रदेश को सूत और कपड़ा बनाने की दृष्टि से कमी है तो फिर सरकार को इन साधनों को इकट्ठा करना चाहिये, क्योंकि हमारा प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है कि यहां पर जो सूत का उद्योग है उससे यहां की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिये मैं सरकारी प्रवक्ताओं की कोई भी बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जब सरकारी रिपोर्ट भी इस बात को कहती है कि सूती वस्त्रों के उद्योग में विस्तार होते हुये भी बाजार के अनुसार पिछले वर्षों में बढ़ने की अपेक्षा उसके आकार में कमी ही हुई है तो इतना तो इस

रिपोर्ट को पढ़ना चाहिये। जिस तरह से हमारी जन संख्या बढ़ रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए जब सूत के उद्योग का आकार पहले की बनस्बित कम हुआ तो इस बात को सरकारी रिपोर्ट स्वयं कह रही है, लेकिन शायद हमारे मंत्रियों को उस को पढ़ने की फुरसत कहां ? क्योंकि उनको तो और भी कई बातें देखनी होती हैं, अपने सगे सम्बन्धियों को देखना होता है, तो उनको इतनी फुरसत कहां कि किसी बात को सोच समझ कर देख सकें! रपट में लिखा है कि कई मिलें बन्द हुईं और टूट-टूट कर चलीं। मैं तो हैरत में पड़ा हूं कि हमारे प्रदेश को क्या होने वाला है।

इसके साथ-साथ जरा आगे भी देखा जाय कि हमारे यहां पर कोयला मिल सकता है। यह कहा गया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद कहा कि मिर्जापुर में कोयला मिल सकता है, पता नहीं सरकार किस दृष्टि से देखती है। वहां पर साहु कैमिकल्स की जो फैक्टरी है वहां पर कोयला नहीं है,कल वहां के मजदूर मुझे दिखाई दिये,उनसे पता चला कि वहां पर कोयला ही नहीं है, लेकिन सरकार के आंकड़े हैं कि वहां पर कोयला है। साहू कैमिकल्स की तरह से और भी मिलें है जिनको उत्तर प्रदेश की सरकार सहारा देकर चलाती है, लेकिन मिर्जापुर के बारे में कह सकता हूं कि जो वहां पर पहले छोट-छोट उद्योग चलते थे वह आज समाप्त प्रायः हो रहे हैं,जैसे कि मिट्टी के बर्तन, बनारस की साड़ी। चुनार की मिट्टी के बर्तन दुनिया में मशहूर समझ जाते हैं, लेकिन वह उद्योग समाप्त हो गया है, बनारस की साड़ियों का काम बन्द सा हो गया है और जो सरकार के पास पहुंचते हैं वह असली कारीगर पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत से लोग यहां से दूसरी जगह चले गये हैं। बनारस की साड़ियों के बारे में जिनको जानकारी है वह जानते होंगे कि जो साड़ी का काम करने वाले हैं उनको सरकार से मिलने का मौका ही नहीं मिल पाता है, जो बीच के दलाल हैं उनको भले ही कुछ मिलता होगा, लेकिन जो असली कारीगर है, कुशल कारीगर है, वह तो सरकार तक पहुंच ही नहीं पाता है। उनके पास पहुंचते हैं बीच के दलाल। वे रेशम को जो सही मानों में कारीगर हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं, उनसे डेढ़ गुना और दुगुना मूल्य पर बेचते हैं और सरकार से सस्ते दाम पर लेते हैं। उनकी दशा का वर्णन यहां सदन में किया गया, लेकिन सरकार उसे देख नहीं रही है।

सरकार कहती है कि वह सहकारी समिति बना कर जो लोग आयंगे उनके जरिये सूत का वितरण करेगी। मान लीजिये, कोई बाजार है जहां पर यह रोजगार हो रहा है। चार बड़े-बड़े आदमियों ने अपनी कोआपरेटिव बना ली। सरकार की ओर से उनको रेशम मिल गया और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उस रेशम को वे उनको ऊंचे दामों पर देंगे क्योंकि सरकार उनको देना नहीं चाहती। आज कोआपरेटिव के नाम पर सही मानी में एक की जगह तीन पूंजीपति बैठा देना यह सरकार चाहती है। कोआपरेटिव के आखिर मानी क्या हैं ? मैं हैरत में पड़ जाता हूं, जब सरकार के मंत्री लोग बोलने लगते हैं तो किसी शब्द की समुचित वैज्ञानिक व्याख्या तक नहीं समझते। किसी शब्द को तोड़ मरोड़ कर, उसकी आत्मा को मार कर जनता को गुमराह करने में यह सरकार माहिर है।

बनारस के पीतल के बर्तन साफ, चमड़े के कारीगर साफ ! मुझे याद आ गई बेचनराम गुप्त जी मेरे पूर्ववक्ता की बात। लड़ भिड़ कर मिनिमम वेजेज एक्ट कालीन बनाने वालों के लिये तैयार हुआ, मगर आज कालीन बनाने वालों की स्थिति क्या है ? एक बार नहीं, अनेक बार सरकार का दरवाजा खटखटाया जाता है। मजदूरों की छटनी करनी होती है या उनकी वेजेज (तनख्वाह) नहीं देनी होती है तो एक मालिक की जगह दूसरा मालिक बदल दिया जाता है। रुपया बकाया रह गया तो कह दिया गया कि इस कारखाने का मालिक बदल गया है। भदोही की यह स्थिति है और सरकार कहती है कि हम बढ़िया कालीन बना रहे हैं। श्रीप्रकाश जी काशी विद्यापीठ में बोल रहे थे। उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका का उदाहरण दिया कि भदोही के व्यापारी जब विदेशों को माडल देते हैं या जो नमूना लेते हैं और जो भाव लगाते है,

[श्री राजनारायण]

जब यहां का सामान वहां जाता है तो जो खरीदने वाले हैं सब रोते हैं और भारत पर कलंक का टीका लगता है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय गुप्त जी जो आज कल भ्रमण कर रहे हैं वे जरा इन गरीबों की बस्तियों में जायें और हमें अपने साथ ले चलें तो हम उनको दिखायें कि क्या स्थिति है सारे प्रदेश की।

आप जानते हैं कि आज वह देश सम्पन्न देश माना जायगा जहां पर फौलाद है, जहां कोयला है। आज हमारे यहां फौलाद की क्या स्थिति है? हमारे यहां प्राचीनकाल में भी फौलाद बनता था। प्राचीन काल में तलवारें बनती थीं, वे कितने बढ़िया फौलाद की तलवारें होती थीं।

(लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मेरे लिये तो १५ मिनट हैं?

श्री अधिष्ठाता—१५ मिनट तब होते जब यह अनुदान दो दिन के लिये होता। एक दिन के अनुदान में केवल १० मिनट ही मिलते हैं।

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष ने टीकाराम जी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था कि नेता लोग १५ मिनट और अन्य सदस्य १० मिनट बोलें।

श्री अधिष्ठाता—आप १५ मिनट बोल सकते हैं, वैसे माना तो नहीं था।

श्री राजनारायण—मैं फौलाद के बारे में कह रहा था। पहले फौलाद कैसे बनता था? अमेरिका और रूस के माडल के कारखाने यहां नहीं थे। लोहे के छोटे-छोटे टुकड़ों को लेकर बड़ी बड़ी भट्टियां बनती थीं। आज सरकार उसी तरीके को थोड़ा विकसित करके बड़े पैमाने पर फौलाद बनाने की भट्टियां चलाये। मान लीजिये, सरकार के पास पैसे की कमी है, विदेशी मुद्रा की कमी है तो विदेशी मुद्रा की कमी बराबर रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बिड़ला महोदय अमेरिका का भ्रमण करके लौटे थे तो उन्होंने एक बयान में कहा था कि भारत वर्ष में अभी २५ वर्ष तक विदेशी मुद्रा का संकट रहेगा। विदेशी मुद्रा का संकट यह सरकार नहीं टाल सकती है, वह येन-केन-प्रकारेण बना रहेगा। और जो ब्रिटेन के उद्योग-धंधे के जनरल डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि हम तो विदेशों में उतना ही रुपया लगायेंगे जितना कि विदेशों में हमारे माल की खपत से पंजी बन सकेगी, उसके अतिरिक्त देने वाले हम नहीं हैं। तो सरकार को इन मामलों को समझ लेना चाहिये कि विदेशी सरकारों ने एक उसूल बना रखा है, उसके अलावा वे कुछ देने की नहीं हैं।

अब मैं कपास के बारे में सरकार को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कपास की क्या स्थिति है। कपास का उत्पादन प्रति एकड़ पौंड में, पंजाब में २२२, केरल में १७८, मद्रास में १२४ और उत्तर प्रदेश में १२३। तो कपास के उद्योग-धंधे को चलाने के लिये सरकार की ओर से क्या व्यवस्था हो रही है? जूट के कच्चे माल की खेती को बढ़ाने के लिये सरकार की ओर से क्या व्यवस्था हो रही है? हमारे यहां शिवपुर सन के व्यापार की एक बड़ी भारी मंडी है। जरा वहां की स्थिति को देखा जाय। सन के व्यापारियों के पास इस साल कुछ पैसा हो यगा है, मगर जो कच्चा माल पैदा करते हैं उनके लिये सरकार ने क्या किया? क्या उनके माल को उचित कीमत पर बिकवाने की सरकार ने कोई व्यवस्था की?

अब जरा बिजली के बारे में देखिये। हमारे यहां गंगा नदी एक महान नदी है, विश्व की एक बड़ी नदी है। ४०० मिलियन एकड़ फीट गंगा में पानी है मगर आज केवल ५६ मिलियन एकड़ फीट पानी प्रयोग में आ रहा है। अगर सरकार उद्योग-धंधों को विकसित करने वाली होती तो सबसे पहले उसको इसकी योजना बनानी थी और बिजली की पैदावार को बड़े पैमाने पर करके छोटे छोटे उद्योग-धंधों को विकसित करने की योजना सरकार की ओर से आनी चाहिये थी।

मगर यह सरकार आज पाखंडपूर्ण शब्दों में गांधी जी की स्तुति करना चाहती है जो कि सही माने में देश के पतन का सबसे बुनियादी कारण है ।

श्रीमन्, गन्ने की व्यवस्था को देखिये । सरकारी आंकड़ों के अनुसार सारे देश में कुल १२२ चीनी मिलें हैं जिनमें से ७७ अकेले हमारे उत्तर प्रदेश में है । सरकार जब तक औद्योगिक अ र कृषिजन्य वस्तुओं की कीमत में संतुलन नहीं करेगी तब तक सही मानें में किसी प्रकार के उद्योग को समुचित मात्रा में विकसित करने की बात करना, यह सरकार का बिलकुल ढोंग है । चीनी का मूल्य, जरा सदस्यगण इसका विश्लेषण करें, गन्ने का मूल्य २९·४ प्रतिशत मगर जो कर लगता है वह ३१·३ प्रतिशत, उत्पादन व्यय १५·८ प्रतिशत, परिवहन ५ प्रतिशत, व्यापारिक ५ प्रतिशत और लाभ ३·५ प्रतिशत । अगर इस विश्लेषण को सही माने में समझना चाहते हैं तो सरकार को देखना चाहिये कि आज चीनी के मामले में इतनी जबरदस्ती करके किसानों का धीरे-धीरे गला घोटा जा रहा है । तो किसानों का गला घुटता चला जाय और सरकार उनकी हड्डी और खून को चूसती चली जाय कर के रूप में, यह स्थिति अब असह्य होनी चाहिये और इसको समाप्त करने की कोशिश सरकार की ओर से होनी चाहिये और अगर सरकार न करे तो जनता को इस को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिये ।

मेरा एक सुझाव है कि चाहे वह चमड़े का उद्योग हो, चाहे जूते के फीते का रोजगार हो, जो सही माने में कारीगर हैं, उनको मुफ्त , बिना सूद के रुपया दे ने की व्यवस्था सरकार करे । बड़े बड़े व्यापार निगम बना कर बड़े बड़े पूंजीपतियों को सहायता देने से काम चलने वाला नहीं है । अगर सरकार सही माने में कारीगरों को धन देकर इस प्रदेश और देश में उद्योग-धंधों को विकसित करने की व्यवस्था करती है तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं ।

अब फलों को लीजिये । पहाड़ी क्षेत्रों में फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार की क्या योजना रही है ? माननीय यमुनासिंह ने कहा कि गुलाब की खेती की जाय । ठीक है, गुलाब की खेती की जाय मगर गेहूं की खेती की उपेक्षा करके वह नहीं होनी चाहिये । इसी के साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार भारी उद्योग चलाकर ब्रिटेन और अमरीका की नकल करना चाहती है, उसको वह छोड़ दे । हमने कांग्रेस के मैनीफेस्टो को देखा है. . . .

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और गोविन्द सिंह जी विष्ट द्वारा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । प्रदेश की बड़ी खुशकिस्मती है कि इस समय यह विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी तथा श्रीमती सुचेता कृपालानी के हाथ में है और इन दोनों को बड़ी भारी दिलचस्पी है कि प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी से जल्दी जिस तरह से भी हो सके, किया जाय । इसके साथ ही साथ जिस समय सामुदायिक विकास मंत्री जी श्रम विभाग के ऊपर भाषण कर रही थीं तो उन्हों ने इस बात को माना था कि देहाती क्षेत्रों में औद्योगीकरण उस तेजी से नहीं हुआ है जिस तेजी से होना चाहिये था और हमें बड़ी भारी आशा है कि वह शीघ्र इस दिशा में कदम उठाने वाली हैं और देहात में औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने वाली हैं ।

मान्यवर, यह कह देना विरोधी पक्ष की ओर से कि स्टेट के अन्दर किसी तरह से उद्योग में कुछ नहीं हुआ है, गलत बात है और यह कह देना कि सरकार की नजर नहीं पड़ती, तो वही बात विरोधी पक्ष के लिये भी कही जा सकती है । वह ऐसा चश्मा पहने हुये हैं कि उनको सब गलत ही गलत दिखाई देता है जो औद्योगीकरण की ओर जो कदम उठाये गये हैं या उन्नति हुई है । फिर भी सरकार को क्रिटिसाइज करना या चलती हुई नीति का विरोध करना ही उनका काम है और उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है जिससे अच्छी बात उनको नजर नहीं आती है, हमेशा खराब बात ही नजर आती है ।

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]

मान्यवर, जहां तक प्रदेश की प्रगति का संबंध है, वह यह है कि १९५९ के मुकाबले में १९६० में हमारे प्रदेश के उत्पादन में ८२ करोड़ की वृद्धि हुई है और प्रति मजदूर ९००० रुपये की वैल्यू का प्रोडक्शन होता था जो अब ११२०० रुपये का हो गया है। यह मैं मानता हूं कि प्रदेश की आबादी को देखते हुये और देश की जन संख्या का खेती पर दबाव देखते हुये हमारे प्रदेश में जितनी तेजी से औद्योगीकरण होना चाहिये था नहीं हुआ है औरउसका सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि पहली पंचवर्षीय योजना में खाने पीने की चीजों की बहुत कमी होने की वजह से ज्यादा ध्यान एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की ओर दिया गया था जो आवश्यक भी था और अब हमारी सरकार के द्वारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के साथ-साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण के अन्दर जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं वह सरकार के सामने हैं, लेकिन आपके द्वारा मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि सबसे बड़ी दिक्कत पावर की है और मुझको थोड़े दिन पहले यह जानकर खुशी हुई कि १९६२ तक हमारे यहां इतनी पावर हो जायगी कि हम काफी हद तक इस समस्या को हल कर सकेंगे। हमारे यहां पावर का रेट दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में रुकावट पड़ती है। फिर कारण यह है कि हमारे यहां लाइसेंसिंग सिस्टम चला आ रहा है। मेरी प्रार्थना यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिये पावर को बढ़ायें और रेट घटायें और रेट को घटाने के लिये लाइसेंसिंग सिस्टम को समाप्त कर दें तो जो कमीशन लाइसेंसीज को मुफ्त में मिलता है वह इंडस्ट्रीज को मिल जायगा और जो चीज पैदा होगी उसके बनाने में कम कीमत लगेगी। हमारी सरकार ने प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिये अभी हाल में इंडस्ट्रीज के लिये एक फाइनेंशियल कारपोरेशन की स्थापना की है जिससे बड़े-बड़े उद्योगों के लिये ऋण मिल सकेगा और छोटे छोटे उद्योगों के लिये आलरेडी हमारे यहां फाइनेंशियल कारपोरेशन है।

इसके अलावा जिले के लेविल पर भी और प्रदेश के लेविल पर भी कमेटियां हैं जो वक्तन फ वक्तन कर्जा और अनुदान देती रहती हैं। लेकिन कर्जा देने में काफी बाटल-नेक्स हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अलीगढ़ में भाषण करते हुये कहा था कि छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे चलाने वाले लोगों को कर्जा मिलने में असुविधा होती है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे उपमन्त्री जी ने जब अनुदान पेश किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस सम्बन्ध में रूल्स चेंज किये हैं और छोटे कर्ज लेने वालों को सुविधा प्रदान की है। कर्जा लेने वालों के लिये कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि ज्यादा समय न लगे। एक समय निर्धारित होना चाहिये कि प्रार्थनापत्र देने के इतने समय के अन्दर उसको सूचना जरूर मिल जायगी कि उनको कर्जा मिलने वाला है या नहीं। आज दरख्वास्त देते हैं और उम्मीद करते हैं कि कर्जा मिल जायगा। रोजगार में वह कुछ प्रोसीड करते हैं, लेकिन ६ या ८ महीने के बाद उनको पता चलता है कि कर्जा नहीं मिलेगा या इतना कम रुपया मिलने वाला है, जिससे उनकी इन्डस्ट्री नहीं चल पायेगी।

श्रीमन्, जिलों के अन्दर जो इन्डस्ट्रीज आफिस कायम हैं, उनका वर्किंग और प्रोसीड्यूर सैटिस्फैक्टरी नहीं है। मुझे दूसरी स्टेट के बारे में जानकारी है। वहां पर अगर इंडस्ट्रीज आफिस में जांय तो वह काफी जानकारी करवा देता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज आफिसर सजेस्ट करते हैं कि इस शहर में, इस कस्बे में, इस गांव में इस तरह की इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से चल सकती हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में जो अभी तक इंडस्ट्रीज आफिसर्स का रवइया है वह केवल यह है कि जब कभी इंडस्ट्रीज आफिस में जांय तो जो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया की तीन-तीन, चार-चार आने की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, अगर आप पूछें कि कौन सी इंडस्ट्री हमारे जिले में या शहर में या गांव में लग सकती है तो सिवा इसके कि वह पुस्तकें दे

दें और वह कह दें कि इनमें से छांट लीजिये, और जो आप को पसन्द हो लगा लीजिये, और कुछ नहीं करते । अगर यही इंडस्ट्रीज़ आफिस का काम है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है ।

एक बहुत आवश्यक बात मैं माननीय मन्त्री जी को नोटिस में लाना चाहता हूं । वह यह कि लोगों को रा मैटीरियल और बिल्डिंग मैटीरियल मिलना चाहिये । बड़े-बड़े उद्योग-पति तो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया या डाइरेक्टर के पास से भी रिलीज़ करवा लेते हैं, बिल्डिंग मैटीरियल और लाइसेन्स भी उनको मिल जाते हैं, लेकिन छोटे उद्योग धन्धे करने वालों को जो पांच, दस, पन्द्रह या बीस हजार से काम करते हैं उनके सामने बड़ी समस्या है । उसको रा मैटीरियल नहीं मिलता । यह बात भी नहीं है कि चीज बाजार में नहीं हैं । अगर टीन का कन्ट्रोल रेट ३० रुपये है तो बाजार में चाहे जितना चाहिये ६० रुपये में मिल जायगी । तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा सिस्टम है जो हमारे वितरण में रुकावट डालता है जिससे लोगों में ठीक समय पर और काफी तादाद में मैटीरियल नहीं मिलता । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि बिल्डिंग मैटीरियल तो जरूर जल्द मिल जाना चाहिये क्योंकि अगर एप्लीकेशन देने के एक, दो साल बाद बिल्डिंग मैटीरियल मिला तो उससे बड़ा नुकसान होता है ।

हमारे जिले में कोल्ड स्टोरेज एक बहुत अहम इंडस्ट्री है, बल्कि पूरे प्रदेश की इंडस्ट्री है, क्योंकि इससे काश्तकार का सीधा सम्बन्ध है । इसमें जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह लोडिंग की है । शुगर इंडस्ट्री के लिये लोडिंग कन्ट्रोल्ड है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज की लोडिंग के लिये कोई इन्तजाम नहीं है जिसकी वजह से काश्तकारों को बड़ा नुकसान होता है । हमारे यहां से आसाम को अधिकतर आलू जाता है । लोडिंग न होने से वजह से सस्ते रेट पर आलू बेचना पड़ता है । जो लोडिंग होता भी है वह आसाम के लोगों को परमिट से मिलता है । वह लोग चार, साढ़े चार रुपये मन में यहां से आलू ले जाते हैं और अपने प्रदेश में १२—१३ रुपये में बेचते हैं । चीज हमारे प्रदेश के लोग पैदा करते हैं, लेकिन लाभ आसाम वाले लोग उठाते हैं । यह वक्त तो टल गया, लेकिन जुलाई में काश्तकार का आलू जाना शुरू हो जायगा । उस वक्त लोडिंग का कोई न कोई प्रबन्ध जरूर होना चाहिये । यहां से अपने डेस्टिनेशन तक आलू भेजने को दिया जाय । यह न हो कि कलकत्ता में ट्रेड कमिश्नर बैठा है । आसाम में लोग तिकड़म लगा कर परमिट हासिल कर लें और यहां से चार, पांच रुपये मन में आलू लेकर १५-१६ पये में आसाम में बेचें ।

स्टोरेज इन्डस्ट्री बहुत बड़ी इन्डस्ट्री है । यह जो किताब छपी है उसमें भी उसका कहीं जिक्र नहीं है और उसकी बिलकुल उपेक्षा है, इसलिये उसकी ओर ध्यान देने की काफी आवश्यकता है । उसमें करोड़ों पये इन्वाल्व्ड हैं और उसका सीधा-साधा सम्बन्ध किसान से है । किसान अपनी उपज को स्टोरेज में रखता है और बाद में दूसरे सीज़न में उसे बेचने की कोशिश करता है । तो इस इंडस्ट्री की ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसके साथ-साथ मैं उस अनुदान का पुनः समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय गोविन्द सिंह बिष्ट ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का और खासतौर से माननीय मन्त्राणी जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि जब तक हम कृषि की समस्या को हल नहीं कर पाते हैं तब तक इस मुल्क में किसी किस्म का उद्योग धन्धा होना नामुमकिन सी चीज है । लेकिन यह भी एक प्रमुख चीज है कि उस मुल्क के लिये कुछ उद्योग-धन्धों का होना भी आवश्यक है । अपने उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख उद्योगों की तरफ मैं इस सिलसिले में माननीय मन्त्राणी जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, वे हैं आपके करघा उद्योग और चमड़े का उद्योग । ये दोनों उद्योग

[श्री रघुवीर राम]

हमारे प्रदेश के दो मुख्य उद्योग हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज तक इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता।

महज ६४५ लाख प्रति वर्ष चमड़ा यहां पैदा होता है और उस ६४५ लाख चमड़े में से ६० प्रतिशत चमड़े का सिझाव जंगली चीजों से हुआ करता है, जैसे बबूल की छाल, अमरूद की पत्ती, आम की पत्ती वगैरह से उनका सिझाव होता है, जिससे यह चमड़ा ज्यादातर खराब हो जाता है और सड़ जाता है। इस तरह हमारे प्रदेश का काफी नुकसान होता है। ५० प्रतिशत चमड़ा जो है उससे क्रोम तैयार किया जाता है, खासतौर से कानपुर में और आगरे में। मान्यवर, मैं आपके द्वारा सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि अब तक यह चमड़े का उद्योग सिर्फ कानपुर और आगरे तक सीमित है, बाकी इस प्रदेश के किसी भी जिले में यह उद्योग नाम मात्र को भी नहीं है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो मैं यह कहूंगा कि यह उद्योग बहुत अच्छी तरह से यू० पी० भर में पनप सकता है और इससे हमारे मुल्क की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है और बहुत से बेकार लोग काम में लगाये जा सकते हैं। उन मजदूरों की समस्या खासतौर से इससे हल हो सकती है।

इसमें मैं अपना सुझाव पेश करना चाहता हूं कि हर एक जिले में चर्म-शोधक सेंटर होने चाहिये, जहां पर कि चमड़े का सिझाव अच्छी तरह से हो और उनमें इन्जीनियर का होना जरूरी है। उसके अलावा उन छात्रों को जिनको इसकी तालीम दी जाय उनके लिये स्कालरशिप का भी प्रबन्ध होना चाहिये और गृह-उद्योग का प्रबन्ध होना चाहिये। तीसरी चीज यह है कि इसके लिये कोई निश्चित बाजार होना चाहिये। तो सरकार चमड़े के उद्योग के लिये ध्यान दे और हर एक जिले में ग्रामों में चर्म शोधक केन्द्र खोल दे तथा जूता जरसी वगैरह बनाने का काम वहां शुरू कर दें तथा उसके लिये निश्चित बाजार कायम कर दें तो वह गरीब इससे काफी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर निश्चित बाजार नहीं है तो यह उद्योग जैसे अब तक असफल रहा वैसे ही हमेशा रहेगा।

मैं आपके द्वारा करघा उद्योग की ओर मन्त्राणी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे सूबे में चार लाख करघे हैं और उनपर १० लाख मजदूर अपनी रोटी कमा रहे हैं। यह रोजगार कानपुर तक ही सीमित है। मैं मन्त्राणी जी का ध्यान पूर्वी इलाकों की तरफ दिलाना चाहता हूं। गाजीपुर, आजमगढ़, बस्ती, जौनपुर आदि जिलों में जो करघा उद्योग है अगर सरकार उस पर ध्यान दे और बाहर से कपड़ा मंगाना बन्द कर दे तो यह उद्योग उन्नति करेगा और सरकार अपने कपड़े की समस्या हल कर सकेगी। लेकिन आज तो हिन्दुस्तान फैशन में लीन है। करघे से बने हुये कपड़े पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। करघा मजदूर मरे जाते हैं। पुराना इतिहास साक्षी है कि करघे से बुना हुआ ३६ गज का थान बांस की नाली में रखा जाता था। आज हमारी सरकार ने ऐसे मजदूरों को, ऐसे उद्योग को कबर खोद कर दफन कर दिया है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो हम समझते हैं कि हम अपने कपड़े की समस्या हल कर सकते हैं। यह उद्योग काफी तरक्की पा सकता है। कम से कम इस करघा उद्योग के लिये एक समिति होनी चाहिये और गांव-गांव में मजदूरों की समितियां होनी चाहिये। उनको सरकार अनुदान दे अपनी तरफ से और उनके लिये निश्चित बाजार भी होने चाहिये ताकि जो सामग्री वे तैयार करें वह बिक सकें और वे उचित कीमत पा सकें।

मान्यवर, मुझे बड़ी हैरत होती है। कभी कभी मैं आजमगढ़ में मऊ नामक कस्बे में जाता हूं। वहां से ६ मील दूर बहादुरगन्ज कस्बे में मेरा मकान है। वहां पर जो दलाल हैं उनके लिये वहां के मजदूरों का कहना है कि वे मरने के बाद कयामत के दिन भी बख्शे नहीं जायेंगे। वे एक-एक बन्डल सूत पर ५, ६ और ७ रुपया मुनाफा कमाते हैं और उनका तैयार माल रख लेते हैं और कहते हैं कि जब माल बिकेगा तब दाम मिल जायेंगे।

गमछा, धोती, साड़ी, चादर आदि पर वे चार, पांच आना फी साड़ी, दो पैसे फी गमछा, कीमती साड़ियों पर ८ से १२ आना तक उन मजदूरों से दलाली ले लेते हैं। मैं मन्त्राणी जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और इन दलालों के पंजे से उन निरीह करघा मजदूरों को बचाने का प्रयत्न करें। मैं इसके लिये अपनी तथा उन मजदूरों की ओर से धन्यवाद दूंगा वे यदि उनको दलालों से सुरक्षित कर दें।

हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि विरोधी दल वालों के पास चश्मा नहीं है। माननीय मन्त्री जी जो अनुदान पेश करते हुए भाषण दे रहे थे उनको देख कर मुझे हैरत हुई। ५५, ५८ की उम्र की सीमा कर्मचारियों के लिये है, लेकिन मन्त्री जी के लिये कोई सीमा नहीं है। पढ़ने से मजबूर हैं, देखने से मजबूर हैं, सही चीज रखने से मजबूर हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें सिर पर लाद कर रखा है। ५५ साल में कर्मचारियों की बुद्धि का विकास कम होता है, लेकिन क्या मन्त्रियों की बुद्धि का विकास उस उम्र से अधिक होने लगता है।

श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)--मान्यवर, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने के लिये अवसर प्रदान किया। उद्योग विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसका सम्बन्ध प्रदेश की सवा सात करोड़ जनता से है जिसको रोटी कपड़ा आदि देने का आज सवाल है। इस समय बेरोजगारी, अर्द्ध-बेरोजगारी आदि की समस्या भयंकर रूप में हमारे सामने है और उसको हल करना सरकार का कर्तव्य है। मैं समझती हूं कि हमारी सरकार का इस ओर विशेष ध्यान है और वह तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको दूर करने के लिये कदम उठा रही है।

दूसरी बात यह है कि आज कृषि भी हमारे प्रदेश में इस योग्य नहीं रह गई है कि जो इस समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध हो सके। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी मौसम की खराबी के कारण खेती से कुछ फायदा किसान को नहीं हो रहा है। आज किसान की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये सहकारी समिति आदि संगठित करने और उनके द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की आवश्यकता है और उनके सम्बन्ध में ही आज हमारे सामने कुछ योजनायें हैं जिनसे हम उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं।

हमारे ऋषिकेश में ऐन्टी बायोटिक का कारखाना खोला जा रहा है। मुझे आशा है कि इससे भी हमारी जनता की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। इसके अलावा आपको मालूम है कि हमारे यहां सीमेन्ट का भी कारखाना खोला जा रहा है। लखनऊ में भी एक ऐसी फैक्टरी खुली है जिससे हमारी कई समस्याओं को हल किया जा सकेगा और हमारी काफी तकलीफें दूर हो जायंगी। हमारे प्रदेश में अलमूनियम की भी एक फैक्टरी खोली जा रही है, ऋषिकेश में बर्तनों का भी एक कारखाना खोला जा रहा है। इन सब के होने पर हमारा प्रदेश काफी तरक्की कर सकेगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। जो भी कार्य आज हम कर रहे हैं अगर उनमें अच्छी प्रगति हुई तो हमारा भविष्य उज्जवलमय होगा और देश की अर्थ-व्यवस्था भी अच्छी हो सकेगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि सहकारिता के आधार पर जो कार्य हैं उनको संगठित किया जाय और उसी आधार पर फैक्टरी बनाई जायं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें यह देखकर दुख होता है कि एक लम्बे अर्से से हमारी सरकार केन्द्रीय सरकार से यह मांग करती आ रही है कि आबादी के लिहाज से, बेरोजगारी के लिहाज से हमारे यहां अधिक उद्योगों की व्यवस्था की जाय, किन्तु उस ओर हमें सफलता नहीं मिली है। इसके लिये जो भी प्रयास हमारी सरकार द्वारा किये गये हैं, उनका मैं स्वागत करती हूं। दुःख इसी बात का है कि अभी तक हमारी उस मांग की पूर्ति नहीं हुई है।

[श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन]

एक बात मैं यह और कहना चाहती हूं कि हमारे यहां प्रत्येक प्रकार की जो औद्योगिक योजनायें बनाई जा रही हैं उनके सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रखा जाय कि उनको उन्हीं स्थानों में रखा जाय जहां उनकी जरूरत है। उनके लिये जो स्थान छांटा जाय वह ठीक होना चाहिये। जहां पर हमें कच्चा माल अधिक और आसानी से मिल सकता है वहां पर ही उद्योगों की स्थापना होनी चाहिये और वहां से ही हमको फायदा हो सकेगा। ऐसा करने से खर्चा भी कम होगा और लाभ अधिक होगा। वैसे तो यह कहा जाता है कि खर्चे के कारण ही हम कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं देखती हूं कि अखबारी कागज के लिये हमारी सरकार काफी रुपया खर्च करती है और उनको स्विटजरलैंड, चीन आदि से मंगवाती है, जिससे बहुत व्यय होता है। इस दृष्टि से मेरा आग्रह है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में कागज का कारखाना खुले। वहां इस चीज का मैटिरियल बहुत ज्यादा मिल सकता है। वहां आने-जाने में अधिक व्यय होने के कारण कारखाने नहीं खुल सकते हैं, ऐसी कठिनाई बतलाई जाती है, तो मोदीनगर, लखनऊ, कानपुर आदि बड़े-बड़े स्थान जो हम लोगों की दृष्टि में हैं जिनके आस-पास कच्चे माल का कहीं रत्ती भर भी नामोनिशान नहीं है तो उतना खर्चा तो उसके मंगाने में लग ही जाता है। मेरा कहना है कि कच्चा माल जिस चीज का जहां अधिक प्राप्त हो वहीं उसके कारखाने खोले जांय। नगरों में, देहातों में, जिस जगह जो चीज पैदा होती है वहां उसी प्रकार के कारखाने खोले जायें।

(इस समय २ बजकर १ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्रीरामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

तभी हमारी अर्थ व्यवस्था सुरक्षित हो सकती है। क्योंकि जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं, खेती के ऊपर हम उतना निर्भर नहीं कर सकते हैं। हमें उद्योग-धन्धों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही जो भयंकर प्राकृतिक प्रकोप-बाढ़, सूखा इत्यादि समय-समय पर आते रहते हैं उनसे खेती की सुरक्षा सरकार कर नहीं पा रही है। जनता को रोटी की कमी से बचाने के लिये हमें उन्हीं जगहों पर कारखाने खोलने हैं, जहां कच्चा माल पैदा होता है।

मैं इस चीज को आपके सामने रखूंगी कि खेती की स्थिति पहाड़ी जगहों में जो आजकल है वह किसी से छिपी नहीं है। वहां भूमि की कितनी कमी है, इसी कारण से इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। इसी सम्बन्ध में हमारे कोटद्वार से पिछले साल ४,००० की संख्या में व्यक्तियों ने गढ़वाल से दिल्ली तक पैदल मार्च किया है ताकि खेती के लिये भूमि मिले। वे लोग बड़े-बड़े नेतागण, जैसे राष्ट्रपति हैं, गृहमन्त्री हैं, ऐसे महानुभवों के पास गये हैं, लेकिन उनको टाल-मटोल करके यह कह दिया गया कि हमको मैदानी इलाके से २० प्रतिशत भूमि पेड़ लगाने के लिये चाहिये, ६० प्रतिशत भूमि पहाड़ी इलाके से चाहिये, इसलिये आपको खेती करने के लिये जमीन नहीं मिल सकती है। पंजाब से और बंगाल से और दूसरी जगहों से, जो लोग यहां आये हैं, विस्थापित लोग, उनको बसाने के लिये हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो यहीं के लोग हैं उनकी दयनीय दशा की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया और उनके लिये कुछ भी नहीं किया है और ऐसी ही बातों में टाला गया है। इसलिये मैं पूछना चाहती हूं कि वे लोग जो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण जगह के हैं, पहाड़ी इलाके के हैं जिनके लिये पेट भरने के लिये खेती की व्यवस्था नहीं है, उनके लिये सरकार क्या कर रही है? हमारे लिये कहा जाता है कि ऊन के कामों और खेतों के सुधार के सम्बन्ध में केन्द्र खोल रहे हैं, लेकिन उससे कितने लोगों का गुजारा हो सकेगा और उससे कितने लोगों की गरीबी दूर हो सकती है?

दूसरी बात यह कि ऊन प्राप्त करने की जो चीजें हैं उनके सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि पहाड़ पर भेड़ के प्रजनन और ऊन के लिये अच्छे केन्द्र खोले जायं और अच्छी नस्ल की भेड़ रखी जांय, जिससे ऊन अच्छा पैदा हो सके।

एक बात मुझे यह कहनी है कि वैसे तो हमारे यहां बागबानी बहुत अच्छी तरह से चल सकती थी और कुछ स्थानों पर वह आगे बढ़ी भी है, लेकिन उसमें भी कठिनाई यह है, श्रीमन्, कि वन विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके अधीन वह जमीन है, इस वास्ते वह हमारे नागरिकों को फूल-पत्ती, पौधे और फल के पेड़ नहीं लगाने देते हैं। जबकि बागबानी से भी उन लोगों की समस्या हल नहीं हो पाती, उनकी समस्या कैसे हल होगी?

मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्र में सरकार फल संरक्षण केन्द्र खोले। बहुत सी जगहों पर ऐसे केन्द्र खुले भी हैं, जैसे रामगढ़ और भरसार में जहां पर अच्छा काम हो रहा है। वहां पर फैक्टरी खुली हुई है। मुझे इस सम्बन्ध में कोई शिकायत तो नहीं करनी है लेकिन कहा यह जाता है कि इन फैक्टरियों में उन्हीं लोगों के फल लिये जाते हैं जिनपर केन्द्र के अधिकारियों की कृपा दृष्टि रहती है और अन्य लोगों को कोई न कोई बात कहकर टाल दिया जाता है।

एक बात मुझे यह कहनी है कि जिस क्षेत्र से मैं आती हूं वहां पर सन्तरे-नारंगी वगैरह बहुत पैदा होते हैं लेकिन वहां पर यातायात के साधन न होने के कारण वह फल या तो खाये जा सकते हैं या सड़ाये जा सकते हैं। उनको बाहर भेजने की कोई सुविधा नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि फल संरक्षण केन्द्र जो खुले हैं उनको मोटर पथों से रेलवे स्टेशन तक जोड़ दिया जाय। अधिक समय न होने के कारण मैं और अधिक न कहते हुए यह आशा करती हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं और मैंने जो उद्योगों की लिस्ट समय-समय पर सरकार के पास भेजी है उस पर विचार किया जायगा।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से गोविन्द सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान, इस प्रदेश में उद्योगों से जो उत्पन्न हुआ है उसकी ओर ले जाना चाहता हूं। प्रस्तुत पुस्तिका में जो पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के उत्पादन के आंकड़े दिये गये हैं उनसे निश्चित आधार पर कहा जा सकता है कि जहां तक हाथकरघे का सवाल है उसका उत्पादन घटा है। १९५८-५९ में जहां ७·९५ करोड़ रुपया का उत्पादन हुआ था वहां १९५९-६० में ६·९६ करोड़ रुपया का ही उत्पादन हुआ। इसी प्रकार से लोहे के उत्पादन में भी कमी हुई है। कागज के उत्पादन और चीनी के उत्पादन में भी इस साल के पहले कमी हुई है इन उद्योगों के जरिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं सदन की जानकारी के लिये यह भी सुनाना चाहता हूं कि जहां तक इस देश में इस प्रदेश का संबंध है, यह बहुत पीछे गया है। जनसंख्या के हिसाब से यह प्रदेश सारे देश का छठा हिस्सा है, लेकिन जहां तक उद्योगों का सवाल है उसके आंकड़े मैं आपके द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूं। सारे देश के अनुपात में इस प्रदेश में जो इस्पात का उत्पादन होता है वह केवल चार फीसदी है। कागज का उत्पादन तीन फीसदी है, सीमेन्ट का उत्पादन तीन फीसदी है और जूट का उत्पादन एक फीसदी से कुछ अधिक है। अलकोहल का उत्पादन इस प्रदेश में और प्रदेशों के अनुपात में कुछ अधिक है। चीनी का उत्पादन लगभग आधा है। लेकिन सूत का उत्पादन ६ फीसदी और वस्त्र का उत्पादन ६ फीसदी है। यह प्रदेश देश का छठवां हिस्सा हो और सूत का उत्पादन केवल ६ फीसदी हो तो यह बात समझ में नहीं आती कि इतने दिन इस सरकार के पदासीन रहने के बाद भी कपड़े के मामले में हम क्यों नहीं अभी तक आत्मनिर्भर हो सकें। यह सरकार इस प्रदेश के गरीब किसानों से, जो अपना खून-पसीना एक करके पैसा पैदा करते हैं, विकास के नाम पर टैक्स वसूल करती है और औद्योगीकरण के नाम पर करोड़ों रुपया पूंजीपतियों को कर्ज देती है जो उद्योग में नहीं लगाया जाता है। कई बार यहां प्रश्न के रूप में कहा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

गया कि एक फैक्ट्री बनारस की है, कोई मिल मालिक कानपुर का है और कोई बिजली की कम्पनी लखनऊ में है जिन्हें लाखों रुपया इस सरकार ने दिया मगर उन्होंने उद्योग में कोई प्रगति नहीं की। मालूम नहीं कि इस सरकार का समाजवाद का नारा कैसा है।

मैं यह भी नहीं समझ पाया कि आखिर यह सरकार अपने को समाजवादी कहते हुए इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहती है। मैं निश्चित रूप से इस विचार का हूं कि जहां प्राइवेट सैक्टर में विशेषज्ञों को अधिक वेतन दिया जाता है वहां समाजवादी सरकार की योजनाबद्ध पालीसी होते हुए, इसकी योजनाबद्ध इकानामी की थ्यौरी होते हुए, वह रहन-सहन के आधार पर ही वेतन दे सकेगी, इसलिये सरकार कम वेतन दे सकेगी। तो जहां दो विरोधी तत्वों में होड़ रहेगी, व्यक्तिगत पूंजी और सामूहिक पूंजी, वहां यदि हम किसी प्रकार का नियंत्रण ऐसे औद्योगीकरण पर नहीं रखेंगे तब वैज्ञानिक जो अंग्रेजों के जमाने के पुराने ढंग से सोचने वाले हैं वे पब्लिक पूंजी का ह्रास करते रहेंगे और पब्लिक सैक्टर में उद्योग को धक्का देते रहेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वह यह सोचे कि प्राइवेट सेक्टर में ही उद्योग रहना चाहिये। जैसे चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी में जो सरकार की है यह कहा जाता रहा था कि हानि हो रही है, घाटा हो रहा है, यद्यपि अब यह कहा जाता है कि लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, गोरखपुर में एक उर्वरक का कारखाना खोलने का विचार इस सरकार का बहुत पहले से है। मैं देवरिया जिले का निवासी हूं और हमारे जिले में गन्ने के साथ जूट का इतना उत्पादन होता है कि वहां एक कारखाना बैठाया जा सकता है जो पडरौना में या तमकुही रोड में हो सकता है। उद्योग स्थापित करने के लिये कच्चा माल और अन्य सुविधायें देखी जाती हैं। लेकिन अगर चीनी का कारखाना वहां चल सकता है केवल इसी आधार पर कि वहां कच्चा माल मिल सकता है तो जूट का कारखाना भी चल सकता है।

अब मैं आता हूं चीनी के उद्योग पर। सरकार कहती है कि चीनी स्टाक में भरी पड़ी है, चीनी बिक नहीं रही है। मिल-मालिकों ने सरकार की चों बुला दी है। पूंजीपतियों के सामने इस प्रकार के घुटने टेक दिये हैं और यह सरकार अब मिलवालों से कह रही है कि गन्ना पेर लो, १/४ दाम बाकी रख लो, ३/४ दाम दे दो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार को दोषी ठहराता हूं इसने जानबूझ कर इस प्रदेश के गन्ना बोने वाले किसानों के ऊपर यह संकट पैदा किया है। अगर किसान आसानी से कोल्हू प्राप्त कर लिये होते और खन्डसारी में गन्ना पेरने के लिये लाइसेन्स न लगा होता तो मैं निश्चित राय का हूं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ते हुए भी अभी तक गन्ना पेरा जाता और यह संकट उपस्थित नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा सुना जाता है कि दूसरे देशों में अगर उत्पादक, निर्धारित समय के पहले, निर्धारित मात्रा में माल पैदा कर देता है तो उसे इनाम मिलता है। यहां यह सरकार उन किसानों के ऊपर जुर्माना करने के लिये तैयार है जिन्होंने समय से पहले उत्पादन पूरा कर लिया है। आज इस औद्योगिक संकट में प्रदेश के मजदूरों की तबाही अलग हो रही है, मिलमालिकों की लूट अलग हो रही है और औद्योगीकरण के नाम पर यह सरकार व्यक्तिगत पूंजीवालों को बढ़ावा दे रही है। सामूहिक पूंजी का ह्रास करने की पालिसी इस सरकार की है और मालूम नहीं कि यह इस प्रदेश को कहां ले जायगी। यह सरकार अपनी मौजूदा पालीसी से मिलमालिकों की दलाली कर रही है। हमारे पास उपाध्यक्ष महोदय, जन-शक्ति है, हमारे पास पूंजी है, हमारे पास बल है। अगर हम देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कर सके तो हम मिल मालिकों से भी अपना पिंड छुड़ा सकते हैं और समाजवादी आधार पर अपने सारे उद्योगों को चला सकते हैं। मुझे इसकी फिक्र नहीं है, फिक्र है इस सरकार को जो यह चाहती है कि किसी प्रकार पूंजीपति खुश रहें।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

श्री जगदीशनारायण (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया।

जहां तक प्रान्त के औद्योगीकरण का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इन पिछले ५ वर्षों में जहां तक सरकार के सीमित साधन हैं, उनसे मैं ही नहीं बल्कि इस प्रान्त के रहने वाले लोग, खास तौर से जो इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, वे सब संतुष्ट हैं कि सीमित साधन होते हुए भी प्रदेश का उद्योगीकरण हो रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार यह महसूस करती है कि भूमि पर जो ज्यादा बोझ है वह हटना चाहिये और वह उस समय तक कम नहीं हो सकता जब तक कि देहातों में छोटे-छोटे उद्योग धंधे न पनपाये जावें। मुझे खुशी हुई कि कम्यूनिटी डेवलपमेन्ट के बजट के समय माननीया मंत्राणी जी ने कहा कि उनकी बड़ी तेज नजर इस बात पर होगी कि देहातों में औद्योगीकरण किया जाय। किसी इंडस्ट्री के लिये सबसे ज्यादा जरूरत धन, कच्चे माल और पावर की होती है।

जहां तक पैसे का ताल्लुक है, सरकार की नजर उस पर है। मैं पिछले चार वर्षों से सरकार की लोन्स ऐंड ग्रान्ट्स कमेटी का, जिले के स्तर पर और प्रान्तीय स्तर पर भी, सदस्य रहा हूं। मैं जानता हूं कि काफी रुपया लोन्स और ग्रान्ट्स के जरिये छोटे-छोटे धंधों के लिये दिया गया है। जहां तक उसके वितरण का संबंध है, यह हमारी हमेशा ख्वाहिश रही है कि जिसे पैसा दिया वह जल्दी से उसे मिले। लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें हैं। सरकार चाहती है कि पैसा जल्दी मिले परन्तु तमाम कोशिशों के बाद भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि २, ३ वर्षों तक लोगों के प्रार्थना पत्र या तो जिले के स्तर पर या कानपुर पड़े रहते हैं और उतनी जल्दी पैसा नहीं मिल जाता है जितनी जल्दी मिलना चाहिये।

पिछले दिनों लोन्स एन्ड ग्रान्ट्स कमेटी ने यह प्रस्ताव किया कि जितने प्रार्थना-पत्र जिला स्तर पर आयें उनकी सूची बनायी जाय और वह लोन्स एन्ड ग्रान्ट्स कमेटी के सामने पेश की जाय ताकि यह पता चले कि जिला स्तर पर कितने प्रार्थना-पत्र आये और उन पर क्या कार्यवाही हुई। खुशी है कि उसके बाद जो धनराशि निश्चित की गयी थी वह ६ महीने के अन्दर ही वितरित हो गयी और वह छोटे-छोटे उद्योग वालों को मिली। हमारे जिले में ३-४ सौ छोटे-छोटे उद्योग खुले जिनके लिये धन मिला। मैं सरकार को उसके लिये धन्यवाद देता हूं।

अब उद्योग मंत्री जी ने बताया कि रूल्स में कुछ तब्दीली की गयी है। लेकिन मुझे अभी तक यह पता नहीं चल सका कि क्या क्या तब्दीली हुई है। इसलिये मैं एक-दो बातें कह देना चाहता हूं। प्रार्थना-पत्रों के संबंध में हमारे जिले में पिछले दिनों यह तरीका रहा कि प्रार्थना-पत्र उद्योग अधिकारी को दिये गये और उसने सिफारिश करके डायरेक्टोरेट को भेज दिये। शर्त उसमें यह लगा दी गयी कि जितने का प्रार्थना-पत्र वह देना चाहता है, उसके बारे में जो वह जमानत देना चाहता है उसकी तस्दीक वह रजिस्ट्रार या रेवेन्यू आफीसर से कराये। अब मान लीजिये कि १५ हजार रुपये के लिये उसने प्रार्थना-पत्र दिया अब १५ हजार रुपया तो सरकार दे नहीं देगी परन्तु जमानत उसको पूरे की ही देनी होगी। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछली तिमाही में जितने प्रार्थना-पत्र आने चाहिये थे उतने नहीं आये।

यह ठीक है कि सरकार ग्रान्ट्स के बारे में बधाई की पात्र है, लेकिन हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं इसलिये पांच सौ या हजार रुपये के लिये जमानत देने की बात हो तो उसमें व्यक्तिगत सिक्योरिटी मान ली जानी चाहिये। जो लोग ऐसे हैं जिनका कोई मकान या जमीन नहीं है वे जमानत नहीं दे पाते हैं और सरकार जो उनको धन देना भी चाहती है वह भी नहीं दे पाती। सरकार इस बारे में निश्चित करे कि कितने रुपये तक वह व्यक्तिगत सिक्योरिटी मान सकती है।

[श्री जगदीश नारायण]

जहां तक पावर का संबंध है पावर की कमी तो है ही फिर भी उसके वितरण में कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ५-५, १०-१० हार्स पावर की बिजली के मिलने में भी कठिनाई होती है, लेकिन उसके मुकाबले में दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको ५०-५०, १००-१०० हार्स पावर यों ही मिल जाती है। उसके कारण भी हो सकते हैं, लेकिन यह चीज देखने में उचित नहीं मालूम होती है। जहां ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, वहां ५-१० हार्स पावर की बिजली लगी होती है, लेकिन जहां आबपाशी के लिये बिजली मंजूर होती है, उस पर दूसरी इंडस्ट्री चालू नहीं की जा सकती। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि देहातों में जो ट्यूबवेल्स के लिये बिजली लगी हुई है उस पर से पाबन्दी हटायी जाय और देहात में अगर कोई उद्योग खोले तो उसको उसके लिये कुंए में लगी बिजली इस्तेमाल करने पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये।

जहां तक रा मटीरियल का संबंध है इंडस्ट्री के लिये मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऐक्चुअल कंज्यूमर है वह उस तक नहीं पहुंच पाता। रा मैटिरियल की इतनी कमी नहीं है कि लोगों को न मिल सके और उसका सबूत यह है कि अगर कोई साहब उद्योग करना चाहते हैं और १० तख्ते टिन चाहिये तो जो गोरखधंधा है उसके अन्दर चाहे दीवार बारिश में ढह जाय लेकिन उसको वह १०, १५ तख्ते टीन नहीं मिल सकते हैं। उसके साथ-साथ यह भी है कि वह चीज बाजार में मिल जाती है। कमी होने के बाद भी चीज इतनी है जो लोगों को मिल सकती है, लेकिन नहीं मिलती।

कुछ कमियां और हैं जिनसे बिजली नहीं मिल पाती। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं---चन्दौसी, वहां की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है-खांडसारी और वहां अगर क्रशर्स को लैबिशली लाइसेंस दिये जायं तो इस इंडस्ट्री की बहुत तरक्की हो सकती है।

साथ ही मैं एक अर्ज और करना चाहता हूं कि चन्दौसी में गेहूं की आमद बहुत ज्यादा होती है। अगर वहां एक फ्लावर मिल लगा दी जाय तो बहुत अच्छा काम चल सकता है। होता क्या है? पहले ह्वीट वहां से बाजार में जाता है और वहां से ग्राइन्ड हो कर तब हमारे यहां मार्केट में आता है। इसलिये चाहे इंडिविडजुअल बेसिस पर या कोआपरेटिव बेसिस पर, मेरी प्रार्थना सरकार से है कि वहां एक फ्लोर मिल लगवाने की कृपा करें।

*राजा राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)---उपाध्यक्ष महोदय, बड़े महत्वपूर्ण विषय पर यह कटौती पेश की गयी है और जो हमारे साथी गोविन्दसिंह जी विषय ने पेश किया है उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। वास्तव में आज हमारे प्रदेश और देश की जो दशा है वह यह है कि जब तक औद्योगिकरण की तरफ हम लोग ठिकाने से कदम नहीं उठावेंगे, कल्याण नहीं होने वाला है। खेती की दुर्गति की गयी है। जो छोटी-छोटी होल्डिंगज में खेतों को बांटकर खेती की इंसेंटिवनेस को खत्म कर दिया गया है उसके रहते हुए हमारा स्ट्रक्चर एग्रो-इंडिस्ट्रियल होना चाहिये। वह खेती से संबंधित होना चाहिये क्योंकि ७५ फीसदी हमारे प्रदेश के लोग खेतिहर हैं। उनसे यह उम्मीद करना कि वे देहातों को छोड़कर सब के सब शहरों में बस जायेंगे और बड़े, उद्योगों में लग जायंगे तो यह खयाल भ्रामक है।

हमें मंत्राणी जी के आगमन से बहुत आशा की लहर आयी क्योंकि वे एक ऐसे परिवार से संबंध रखती हैं जिनका गृह उद्योग में विशेष स्थान है। आशा थी कि हमारे प्रदेश में जो नीति चल रही है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। सरकार जो स्टेटिज्म पैदा करती चली जा रही है, सारे उद्योगों को अपने हाथ में ले करके, मानोपोली करके जो गलाघोंट पालिसी चलाती जा रही वह हमारे देश और प्रदेश के लिये बड़ी हानिकारक है। दूसरी ओर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को खोलकर और स्टेट के हाथ में बड़े कारोबार को देकर या चन्द इने गिने पूंजीपतियों को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिक धनी बनाकर जो सरकार अपना उद्देश्य साधन कर रही है, वह नीति बड़ी घातक है। मैं आपका श्रीमन्, और आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितनी प्लानिंग हो रही है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वह केवल एक दृष्टिकोण को लेकर हो रहा है। उसका केवल एक उद्देश्य होना चाहिये कि देश की गरीबी दूर हो, लोगों को कारोबार मिले और देश में सम्पन्नता बढ़े।

वास्तव में, श्रीमन्, हुआ क्या है? अपने देश में सन् १९५१ में १०४ रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी थी और सन् १९५७ में ९९ रह गई। देहात में जो खेतिहर मजदूर हैं वह पहले साल में ९० दिन बेकार रहते थे और आज १२९ दिन बेकार रहते हैं। जो उनकी मजदूरी थी पहले उसका औसत १०८ रुपये था और अब ९६ है। इसके अलावा, जो कर्जदार परिवार अपने प्रदेश में देहातों में पहले थे वह ४५ परसेन्ट थे और अब ६४ परसेन्ट हो गये। यह हालत नुमायाँ करती है, यह आंकड़े बताते हैं कि हम कहां जा रहे ह। देहातों में आमदनी में ह्रास हो रहा है। १९४८-४९ में १९६.३७ नया पैसा आमदनी थी और १९५८-५९ में १९५ रुपया रह गई।

ग्रामोद्योग की बड़ी बातें की जाती हैं। चूंकि अभी बापू का नाम जीवित है, कुछ लोग उनका नाम लेते हैं, उनका कल्याण होता है, लेकिन वह नाममात्र रह गया है। वास्तव में हमारे देश का कल्याण बड़े-बड़े उद्योगों से नहीं हो सकता। जब तक हम छोटे उद्योगों की तरफ और ग्राम उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक उन्नति नहीं हो सकती। एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं।

आजकल स्टील प्रोडक्शन की तरफ बड़ा ध्यान दिया जाता है। बड़े-बड़े प्लान्ट्स लगे। पांचवां प्लान्ट लगा है। अनुमान यह लगाया जाता है कि १८० करोड़ रुपये की लागत अगर स्टील प्लांट में लग जाय तो उसमें सालाना पैदावार ४५ करोड़ रुपये के माल की होती है और कुल ८ हजार मजदूर उसमें लगते हैं। वही अगर छोटे उद्योगों में किया जाय तो १८० करोड़ रुपया लगने पर २ हजार करोड़ का माल सालाना पैदा हो सकता है और १ लाख मजदूरों को रोजगार मिल सकता है। फिर समझ में नहीं आता कि सरकार बड़ी इंडस्ट्री की तरफ क्यों जा रही है। बहुत सी छोटी इंडस्ट्रीज हमारे देहातों में हैं। जिस तरह से जापान में हैं कि खेती भी करें और छोटे उद्योग भी उन्हें दिये जायं, इसी तरह से यदि यहां भी किया जाय, तो हमारे देश का कल्याण हो सकता है। लेकिन बड़े-बड़े उद्योगों से कल्याण करना चाहेंगे तो हमारे देहात दिन पर दिन बरबाद होते चले जा रहे हैं।

सन् १९५१-५२ में ५० परसेन्ट लोग २०० रुपये से ज्यादा आमदनी वाले थे और ५० परसेन्ट २०० रुपये से कम वाले। लेकिन आज इस प्लानिंग के बाद और इस इंडस्ट्रियल पालिसी के बाद १९५६-५७ में ३५ परसेन्ट तो वह हो गये हैं जिनकी आमदनी २०० रुपये से ज्यादा है और ६५ परसेन्ट वे हैं जिनकी आमदनी २०० से कम है। इससे क्या मालूम पड़ता है? बड़ी समाजवाद की दुहाई दी जाती है। समाजवादी भाई भी कहते हैं कि हम समाजवादी कदम उठा रहे हैं। लेकिन आज अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है।

आज कहा जाता है कि देहातों में औद्योगीकरण करो, हम किसानों को बिजली दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्राणी जी से कहना चाहता हूं जो कि सौभाग्यवश मौजूद हैं और जिनके संबंध में हमें आशा है कि गृह उद्योग और छोटे उद्योगों से उन्हें प्रेम होगा। आज बिजली का रेट देहातों में क्या है? उदाहरण के लिये मैं मनकापुर का जिक्र करना चाहता हूं, जो देहात है, न जिसमें टाउन एरिया है और न नोटीफाइड एरिया है। वहां बिजली रोशनी के लिये नहीं आई बल्कि दिल जलाने के लिये आई है। २७ नये पसे प्रति यूनिट इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये वहां बिजली का रेट है जब कि कानपुर और लखनऊ में ७,८ और ५ नया पैसा यूनिट है और बल्क

[राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह]

सन्लाई में तो ५ और ४ नया पैसा पड़ता है। एक देहात का रहने वाला जो कोई बहुत होशियार आदमी नहीं है यदि वह चाहता है कि थोड़ा सा काम करे तो एक तो वह टेक्नीकली बैकवर्ड है और दूसरे उसके साथ आपका यह व्यवहार है कि चौगुना और पांच गुना बिजली का रेट वह दे तो वह किस तरह से मुकाबला कर सकता है? किस तरह से वह पनप सकता है, यह सदन के सोचने की बात है। श्रीमन्, ऐसे बहुत से रोजगार हैं, मैं तो देहात का रहने वाला हूं, किसान हूं, अन्न पैदा करता हूं, खेतीबाड़ी करता हूं, और बड़ी अभिलाषा थी कि अब तो खेतीबाडी जा रही है, लेकिन सरकार कुछ वर्षों तक बाग बगीचे वगैरह को कायम रखेगी और फलों के संरक्षण के काम को सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलेगा।

मुझे इस बात का अनुभव है कि फलों को सुरक्षित रखना बड़ा आसान काम है और उसमें कुछ लागत नहीं लगती है और इसके जरिये से खेती की जो समस्या है वह भी हल हो सकेगी अगर इस कार्य को आरम्भ कर दिया गया तो वह ऐसा काम है जिसमें किसान को काफी लाभ होगा और इस देश का भी लाभ होगा लेकिन जब मैं यह सोच ही रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि इसकी एक बड़ी भारी इन्डस्ट्री नैनी, इलाहाबाद में बिरला साहब को ठेके पर दी जा रही है जिस पर कई करोड़ रुपये व्यय होंगे और वह इस काम को अपने हाथ में लेंगे। तो कहता हूं कि आप काटेज इन्डस्ट्री के लिये कोई चीज मुकर्रर कर दीजिये, लघु उद्योगों के लिये कोई चीज मुकर्रर कर दीजिये और बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज के लिये कोई और चीज मुकर्रर कर दीजिये। जिस तरह से बड़ी इन्डस्ट्री को फारेन कम्पीटीशन के नाम से संरक्षण दिया जाता है उसके मुकाबले में इन छोटे उद्योगों को साधारण सुविधा भी नहीं मिल पाये तो किस तरह से हमारा देश पनप सकता, है, यह विषय गम्भीरता पूर्वक सोचने का है।

आज जिन बड़े उद्योगों को सरकार कर्जे के रूप में सहायता देती है उनमें क्या होता है, इसकी चर्चा इस सदन में हो चुकी है, मगर सौभाग्य से मुख्य मंत्री जी व मंत्राणी जी, जिनका कि इससे सम्बन्ध है दोनों यहां पर उपस्थित हैं इसलिये मैं यह कह देना चाहता हूं कि वे कम से कम इस चीज को सोचें और समझें कि किस तरह से इसका वितरण किया जाय और आज जो दलबन्दी और पार्टी-बन्दी के नाम पर बटवारा होता है वह न होने पाये। आज तो केवल दल या व्यक्ति को सहायता दी जाती है। यदि माननीय मंत्राणी जी इस बात के आंकड़े मंगायेंगी तो उनको पता चल जायेगा कि बहुत से लोगों को पक्ष के साथ ऋण दिया गया है, करोड़ों रुपया जिनके नाम बाकी था उनमें से बहुतों का तो पता नहीं है। इसमें नियमों का उल्लघंन किया गया और नतीजा यह हुआ कि करोड़ों रुपया जो वसूल हो सकता था वह आज वसूल नहीं हो पाया है। इस तरह से जो दूसरों को लाभ पहुंचाया जा सकता था वह नहीं हो पाया और देश का भी नुकसान हुआ। तो मैं यह चाहूंगा कि धन का वितरण ठीक प्रकार से हो और आज जिस तरह से इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट के नाम पर और इन्डस्ट्रियल फाइनेन्शियल कारपोरेशन के नाम पर पक्षपात होता है, वह न होना चाहिये।

आज जिस तरह से समाजवाद का नाम लेकर कहा जाता है किसी पार्टी के लिये कि वह तो रूढ़िवादी हैं वह प्रगति की ओर नहीं जा सकते हैं और एक तरह से कूप मंडूप ही बने रहेंगे तो मैं थोड़ा सा ब्रिटिश पार्लियामेन्ट का जिक्र करना चाहता हूं जिससे आप भी दिलचस्पी रखते होंगे क्योंकि आप ब्रिटश पार्लियामेन्ट में हो भी आये हैं तो मैं बतलाना चाहता हूं कि वहां पर किस एज के लोग हैं और मैं चाहता हूं कि उसको सदन भी जान ले और जिन यहां पर बैठे हुये हैं, वे भी सुन लें। श्रीमन्, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में जो २० से २९ वर्ष की उम्र वालों का ग्रुप है, वह ९ कंजरवेटिव और १ लेबर पार्टी का मेम्बर है। ३० से ३९ वर्ष वाले ६२ कंजरवेटिव और १८ लेबर पार्टी के ४० से ४९ वर्ष वाले १४४ कंजरवेटिव और ५५ लेबर पार्टी के, ५० से ५९ वर्ष वाले ११८ कंजरवेटिव और १०६ लेबर पार्टी वाले, ६० से ६९ वर्ष वाले ३५ कंजरवेटिव और

२९ लेबर पार्टी के सदस्य हैं, फिर ७० वर्ष से ऊपर के जो हैं उनमें ३ कंजरवेटिव और २० लेबर पार्टी के हैं तो जब ७० वर्ष से ऊपर वाले ३ कंजरवेटिव पार्टी में और २० लेबर पार्टी में हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरफ देश जा रहा है। आज जो नवजवानों की मनोवृत्ति है वह किधर जा रही है इसको सोच समझ कर देश का काम करना चाहिये महज कूप मंडूप बनकर वे अपने देश को बरबाद न करें।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आज इस अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव चल रहा है उसके पक्ष में जिन मेम्बर साहबान ने अपनी बातें कही है, उनको मैं बहुत गौर से सुन रहा था। मैं देखता हूं कि कुछ मेम्बर साहबान की यह खासियत हो गयी है कि वे किसी बात के सिर्फ एक पहलू को रखना चाहते हैं जिससे सही नक्शा जाहिर नहीं हो पाता है। मैं राजनारायण जी तथा बहादुरगंज के जो मेम्बर साहबान थे उनकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। उन्होंने जो यहां पर नक्शा रखा उससे ऐसा मालूम पड़ा कि हमारे प्रदेश में, जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है, चाहे वह बड़ा उद्योग हो या छोटा उद्योग हो, सब इस तरीके से चलाये गये हैं जिससे मालूम होता है कि यहां पर सिर्फ अन्धेरा ही अन्धेरा है और हमारे प्रदेश में उद्योग के सिलसिले में कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन हमारा यह खयाल है कि ऐसे मेम्बर साहबान की भी कमी नहीं है जिन्होंने यहां पर बातों को रखते हुये यह बतलाया है कि यहां पर जो कुछ काम हुए हैं वे ऐसे हुए हैं जिनसे हमारी तरक्की हो रही है और हमारा प्रदेश कुछ मानों में दूसरे प्रदेशों से पीछे नहीं है।

मैं मिसाल के तौर पर प्रेसिजन इंस्ट्रमेंट फैक्टरी का जिक्र करना चाहता हूं। वह ऐसा कारखाना है जो सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में एक ऐसा स्थान रखता है जिसके जरिये से हमारे प्रदेश का नाम बहुत ऊंचा होता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे उद्योग हों जिनके एलोकेशन में, एलाटमेंट में, जिनके साथ ट्रीटमेंट की वजह से ऐसी बातें आ गयी हों जिनकी वजह से उतनी कामयाबी न हुई हो जितनी कि हम उम्मीद करते थे या जितनी कि होनी चाहिये थी।

जहां तक एलोकेशन की बात है, मैं मिसाल के तौर पर एक बात रखना चाहता हूं। वह यह है कि अभी एक माननीय सदस्य ने मऊ का नाम लेते हुए कहा कि वहां पर दलाल लोग बड़े जोरों के साथ लूट खसोट कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है। यह एक मर्ज है जिससे इंकार नहीं किया जा सकता। इस मर्ज की तशखीश होनी चाहिये। अगर इस मर्ज की तशखीश में या दवा करने में कोई गलती हो गयी हो तो हो सकता है कि हम लोग दूसरी तरफ हट जायं। मेरा मतलब यह है कि हमारा जो मऊ का उद्योग है—कर्घे का, उसके वास्ते एक दवा निकाली गयी। वहां पर डाइंग, ब्लीचिंग एंड कलरिंग फैक्टरी खोली गयी लेकिन यह मालूम नहीं किया गया कि वहां पर कलरिंग फैक्टरी चल सकती है या नहीं। यह जो डाइंग फैक्टरी है वह क्या काम कर रही है? किस वजह से यह डाइंग फैक्टरी हमारे प्रदेश में खड़ी की गयी उसके मुताल्लिक हमारे इस भवन में बहुत से सवालात किये गये। जो जवाब दिये गये उनसे हमारे मेम्बर साहबान को जो इत्मीनान दिलाया गया या जो दिलासा दी गयी उससे सब लोगों को संतोष हुआ, ऐसी बात नहीं है। मेरा ऐसा खयाल है कि वहां पर जो रंगाई का काम है वह बिलकुल फेल्योर रहा है क्योंकि एलोकेशन ठीक नहीं था। वहां पर रंगाई का काम होना नहीं चाहिये था।

जहां तक कर्घे का सम्बन्ध है रंगाई के काम को बुनकरों को खुद सौंपने की बात होनी चाहिये, बड़े पैमाने पर रंगाई का काम वहां नहीं हो सकता है। एक बड़े पैमाने की बात मैंने बतायी। अब उससे थोड़े से छोटे पैमाने की बात बाराबंकी की ले लीजिये। वहां एक मीडियम साइज की डाइंग फैक्टरी अब स्थापित हुई है। बहुत दिनों से उसकी चर्चा थी और हम लोगों को इन्तजार था कि अब वहां की फैक्टरी खड़ी होगी। फिर पता चला कि कोई मशीनरी अभी नहीं आयी है,

[श्री इस्तफा हुसेन]

जब वह आजायगी तब काम कामयाबी हो सकता है । वहां मैंने जा कर देखा कि वहां का काम इत्मीनानबख्श नहीं है । उसकी दो वजहें हैं, एक तो यह कि वह मुकाम उसके लिये मौजू नहीं है । वहां पर जो बुनकर हैं वे खुद डायर्स हैं । जिस तरीके की डाइंग वहां चलती है उसके वास्ते एक मीडियम साइज की फैक्टरी की जरूरत नहीं थी । इसी तरीके से हम और भी बातें कह सकते हैं।

आज यहां पर गन्ने की बात कही जाती है । उसके मुताल्लिक भी मैं कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं । हमारे कुछ मेम्बर साहबान जब कभी गन्ने की बात करते हैं तो यह कहते हैं कि गन्ने का दाम बढ़ा देने से ही काश्तकार का लाभ होगा । वे यह नहीं समझते कि गन्ने का दाम ही बढ़ा देने से काश्तकार का लाभ नहीं होगा । मेरा अपना यह जाती तजुरबा और खयाल है कि गन्ने का दाम बढाने से ही काश्तकार का लाभ नहीं होगा । मैं भी एक काश्तकार हूं और इतना गन्ना पैदा करता हूं कि शायद ही उत्तर प्रदेश में दूसरे लोग उतना गन्ना पैदा करते होंगे । मैं १५०० मन फी एकड़ गन्ना पैदा करता हूं और एक मर्तबा १७६० मन फी एकड़ पैदा किया है । तो इस तजुरबे के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि गन्ने का दाम बढ़ाने से ही काश्तकारों का हित नहीं होगा बल्कि काश्तकारों का हित उस शक्ल में हो सकता है कि उनको उस तरफ रागिब किया जाय जिससे वे ज्यादा गन्ना अपने खेतों में पैदा कर सकें । गन्ने की पैदावार दो तरीके से बढ़ायी जा सकती है, या तो कोई लेजिस्लेशन यहां पर लाया जाय कि एक काश्तकार के पास अगर १० एकड़ खेत है तो ६ एकड़ या ४ एकड़ ही वह गन्ना बो सकता है, एक हद मुकर्रर करनी पड़ेगी । मैं खुद बता सकता हूं कि १४ सौ, १५ सौ या १६ सौ मन गन्ना फी एकड़ में कैसे पैदा हुआ । वह पैसे से पैदा होता है । जब तक एक एकड़ में १२० पौंड से ज्यादा नाइट्रोजन नहीं दी जायगी तबतक ७–८ सौ मन फी एकड़ से ज्यादा गन्ना पैदा नहीं हो सकता । तो १२० पौंड नाइट्रोजन काश्तकार कहां से लाये उसके लिये पैसा चाहिये और अगर उतनी मात्रा में खाद भी दें तो उसके साथ ही उतनी सिंचाई भी देनी पड़ेगी, फिर गुड़ाई भी करनी पड़ेगी और फिर और भी खर्चे हैं । इन सब को मिला कर इतना हो जाता है कि एक मामूली किसान के बूते की बात नहीं रह जाती । जरूरत इस बात की है कि काश्तकार को इतनी अच्छी तरह फाइनान्स किया जाय कि वह ४–५ सौ रुपये फी एकड़ लगा सकें ।

आज हमारे प्रदेश में कितने किसान ऐसे हैं, चन्द बड़े काश्तकारों को छोड़ कर जो ४–५ सौ रुपये फी एकड़ में खर्च के लिये तैयार हैं। ऐसी सूरत में मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि ऐसी प्रोत्साहन की बातें काश्तकारों के दरमियान में लायी जायं कि वे ज्यादा रुपया लगा सकें । उनके पास रुपया है नहीं । जाहिर है कि केन कोआपरेटिव लायें या गवर्नमेन्ट उनको खाद की शक्ल में, बीज की शक्ल में या और जो दूसरी चीजें हैं, जैसे आबपाशी, ये सब फैसिलिटी उनको दे । अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो जाहिर है कि काश्तकार ज्यादा एकरेज को गन्ने में फंसायेगा और फिर एक वक्त ऐसा आयेगा कि काश्तकारों को आप वाध्य करेंगे कानून से कि तुम इतने एकड़ गन्ना बोवो और फिर एक वावेला मचेगा कि हम गन्ना बोना चाहते हैं लेकिन हमको रोका जाता है । इसलिये फिर दूसरे इलाज को करने की जरूरत पड़ेगी । इसलिये इस चीज पर हमको ठंडे दिल से गौर करना पड़ेगा ।

जहां तक हमारे प्रदेश में दूसरी सनअतों की बात है उसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने बहुत की है । हैण्ड लूम के बारे में लोगों ने यह कहा कि इसके साथ और छोटे छोटे गृह उद्योगों के साथ बड़ा अन्याय किया गया ,उनका गला घोटा गया । ऐसी बात नहीं है, काम हुए हैं लेकिन थोड़े हुए हैं और ये काम ज्यादा तेजी से होने चाहिये थे जिससे बुनकरों को फायदा हो सकता । बुनकरों के साथ केवल हमदर्दी दिखाने से काम नहीं चल सकेगा । एक ऐसा वातावरण पैदा करने की जरूरत है जिससे सब लोग कोआपरेटिव में भाग लें । एक सदस्य ने कहा कि गांव-गांव में कोआपरेटिव के जरिये कारखाने चलाए जायं । उन्होंने दावा किया कि वह बहुत दौरा करते हैं और कहते हैं कि कोआपरेटिव नहीं है । कोआपरेटिव्स हैं, लेकिन वह चलते क्यों नहीं हैं,

प्रोडक्शन सेंटर कामियाब क्यों नहीं होते। इसकी वजह यह है कि फाइनेंसेज नहीं हैं और जो थोड़ा बहुत तरीका गवर्नमेन्ट निकालती है वह गलत तरीके होते हैं।

मैं रिबेट की बात करता हूं। गवर्नमेन्ट ने एक रिबेट दिया है जो कई वर्षों से चला आ रहा है। उसकी चर्चा होती है कि उसकी वजह से ही सोसाइटियों में करप्शन फैल रहा है। इसको दूर करने के लिये एक्सप्लेनेशन दिये जाते हैं लेकिन इत्मीनान नहीं होता। यह रिबेट सोसाइटियों को मजबूत करने के बजाय उनको करप्शन की तरफ माइल करती है। ऐसी सूरत में पावरलूम और लाया जा रहा है। आज हम मिल के प्रोडेक्शन को तो सीमित करना चाहते हैं ताकि करघे वाले बढ़ सकें। लेकिन पावरलूम लाने से क्या होगा? जितने बुनकर २० करघों पर काम करते हैं वहां एक पावरलूम पर एक काफी होगा। इससे १९ बुनकर बेकार होंगे। इससे बेकारी और बढ़ेगी। इसलिये दूसरी शक्ल पैदा करने से फायदा नहीं हो सकता है। हो सकता है मदरास, बम्बई वगैरा में ऐसा सिस्टम प्रचलित हो जिससे लोगों को आराम पहुंचता हो। लेकिन हम तो ऐसी चीजें पैदा करना चाहते हैं जिनसे कपड़े के अच्छे अच्छे डिजाइन निकलें और फारन एक्सचेंज अर्जित कर सकें।

फरिन एक्सचेंज की बात करने से मुझे एक बात याद आ गई कि बजट लिटरेचर में दिया है कि लखनऊ में गुड़ियों को बनाने के लिये एक एक्सपर्ट मौजूद हैं। वह कब्र में पैर लटकाये हुए हैं। वह कहीं मर न जायं इसलिये इस सनअत को अपनाने के लिये लखनऊ के नौजवान लगा दिये जायं। पता नहीं चला क्या लखनऊ के नौजवान गुड़ियों के साथ खेलना चाहते हैं या उनका रोजगार करना चाहते हैं। इसमें तो परदानशीन औरतों को लगाना चाहिये था और रामपुर में यह काम हो सकता था या इसमें जो लोग बेकार हैं उनको लगाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इन बातों पर ध्यान दें।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्द सिंह विष्ट द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस उद्योग महकमे के बारे में मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह महकमा स्थायी है, परमानेन्ट है लेकिन इसमें लाखों व्यक्ति जो काम करते हैं, चाहे वह इंस्पेक्टर हों या पालीटेक्निक संस्थाओं में काम करने वाले निदेशक, चपरासी या चौकीदार हों, उनके सम्बन्ध में अब तक यह बात नहीं सोची गयी कि उनको स्थायी किया जाय या नहीं। केवल कुछ जिला उद्योग अधिकारियों को परमानेंट किया गया है, लेकिन इंस्पेक्टर्स जो वर्षों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपना आधा जीवन इसमें व्यतीत कर दिया है उसके बारे में सरकार ने अभी तक कुछ नहीं सोचा। इसी प्रकार से अन्य अधिकारी ए० एस० पी०, एस० पी० और सुपरवाइजर आदि हैं, उनका भी न प्राविडेंट फंड कटता है और न पेंशन पाने की ही कोई सुविधा प्रदान की गयी है। इसमें शक नहीं कि बहुत सारे इंस्पेक्टर जो प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्य करते हैं उनका कार्य सराहनीय है और इन्सट्रक्टर (शिक्षक) या निर्देशक बहुत तजुरबेकार हैं, लेकिन उनका जीवन इंस्पेक्टर ही बन कर रह गया है। उसके ऊपर बढ़ने के लिये सरकार ने कोई योजना नहीं बनायी है। लगभग दो तीन वर्ष से मैं कहता चला जा रहा हूं लेकिन इस विषय में कोई कदम नहीं उठाया गया। जब कि हम उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो इस विषय में भी सोचना आवश्यक हो जाता है सरकार जैसे अपने अन्य कर्मचारियों को सुविधा देती है वैसी ही सुविधा इनको भी मिलनी चाहिये।

जहां तक प्रशिक्षण केन्द्रों का सम्बन्ध है प्रत्येक जिले में सर्वे किया गया कि वहां कौन कौन से उद्योग पनप सकते हैं और उनको पनपाने की चेष्टा की जा रही है। शिक्षण संस्थाओं में जो विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं इंस्पेक्टर से उनको कोआपरेटिव सोसाइटी बनाने को कहा जाता है। उनके सामने कठिनाई यह होती है कि विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थी होते हैं और सहकारी समिति में बंदिश यह है कि पांच मील के क्षेत्र के रहने वाले सदस्य होने चाहिये। अगर उससे बाहर का कोई है तो किस प्रकार सहकारी समिति में शामिल हो सकता है? इसलिये इस प्रकार की बंदिश उन शिक्षकों पर नहीं होनी चाहिये कि उनको सहकारी समिति बनाना अनिवार्य हो।

[श्री शिवराम]

ट्यूशनल क्लासेज के चलाने में एक बड़ी परेशानी यह होती है कि कच्चे माल का मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी जगह से मंगाया हुआ कच्चा माल महंगा पड़ता है और महंगे कच्चे माल से बनी हुई चीज भी महंगी पड़ती है। जो संस्थाएं खोली गयी हैं, वह इस लिए खोली गयी हैं कि लोगों को ट्रेनिंग दे सकें और अच्छे से अच्छा, सस्ते से सस्ता माल जनता को दे सकें लेकिन जब सस्ता कच्चा माल नहीं मिलेगा तो सस्ता माल कैसे पैदा कर सकते हैं? इसलिए सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि सारा कच्चा माल वहां पर जमा रखें और सस्ते दामों में ट्यूशनल क्लासेज तथा सहकारी समितियों को प्रदान करें। टाउन एरियाज और म्युनिसिपैलिटीज ने उनके ऊपर जो बड़ी-बड़ी चुंगी की बंदिश, कहीं-कहीं चुंगी की बन्दिश लगा रखी है, वह हटायी जाय।

जहां तक ग्रॉट और लोन का सवाल है, ट्रेनिंग के लिए कुछ विषयों में दो-तीन सौ रुपया ही रखा गया है। इस धन में वह औजार तो खरीद लेता है लेकिन उसके पास कच्चे माल के लिये पैसा नहीं होता। इसलिये सरकार को चाहिये कि कम से कम एक हजार रुपये का अनुदान रखा जाय क्योंकि ढाई–तीन सौ रुपये में वह केवल औजार खरीद पाते हैं, कच्चा माल नहीं खरीद पाते। इस वास्ते कम से कम १ हजार रुपये का अनुदान रखा जाना चाहिये जिससे यह उद्योग-धंधे ठीक प्रकार से चल सकें। कुछ ट्रेनीज ने ट्रेनिंग पा कर अपनी जीविका का अच्छा साधन बना लिया है। उन ट्रेनीज का सरकार को ध्यान रखना चाहिये और समय-समय पर उनको कहीं ट्यूशनल क्लासेज में काम सिखाने का मौका मिल सके तो ऐसे क्षेत्रों में काम सिखाने के लिए लिये जाने चाहिये.....

देहरादून में कई एक प्रकार की चीजें मिलती हैं और विशेष तौर पर वहां चूने का पत्थर मिलता है। चूने के पत्थर की गवर्नमेंट की तरफ से अब व्यवस्था कर दी गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी को यह ठीक प्रकार से विदित होगा कि जब आप सन् ५२ के मिनिस्ट्री में थे तो मंसूरी गए, मसूरी जाने पर वहां के चूने का काम करने वालों की, जो बहुत बड़ी परेशानी थी कोयले के न मिलने की, वह परेशानी आपने दूर कर दी। लेकिन मौजूदा समय में जब उनके सामने इस तरह की परेशानी आती है तो उनका मौसम भी निकल जाता है और उनको कोयला नहीं मिलता। जैसे जून तक इधर वह अपना चूने का भट्ठा चला सकते हैं और अगर ठीक समय पर कोयला नहीं मिला तो बरसात में तो वह चलता नहीं। इसलिये ऐसे समय में उनको ठीक वक्त पर कोयला मिल जाना चाहिए। कभी उनकी गाड़ियां वगैरह नहीं आतीं, कभी कह दिया जाता है कि कोयला नहीं आया, कभी-कभी कोटा भी उनका लैप्स हो जाता है, तो ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए कि जिससे उनका काम ठीक ढंग से चल सके।

दूसरी बात यह है कि पहले तो जमीन से पत्थर खोदकर मेहनत-मजदूरी करने वाले निकालते थे और वह भट्ठे वालों को मिल जाता था। लेकिन अब वह चीज खत्म हो गई है और पहाड़ों से पत्थर मिलने लगा है। लेकिन इसमें भट्ठे वालों को अच्छे किस्म का पत्थर नहीं मिलता। वह सारी की सारी व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में है जो करोड़ों का फायदा उससे उठाते हैं और उनको ६ आने टन रायल्टी दी जाती है जबकि २५ रुपये टन के हिसाब से वह उसको बेच लेते हैं। वहां पर हरिजन ठेकेदारों ने मिलकर एक अपनी सहकारी समिति भी बना ली। लेकिन उसमें परेशानी यह हो रही है कि उनके लिए कोई पत्थर की खान एलाट नहीं की गई। मैं नहीं समझ पाता कि जब उन्होंने एक अपनी सहकारी समिति बना ली है तो उनको पत्थर की खान एलाट करने में क्या दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि यह पत्थर जो वहां से निकला उसमें न जाने कितना सफेद संगमरमर और काला संगमरमर निकल कर चला गया। सरकार की तरफ से उसके लिए कुछ नहीं किया गया। एक बार माननीय केशवदेव मालवीय ने उस पर यह प्रतिबन्ध लगाया था कि इस तरह से पर्वतों की शोभा को नष्ट न किया जाय। वहां के लोगों की भी यह मांग थी कि हमारी नहरों का पानी कम हो जायगा, पर्वतों की सुन्दरता नष्ट हो

जायगी, छोटे-छोटे गांवों में जो लोग वहां रह कर काश्तकारी वगैरह करते हैं, वह नष्ट हो जायेंगे और उनका सारा उद्योग खत्म हो जायगा । इसलिए इन पर्वतों को न तोड़ा जाय ।

भूतत्व विभाग के संचालक द्वारा इसी प्रकार से तांबे के बारे में भी एक पुस्तिका सन् १९५६–५७ में देखने को मिली थी जिसमें एक योजना थी कि जो पर्वतों से निकलने वाली चीजें हैं उनके संबंध में छानबीन की जाय कि कौन-सी चीज कहां निकल सकती है और उसका पता लगाकर उसे बढ़ावा दिया जाय । लेकिन उसके बाद उस योजना का क्या हुआ कुछ मालूम नहीं । इसी तरह शोरे के बारे में भी बात कही गई थी लेकिन इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ भी उसके लिए दिखाई नहीं दिया कि सरकार ने उसके लिए क्या रखा है और जो पर्वतीय प्रदेशों में चीजें निकलती हैं उनमें पेरिस प्लास्टर वगैरह बनाने की चीजें हैं जिनके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया । एक दो व्यक्ति ही उस काम को कर रहे हैं । सरकार ने उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया । तांबा अपने प्रदेश में काफी खर्च होता है । वह पर्वतीय प्रदेश में निकलता है, उसके लिए सरकार को कोई योजना रखनी चाहिए थी ।

कुछ रेशम के कीड़े वगैरह पालने का काम आपने वहां शुरू किया है । वह ठीक है । मैंने देखा है कि कुछ पेड़ वगैरह उसके लिए लगाये गए हैं और वह काफी कामयाब हुआ है, पनप रहा है । तो इसी प्रकार जहां जो उद्योग जिस क्षेत्र में विकसित हो सकता है उसे वहां विकसित करने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

खांडसारी का मसला भी इसी प्रकार का है । तराई से लगे हुए मैदानी भाग में गन्ना काफी पैदा होता है और यह बिलकुल स्पष्ट है कि काटेज इंडस्ट्री की बात तो आप करते हैं लेकिन कोल्हू की जो एक व्यवस्था थी उसे आपने चौपट कर दिया । हजारों आदमी उसकी वजह से बेकार हो गए और क्रशर्स जो लगते हैं उनके ऊपर भी आपने लाइसेंस लगा दिया और गन्ना खरीदने पर भी टैक्स लगा दिया । इसका सारा का सारा असर ग्रामीण जनता पर पड़ा है और इस प्रकार का क्रशर अब केवल पैसे वाले ही लगा सकते हैं । लाखों मन गन्ना आज तराई भाग का पुल टूट जाने की वजह से तथा क्रशरों को लाइसेंस न मिलने की वजह से सूख रहा है । इसका सारा असर काश्तकार पर पड़ रहा है । इसी प्रकार के और भी उद्योग-धन्धे हैं, लेकिन उनके पास पैसा न होने की वजह से वह पनप नहीं पा रहे हैं । दूसरी तरफ जो कारीगर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वह हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं ।

श्री नरेंद्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्री ने जो अनुदान इस आदरणीय सदन में पेश किया है मैं उसके समर्थन में और माननीय विष्ट जी के कटौती के प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं । मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वह आज बड़े खतरे का क्षेत्र बन गया है । वह भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ है । वहां का नागरिक आज यह सोचता है कि किसी भी समय चीन आकर हम पर हमला कर सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, वहां का नागरिक यह भी जानता है कि आज चीन से हमारी टक्कर केवल फौजी टक्कर ही नहीं, कूटनीति की टक्कर ही नहीं है, बल्कि वह एक औद्योगिक शक्ति की टक्कर भी है । चीन की औद्योगिक शक्ति, हम चाहे पसंद करें अथवा नहीं, पिछले वर्षों में भयानक रूप से बढ़ी है । अब तक एशिया में जापान की औद्योगिक शक्ति सर्वाधिक थी । इन दस वर्षों के अन्दर चीन की औद्योगिक शक्ति जापान की औद्योगिक शक्ति से ५ गुना अधिक बढ़ गयी है इसीलिये चीन को अपनी शक्ति पर, अपनी औद्योगिक शक्ति पर नाज है । उसे गर्व है और इसीलिये वह नापाक मंसूबे लेकर हमारी ओर भी बढ़ रहा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर हमें उस क्षेत्र में, जिसका कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, सुरक्षा का वातावरण पैदा करना है तो हमें न केवल अपनी फौजी शक्ति बढ़ानी है बल्कि अपनी औद्योगिक शक्ति को भी बढ़ाना होगा और उसकी शुरूआत हमारे उत्तर प्रदेश में होनी है ।

[श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन एक दूसरे कारण से भी करता हूं । हर एक राज्य का सर्वप्रथम कर्त्तव्य यह होता है कि वह अपनी रोटी का इंतजाम करे। पिछली दो योजनाओं में हमने कृषि पर जोर दिया, सही बात यह है कि उस पर हम अनन्तकाल से जोर दे रहे हैं और पिछली योजनाओं में हमने कृषि को विकास कार्यक्रम में प्रथम स्थान भी दिया है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो मानवीय रूप से संभव था वह हमने कृषि के विस्तार के लिये किया । लेकिन हम प्रकृति पर विजय न प्राप्त कर सके । प्राकृतिक तत्वों ने, आपदाओं ने हमें समय-समय पर आ घेरा है और उसका उल्लेख इस आदरणीय सदन में पहले भी हो चुका है । इसके माने यह हैं कि हम लाख चेष्टा करने के बावजूद भी अन्न के मामले में, रोजी रोटी के मामलों में आत्म निर्भर नहीं हो पाये हैं ।

दूसरे उपाय क्या हैं ? उपाय हैं कि हमें अपने उद्योगों का विकास और विस्तार करना होगा । पिछले दिनों हमारे देश में जो जनगणना हुई उसके द्वारा जो आंकड़े हमारे सामने आये हैं उन्हें हम 'एलार्मिंग' कह सकते हैं । यूं तो सारे देश में, हर प्रान्त में जन-संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन हमारे अभागे प्रदेश में सब से अधिक वृद्धि हुई है । हमारे प्रदेश में १६·०९, बिहार में १०·६४, महाराष्ट्र में ८·२, पश्चिमी बंगाल में ८·०१, मद्रास में ७·७१, पंजाब में ४·६५, गुजरात में ४·७५, उड़ीसा में ४·०२, केरल में ३·३७, आसाम में २·७४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । जैसा मैंने कहा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि जन-संख्या में हुई है । इसके माने यह है कि उत्तर प्रदेश में रोजी और रोटी का इन्तजाम करने की हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गयी है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उद्योगों के विकास पर ही हमारे जीवन-मरण का प्रश्न बन गया है । प्रसन्नता की बात यह है कि हम अपने कर्त्तव्य को अच्छी तरह से समझते हैं । पिछले साल में हमने जो औद्योगिक उपलब्धियां हासिल की हैं वे काफी आशाजनक हैं और उन पर हम गर्व कर सकते हैं । पिछले साल समारे यहां जो औद्योगिक उत्पादन हुआ उसकी कीमत २९,३५२.३४ लाख रुपये हैं और १९५९ में जो वस्तुयें हमने पैदा की उनका मूल्य २१,२२९.९९ लाख रुपये था । इसका मतलब यह है कि पिछले वर्ष हमने करीब ८ हजार लाख रुपये की चीजों को अधिक पैदा किया ।

इसी प्रकार रोजगार व्यवस्था में भी हमने पिछले साल १९५९ की अपेक्षा काफी प्रगति की है । १९५९ में हम केवल २१·३४ प्रतिशत लोगों को रोजगार दे पाये थे जब कि पिछले साल हमने १९६० में ३८.२६ लोगों को रोजगार दिया । हमें मालूम है कि हमारे औद्योगिक केन्द्रों में काफी शान्ति रही । यही नहीं पिछले वर्ष मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की दिशा में काफी सहूलियतें देने का भी प्रयास किया गया । इसके होते हुये भी मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां से मैं आता हूं, इस योजना के बावजूद भी स्थानीय लोगों की रोटी और कपड़े की समस्या को हम हल नहीं कर पाये हैं । कुछ हुआ तो जरूर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, किन्तु वहां बहुत कम हुआ है । मैं वहां के नागरिकों की बात कभी नहीं भूल सकता । एक सार्वजनिक सभा में जब मैं बोल रहा था तो उसी क्षेत्र के एक नागरिक ने खड़े होकर मुझ से पूछा कि "आपकी योजनाओं ने हमें क्या दिया ? आपने कुछ रास्ते बनाये, आप गांवों में पानी भी लाये और कार्य भी किये, मगर उससे हमें क्या मिला ? इनके बिना हम मुद्दत से रहते आये हैं, और भविष्य में भी रहते, आज हमारी सर्वप्रथम आवश्यकता तो यह है कि हमें रोजी मिले । आपने रोजी देने के लिये क्या किया ?"

सन् १९५४ में इंडियन फारेस्ट्री साइन्स कांग्रेस की एडहाक कमेटी की एक मीटिंग श्रीनगर (काश्मीर) में हुई थी । उस कमेटी में एक यह प्रस्ताव पास किया गया था कि पौड़ी-गढ़वाल और टिहरी-गढ़वाल में जो वनस्पति हैं उससे हम अखबारी कागज तैयार कर सकते हैं और हमें वहां पर एक उद्योग इसका खोलना चाहिए । अगर ऐसा होता तो देश की ६० प्रतिशत

अखबारी कागज की पूर्ति उससे हो जाती । किन्तु सरकार ने पहाड़ों में कोई इस तरह का उद्योग नहीं खोला ।

एक सदस्य महोदया ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की तुलनात्मक बात हमारे सामने रखी । मैं उन्हें और आदरणीय सदन को सूचना दे दूं कि अब पंजाब ने एक बाजी और मार दी है । वह कांगड़ा घाटी में अखबारी कागज का कारखाना खोलने जा रहा है । हमारे यहां कच्चे माल की कमी नहीं है, केवल हमें उसके उद्योग को संगठित करना है और स्थानीय नागरिकों की रोजी और रोटी की व्यवस्था करनी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब पहाड़ का जिक्र आता है तो ऊन योजनाओं का बराबर जिक्र किया जाता है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऊन का कारोबार पहाड़ से खत्म होता जा रहा है । आपने कुछ उत्पादन और परीक्षण केन्द्र खोले हैं, लेकिन उनसे फायदा किसको होता है ? एक बुनकर है, कातने वाला है या बुनने वाला है, उसको अगर आप देखें तो २ घंटे में उसे ४ आने से ज्यादा मेहनताना नहीं मिलता । तो आप बताइये कि गांव से कितने ही मील चल कर जब उद्योग केन्द्र में वह जाता है और दो घंटे में उसको केवल ४ आना मिलता है तो उसे लाभ क्या हुआ ? फिर अगर ४ आना उसी समय मिले तो भी गनीमत बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है । वह साल ६ महीने में मिलता है और उसको साल ६ महीने तक इन्तजार करना पड़ता है । हम देखते हैं कि इन सरकारी उद्योग केन्द्रों की अपेक्षा गांधी आश्रम हमारे पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा "पापुलर" हो रहा है, क्योंकि अगर कोई किसान कताई और बुनाई करता है तो उसको गांधी आश्रम में तुरन्त ही मजदूरी मिल जाती है ।

श्रीमन्, ऊन उद्योग के संबंध में मुझे यह भी कहना है कि तिब्बत पर चीन का कब्जा होने के कारण अब हमारा तिब्बत से जो व्यापार था वह शनैः शनैः कम होता जा रहा है और यह स्थिति पहुंच गयी है कि तिब्बत से ऊन हमारे पर्वतीय क्षेत्र में आ नहीं पाता है । जब वहां से ऊन आती नहीं और उस तरफ रहने वाले भेड़ नहीं पाल सकते क्योंकि सरकार की वन नीति के कारण भेड़ पालने के लिये स्थान-स्थान पर चरागाह की व्यवस्था नहीं है, तो ऊन उद्योग कैसे तरक्की कर सकता है ? आपने भेड़ प्रजनन केन्द्र खोले हैं, करोड़ों, लाखों रुपया बरबाद किया है, लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पीपल-कोटी केन्द्र में बड़ी मुश्किल से विगत वर्ष ४ मन ऊन निकल पाया है और वह ऊन इतनी महीन है कि वहां का किसान उसको इस्तेमाल कर नहीं पाता है । तिब्बत से जो ऊन आता है उसको लाल इमली वाले या बड़े-बड़े पूंजीपति ले आते हैं या आपके उत्पादन केन्द्रों में लाया जाता है, तो वहां के किसानों को मिलता नहीं है । फिर ऊन उद्योग बढ़े कैसे ?

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, आज हमारे सामने जो उद्योग विभाग की मद पेश है वह ७ करोड़ कुछ लाख का है और उसमें वेतन तथा मानदेय के लिये ६ करोड़ का खर्चा बताया गया है । इसी प्रकार से कल जो हमारे सामने नियोजन था १० करोड़ का अनुदान था उसमें से ६ करोड़ वेतन मानदेय में था । इससे स्पष्ट है कि यह विभाग वेतन-भोगी लोगों का है न कि उद्योग में लोगों को सहायता देने का । इसको मैं आंकड़े द्वारा सिद्ध करना चाहता हूं । ऐसे तो लघु स्तरीय उद्योगों के लिए हम इच्छुक रहा करते हैं क्योंकि बहुत प्राचीन समय से जब से गांधी जी ने इस योजना का महत्व चर्खे द्वारा देश के सामने रखा और गृह उद्योगों के लिए सर्वमुखी समर्थन प्रदान किया, उस समय से इस बात की मान्यता चली आयी है । आज लघु स्तरीय उद्योगों के लिए ४२ लाख रुपये का ऋण देकर आपने अपना कार्य समाप्त समझने की कोशिश की है, लेकिन ये लघु स्तरीय, जिला स्तर पर जो ऋण दिये जाते

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

हैं यद्यपि हमको अंकों के द्वारा बताया जाता है कि हम इन ऋणों को अधिकाधिक दे रहे हैं, लेकिन कहानी यह है कि यह देने का क्रम बड़ा अटपटा है ।

१९५८–५९ में ३० लाख रुपये ऋण के रूप में एक हजार लोगों को दिया गया था, लेकिन १९५९–६० में ४१ लाख रुपया केवल ८८० लोगों को ही दिया गया । मालूम होता है सरकार कुछ थोड़े से लोगों को ही ऋण देकर संतुष्ट हो जाती है । श्रीमन्, जिला स्तर पर जो ऋण दिये जाते हैं उनके संबंध में भी मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं । कानपुर में जो लघुस्तरीय उद्योगों की समिति है उसमें मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला । इस साल के आंकड़े ही आप देख लें तो आप को मालूम हो जायगा कि सरकार की क्या नीति है । १९६०–६१ में १९ लाख रुपया अभी तक ऋण दे सके हैं, लेकिन अगले तीन महीने में कहते हैं कि ३२ लाख रुपया ऋण देंगे । इसके माने यह हुए कि जब ठंडे दिल से लोगों को ऋण लेने का मौका था तब तो सरकार ने ऋण देने में ढील की, लेकिन जब मार्च का महीना आता है तो एकदम से सरकार ऋण देने के लिये तैयार हो जाती है उन लोगों को भी जोकि अयोग्य हों क्योंकि गवर्नमेंट उस पैसे को डिसबर्स करना चाहती है । इसी प्रकार से अनुदान की भी बात है । ९ महीनों में तो ३८ हजार रुपये का अनुदान दिया गया लेकिन बाकी महीनों में ७८ हजार रुपया सरकार किसी न किसी के नाम डाल देना चाहती है ।

श्रीमन्, एक उदार ऋण योजना भी हमारे सामने है, जो एक निगम द्वारा संचालित की जाती है । इन ऋणों से बड़े-बड़े उद्योग भी पनपे हैं । हालत यह है कि सवा चार करोड़ रुपये की मांग की गई, लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये लेकिन उसमें सवा करोड़ ही सरकार ने स्वीकृत किया और उसमें भी सरकार ने ५७ लाख रुपया ही दिया । आज निगम की एक बहुत बड़ी व्यापक योजना बनी हुई है, लेकिन लोगों द्वारा मांगे गये ऋण का नवां हिस्सा ही वह दे पाता है ।

सरकार ने पब्लिक सेक्टर में जो सूक्ष्म यंत्र और चुर्क सीमेंट फैक्टरी, दो कारखाने खोल रखे हैं उनके संबंध में हमारी तरफ से बार-बार सरकार पर यह दबाव डाला गया कि उनके पूरे-पूरे एकाउन्ट्स मेमोरैंडम के रूप में हमारे सामने आने चाहिये, लेकिन पता नहीं सरकार हमारी इस मांग की क्यों अवहेलना करती आयी है ? केवल चित्रावलियां ही हमारे सामने रख दी जाती हैं । इन चित्रावलियों से भी पता चलता है कि राजकीय सूक्ष्म यंत्र कारखाने में ५·२७ लाख का लाभ हुआ है, लेकिन राजकीय सीमेंट फैक्टरी चुर्क के बारे में हम नहीं समझ पाये कि क्या इसमें लाभ हुआ या क्या क्रय-विक्रय हुआ । इतना जरूर मालूम होता है कि १३·८७ करोड़ रुपये की सीमेंट बेची जा चुकी है । लेकिन हालत यह है कि सीमेंट का कंट्रोल बार-बार लगने और मुक्त होने पर भी देहाती क्षेत्रों में सीमेंट नहीं मिल पाती है, धनिकों को अवश्य मिल जाती है और शहरों में बड़ी-बड़ी इमारतें बनती चली जाती हैं । यह कम्पनी कितने लाभ में चल रही है या कहां तक कामर्शियल लाइन्स पर चलाई जा रही है इस संबंध में हमारे पास कोई विवरण नहीं है ।

मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से कुछ शब्द प्रशिक्षार्थियों के बारे में भी कहना चाहता हूं । सरकार ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा कि इंडस्ट्रियल और टेक्निकल शिक्षा संस्थायें बढ़ाई जा रही हैं, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज का काफी प्रबन्ध हो रहा है लेकिन यदि हम देखें तो पता लगेगा कि सरकार जितना कहती है उतना वह कामयाब नहीं हो पा रही है । लखनऊ की ही बात ले लीजिये । यहां पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट कायम है । गोरखपुर में भी एक इंस्टीट्यूट है । वहां के विद्यार्थियों की बहुत दिनों से मांग है कि उनका डिग्री कोर्स रखा जाय लेकिन उनका स्टैटस नहीं बढ़ाया जा रहा है, डिप्लोमा कोर्स ही रखा जा रहा है । यद्यपि उनके पास लेबोरेटरी में काफी सामान आया हुआ पड़ा है । इसी प्रकार से सरकार कहती है कि पोलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दिलाने के लिये हैं लेकिन वहां से ट्रेनिंग लेकर लोग इधर-उधर भटकते-फिरते हैं ।

मैंने इसमें यह भी देखा कि आपने ९१ क्लस्टर्स कायम किये हैं जिनमें विद्यार्थी लोग शिक्षा पाते हैं। उनमें आप विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी देते हैं लेकिन वह है क्या ? सिर्फ २० रुपया। वे लोग कहते हैं कि अपने घरों को छोड़कर जब हम बाहर जायेंगे २० रुपया में किस प्रकार से भोजन कर सकते हैं। इस महंगाई के जमाने में एक आदमी को ८-१० आने में मुश्किल से भोजन मिलता है, इसके अलावा और भी खर्चा होता है। नतीजा यह होता है कि अच्छे किस्म के बिद्यार्थी उसमें नहीं आ पाते। पोलीटेकनिक के लिये भी आप वजीफा देते हैं २५ रु० माहवार।

उद्योगों में दो प्रकार के उद्योग हैं- एक लघुस्तरीय और दूसरे वृहद्स्तरीय। कानपुर एक ऐसा शहर है जहां पर वृहद्स्तरीय उद्योग धंधे कायम हैं। सरकार की भी उनसे बहुत सहानुभूति है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि एक न एक मंत्री हमेशा कानपुर में उपस्थित रहता ही है। कानपुर में उनके आने का जाने का कारण क्या है ? उसका कारण वहां के उद्योगों के और धनपतियों की चिन्ता तो है ही लेकिन उन लोगों से सहायता भी मिलती है। इसलिये कानपुर में हर मंत्री को किसी न किसी बहाने जाना ही पड़ता है। मामूली से मामूली कामों, जैसे किसी स्कूल का उद्घाटन हो या किसी दूकान का उद्घाटन हो, के लिये वे कानपुर जाते आते रहते हैं। मुख्य मंत्री जी भी वहां जाने के लिये बड़े उतावले रहते हैं।

सरकार कहती है कि लघु उद्योगों को बढ़ाने की उसको बड़ी चिन्ता है। डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज भी आपने कायम कर रखा है। ८-१० लाख रुपये की उसकी कानपुर में बिल्डिंग बनी है। डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज और असिस्टेंट डायरेक्टर सब आपने कायम कर रखे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कानपुर में कितने लघु-उद्योगों को पनपाया। कानपुर जिले में पहले बहुत से लघु उद्योग थे। मेरे क्षेत्र में भी एक सीसे का तथा नील का उद्योग था। उसके लिये मैंने बार-बार कोशिश की कि उसको पनपाया जाय, लेकिन सारी कोशिश बेकार गयी। उद्योग समिति की एक उप-समिति बनी थी, उसने भी रिपोर्ट की कि कानपुर के पुराने उद्योगों को पनपाने की कोशिश की जाय, लेकिन उस रिपोर्ट को भी बालायेताक रख दिया गया। इसलिये सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और जो सरकार की ओर से २ लाख रुपया वहां दिया जाता है उसके बारे में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह छोटे-छोटे उद्योगों को मिले और बजाय इसके कि शहर वालों को मदद दी जाय, देहात वालों को अधिक दी जानी चाहिये।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने की इजाजत दी है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो अनुदान पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अन्दर उद्योग धंधों के बड़े बड़े काम हुये, लेकिन पुस्तकों तथा अखबारों को देखने से यह पता चलता है कि प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार भिलाई वगैरह में कारखाने हैं, उस तरह के कोई कारखाने अभी तक नहीं खुले हैं। वैसे इलाहाबाद, अलीगढ़, बरेली और वाराणसी में कुछ कारखाने और उद्योग धंधे खुले हैं। लेकिन जिस जिले से मैं आता हूं, वह जिला गोरखपुर बहुत बड़ा जिला है। वहां की आबादी २३ लाख के करीब है। यही नहीं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मेरी तहसील में चीनी की दो मिलें थीं, लेकिन और कारखाने खुलने की बात तो दूर रही, केम्पीयर गंज की मिल भी तोड़ दी गयी। और इसी के पड़ोस में बढ़नी में चीनी की मिल थी, वह भी तोड़ी गई। इन दोनों के टूटने से बीसों हजार मजदूर बेकार हुए। आज वहां के गन्ने की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। सदन में बार-बार इसकी चर्चा

[श्री गौरीराम गुप्त]

होती है। मैंने दो साल पहले भी मांग की थी कि वहां चीनी की मिल खोली जाय लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया।

गोरखपुर जिला बहुत गरीब है। वहां के लोग बर्मा, रंगून, कलकत्ता, कानपुर बम्बई में और कोलियरीज में तथा चुर्क सीमेंट-फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं। दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गईं लेकिन गोरखपुर जिले में कोई बड़ा कारखाना नहीं खोला गया। मैंने कई बार इस सदन में मांग की है कि वहां की गरीबी और बेकारी दूर करने के लिये कोई बड़ा कदम उठाना चाहिये, लेकिन न मालूम उस तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया?

२७-२८ करोड़ का एक खाद का कारखाना वहां खुलने की चर्चा थी। पता नहीं क्यों नहीं खुला अभी तक? सुनने में आता है कि बड़ी लाइन न होने की वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जरूर खुलेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह कारखाना वहां खुलेगा या नहीं?

नौतनवां में जो कि नैपाल की सरहद के पास है, नैपाल सरकार से बातचीत करके एक सीमेंट का कारखाना खोला जाना चाहिये और चमड़े के जूते का कारखाना भी वहां खोला जाना चाहिये। फरेंदा में लाखों एकड़ जंगल हैं, वहां प्लाई वुड और कागज का कारखाना खुलना चाहिये। ब्रिजमनगंज में साबुन का कारखाना खुलना चाहिये और धानी बाजार, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण कस्बा है, वहां पर दियासलाई का कारखाना तथा उद्योग-धंधा चालू किया जाना चाहिये।

अभी फरेंदा में खादी की बुनाई का केन्द्र खुला था और बहुत-सी जगह अम्बर चर्खे की स्कीम चालू की गई थी लेकिन वह भी धीरे-धीरे तोड़ी जा रही है। फरेंदा तहसील एक बाढ़ एरिया का बहुत बड़ा केन्द्र है लेकिन वहां जो घरेलू उद्योग-धंधे खोले गये थे, वह भी धीरे-धीरे खत्म किये जा रहे हैं।

विकास अन्वेषणालय प्रकाशन संख्या ८६--योजना, जिला गोरखपुर की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की एक किताब छपी थी। इसमें जहां-जहां ब्लाक तथा छाया ब्लाक थे वहां उद्योग-धंधों को खोलने के लिये सरकार ने कहा था। लेकिन जहां तक मेरा खयाल है अभी तक दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद भी वहां कोई भी उद्योग धंधा नहीं खोला गया। इससे वहां की गरीबी और बेकारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारे यहां के लोग लाखों की तादाद में नैपाल राज्य में मजदूरी के लिये चले जाते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वहां जांच करा के, जो उद्योग-धंधे गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में खोले जा सकते हैं, उन्हें खोलने की कृपा करें। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय टीकाराम पुजारी ५ मिनट बोलेंगे और फिर गेंदासिंह जी बोलेंगे।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, आज तो मैं भी धन्यवाद दूंगा। मैं सुन रहा हूं कि छोटे-छोटे उद्योग-धंधे खोले जायं। जो कांग्रेस काम करती है ठीक है, लेकिन उसका निदान नहीं होता है और जब निदान नहीं होता है तो चिकित्सा नहीं होती है। मरीज का जब तक निदान नहीं होगा तब तक चिकित्सा नहीं होगी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार क्या करने जा रही है गरीब और अमीर के लिये, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बात तो बहुत पुरानी है लेकिन सरकार का

यह रंग है कि ज्यादा खाने वालों को, जिनको कि कब्ज है, और खाने को देती है और दूसरा फिरका ऐसा है कि जो भूखों मर रहा है। सरकार तो इस चाल से चल रही है कि जो ज्यादा खाने वाला है जिसको कि कब्ज हो गया है, उसको और दिये चली जा रही है ताकि गड़बड़ी हो और उसका पेट फट जाये और जो भूखों मर रहे हैं, उनको जुलाब देती है, जिससे वह जल्दी ही खत्म हो जाय, तो इस तरह से न तो ज्यादा खाने वाला ही बच पायेगा और न गरीब ही। यह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं ?

मैं श्रीमन्, इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बड़ी नहरें होती हैं उनसे रजबहे निकाले जाते हैं और उन रजबहों से सिंचाई का काम होता है। श्रीमन्, एक बड़ी गंगा होती है, उस गंगा में से नहर निकलती है और उन नहरों से फिर रजबहे निकाले जाते हैं, छोटे-छोटे कुलाबे होते हैं तो उसी तरह से जो पूंजीपति हैं उनमें से टाटा, बिरला, डालमिया, हरगोविन्द, पद्मपत सिंहानिया, आदि ९ बड़े पूंजीपति हैं जो कि इनमें एक तरह से हनुमान हैं। तो यह बड़ी नहरें हैं और इन से तो छोटी छोटी नहरें निकलती हैं उनका कहीं कोई ठिकाना नहीं है। इसलिये मैं तो यह कहता हूं कि जो छोटे-छोटे उद्योग धंधे हैं इनको अधिक सहायता दी जानी चाहिये और इसी से देश की गरीबी भी दूर हो सकती है।

श्रीमन्, यहां पर जो यह कटौती का प्रस्ताव लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। श्रीमन्, यह बड़ी खुशी की बात है कि इसमें कुछ छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा। आपको मालूम होगा, नमक का कानून सन् ३० में तोड़ा गया था लेकिन आजतक नमक बनाने का कोई उद्योग बना नहीं। श्रीमन्, हमारे जिले में कई जगह पर नमक पैदा होता है, वहां पर इसका काम अच्छी तरह से छोटे उद्योगों के लिये हो सकता है और काफी लोगों को इससे जीविका मिल सकती है वहां पर कई गरीबों का तो इसी से पालन होता है। इसी तरीके से फिरोजाबाद में आपने सुना होगा कि वहां की चूड़ियां अच्छी होती हैं और आज हिन्दुस्तान में फिरोजाबाद की चूड़ियां मशहूर हैं। इसी तरह से देहातों में मोढ़े बनते हैं, कुर्सियां बनती हैं, और इसी तरह के काफी छोटे उद्योग-धंधे होते हैं, उनको सरकार मदद दो यह ५०० रुपया जो आपने रखा है ऐसा न हो कि ढाई सौ तो चला जाय अमीरों में और जिनको मदद की जरूरत है उनके पास कुछ भी न जाने पाये। आज आपको मालूम होगा कि देहातों में ऐसे लोग भी हैं जो दिन भर काम करते हैं लेकिन बहुत कम पैदा कर पाते हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास रोजगार ही नहीं हैं। पूर्वी जिलों के लिये मैं कहता हूं कि वहां छोटे-छोटे उद्योग-धंधे बहुत जल्द खोले जायं और पश्चिमी जिलों की क्या कहूं उनके लिये तो पुजारी का इतना ही कहना है कि—

"हुस्न रहेगा यह न मान रहेगा,
आबपाशी को छोड़ दो एहसान रहेगा।"

और क्या कहें श्रीमन्, इस पुजारी की तो ये अखबारवाले भी नहीं लिखेंगे। लिखते हैं नेता लोगों की। इस बुड्ढे शेर की कोई सुनता नहीं और कोई लिखता नहीं। देश बरबाद होता चला जा रहा है।

आप समानता लाइये, यह नहीं कि किसी को चार पैसे रोज, ६ पैसे रोज, किसी को २५ रुपये रोज, ५० रुपये रोज, १०० रुपये रोज। बड़े-बड़े सरकारी नौकर हैं, जज हैं, मुंसिफ हैं, कलेक्टर हैं, हजार, दो हजार, तीन हजार महीने तनख्वाह वाले इंजीनियर लोग, इनके पास जमीनें हैं किसी के पास हजार बीघे किसी के पास दो हजार बीघे, शहर में इनकी कोठी और देहात में इनकी कोठी। यह जमीन इनसे ले ली जाय और देहात के लोगों को, गरीबों को, किसानों को दे दीजिये, इससे गरीबों का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। सूप बनाने वाले, मोढ़ा बनानेवाले और तमाम दूसरी छोटी-छोटी चीजें बनाने वाले लोगों को सहूलियतें दी जायं। बस आपको भी इस बुड्ढे शेर का धन्यवाद।

*श्री गेंदासिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जाब्ते से मैं माननीय गोविन्दसिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं, लेकिन जो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं और खास तौर से जो उन्होंने समाजवाद से इन्कार किया है उसको कोई भी समझदार आदमी मंजूर नहीं कर सकता। आज देश और सारे संसार के लिये अगर कोई उपाय देखने में आता है जिससे कल्याण हो सके, नये जीवन का उदय हो सके तो उसके लिये समाजवाद के अलावा और कोई मार्ग नहीं दीखता। मैं समझता हूं कि वे जब तक इससे इन्कार करते रहेंगे तब तक इस सरकार के लिये कोई इलाज उनके हाथ में नहीं है। अगर इस सरकार को वह बहस भी दें तो हमें डर लगता है कि इससे भी बुरी हालत में वे देश को ले जायेंगे। मैं समझता हूं कि इस सरकार की जो आलोचना की जाय तो उसकी पृष्ठभूमि भी ऐसी होनी चाहिये कि हम समाज में वह रास्ता अपनाना चाहते हैं जिससे इस सरकार के कामों को दुरुस्त करके समाज को ऊंचा ले चलने के लिये सरकार को कुछ रोशनी देना चाहते हैं, यह मालूम पड़े। श्रीमन्, उसूली बातों में जाने के लिये वक्त नहीं है संक्षेप में यह बात मैंने निवेदन की।

अब मैं यह समझता हूं कि कुछ उन्होंने सरकार की खामियों की तरफ ध्यान दिलाया है और बहुत अच्छी तरह से दिलाया है। मैं भी कुछ बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मेरा ऐसा खयाल है कि सारे भारतवर्ष में जो इंडस्ट्रियल पालिसी इस वक्त चल रही है उससे कुछ भिन्न उत्तर प्रदेश की सरकार अपने यहां पालिसी चला रही है। हमारी यह धारणा कुछ ऐसे ही नहीं है। पिछले १०, १२ वर्षों से मैं देखता चला आता हूं उससे मैं ऐसा समझता हूं कि सारे भारत में बड़े उद्योगपतियों को जितनी सहूलियतें नहीं मिलती हैं उतनी सहूलियतें छोटे उद्योगों का बलिदान करके उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मिलती हैं।

मैं दो तीन उदाहरण सामने पेश करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री, जो इस समय मौजूद हैं सोचें, उनको जानकारी भी होगी कि इस प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन है। सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री है और शुगर इंडस्ट्री को बचाने के लिये इंडियन शुगर मिल एसोसियेशन ने जो कुछ कहा, उनसे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी, उसने १६ आने उसकी बात को स्वीकार किया और उस पर कार्यवाही की। क्या कार्यवाही उसने की? इंडियन शुगर मिल एसोसियेशन ने यह कहा कि चीनी का उत्पादन घट रहा है। इसलिये गन्ने को किसी हालत में डाइवर्ट नहीं होने देना चाहिये खांडसारी और गुड़ के रूप में। उसी के लिये सरकार ने यह कानून बनाया विधान सभा के जरिये। हम लोग विरोध करते रहे और मेरा खयाल है कि उधर के लोग भी विरोध करते रहे लेकिन उस विधेयक को कानून की शक्ल दी गयी और उसके जरिये यह उपाय किया गया कि गन्ने को किसी भी हालत में काश्तकार रिजर्व जोन में खांडसारी की ओर न ले जायं। गुड़ की कीमत गिराने की कोशिश की गयी। इससे आज क्या हालत पैदा हो गयी? हालत यह पैदा हो गई कि आज चीनी मिल मालिक यह कहने लगा कि उसके पास चीनी तो गोदामों में भरी पड़ी है। शुगर वेज बोर्ड के सर्वसम्मत निर्णय के हिसाब से पैसा मजदूर को देना चाहिये, वह देने के लिये तैयार नहीं। ८ वर्ष का पुराना बकाया जो है, डेफर्ड पेमेंट है, उसे वह रोके हुए है किसानों को देने से। उसके साथ ही साथ यह मिल मालिक कहने लगा कि चीनी भी ऊंची कीमत पर बेची जायगी, मुनासिब दाम पर वह नहीं बेचेगा। अब यह सूरत पैदा हो गई है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया बड़े मिल मालिकों को बचाने के लिये, वह कदम क्या बम्बई, महाराष्ट्र, आन्ध्र, मद्रास, मैसूर, ट्रावनकोर, कोचीन और केरल की सरकार ने उठाया या किसी और ने उठाया है और किसी ने खांडसारी यूनिट पर कोई बंधन लगाया है? यदि माननीय मुख्य मंत्री को कोई जानकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो तो वे इस सदन को बतलायें। फिर फैक्टरियां कहां बढ़ीं? पहली तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो वे दक्खिन में बढ़ीं। हां, यह बात जरूर है कि वहां कोआपरेटिव सेक्टर में ज्यादा बढ़ीं। किसानों की ज्यादा फैक्टरियां हैं। उनको इस बात की जरूरत नहीं पड़ी कि गन्ने को उनके लिये रोका जाय और खांडसारी में या गुड़ में उसे न बदलने दिया जाय।

मैं माननीय मुख्य मंत्री की जानकारी में ले आना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में खांडसारी की यूनिट्स बैठ रही हैं। गुड़ की कीमत घट रही है। कोल्हू की तादाद कम हो रही है, सब चीजें कम हुई हैं। इस नीति से क्या नतीजा निकलता है? वैसे हमारी इंडस्ट्रियल पालिसी यह कहती है कि काटेज ऐन्ड स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को तरक्की देना है और बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्सेशन करके छोटी इंडस्ट्रीज को बचाना है। तो यू० पी० में जो बात हो रही है उसका इस पालिसी से मेल कहां मिलता है? अब तीसरी पंचवर्षीय योजना का यह पहला साल है। लिहाजा माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि इस पालिसी को सरकार किस तरह अपनायेगी, किस तरह से चलायेगी, छोटे उद्योग-धंधों के लिये वह क्या करना चाहती है?

माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से रऊफ साहब, जो बयान दे रहे थे उसमें, उन्होंने कहा कि हैंडलूम ने बड़ी तरक्की की। हैंडलूम में उन्होंने जो तरक्की की उसका कारण है। हैंडलूम की सब से बड़ी संख्या कहां है? मद्रास में। लेकिन शुगर इंडस्ट्री की सब से बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है। मगर यहां गुड़ और खांडसारी के ऊपर सरकार की तरफ से आक्रमण होता है। मद्रास में हैंडलूम की सब से बड़ी संख्या होते हुए भी वहां बड़ी मिलों की तरफ से उस पर कभी भी कोई हमला नहीं किया गया। महाराष्ट्र और बम्बई में सूती मिलें हैं, लेकिन उनका कौन-सा हमला हैंडलूम के ऊपर हो रहा है? यह जरूर है कि बड़ी मिलों से वहां कुछ सेस वसूल किया जाता है और उससे हैंडलूम की थोड़ी मदद की जाती है।

श्रीमन्, गुड़ डेवलपमेंट मुहकमा यहां बना। बहुत सालों से वह चला आ रहा है। पिछले वर्ष यह तय हो गया था कि वह मुहकमा परमानेन्ट किया जायगा। मैं उन सौ, सवा सौ आदमियों की परमानेन्सी के चक्कर में नहीं हूं। मैं तो सरकार की पालिसी के चक्कर में हूं और कहना चाहता हूं कि जिस गुड़ उद्योग में १०-१२ लाख आदमी लगे हुए हैं और जो कोआपरेटिव सेक्टर है—कोई कोल्हू अकेले नहीं चल सकता, जब कोल्हू चलेगा तो उसमें बैल वाले आयेंगे, कुछ पकाने वाले होंगे, कुछ पेरने वाले होंगे, कभी भी कोल्हू १०, ५ आदमियों के मिले बगैर नहीं चल सकता, तो जो हमारी प्लानिंग के लिये और इस तरह से बैठने का एक जरिया हो सकता था कि गांव में हमारा विलेज लेविल वर्कर बैठ कर लोगों को अच्छी-अच्छी बातें बता सकता है और कोआपरेटिव तरीके से काम करने की जहां से एक नसीहत मिल सकती थी उसको सरकार क्यों डिस्करेज कर रही है? क्या गुड़ की कीमत नहीं गिरी है? जब पिछले दो, तीन वर्षों में चीनी की कीमत नहीं गिरी तो जो गुड़ की कीमत गिरी उसकी क्या वजह है और अगर गिरी तो क्या उसमें सरकार का हाथ नहीं था? फारवर्ड मार्केट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट का हाथ न हो लेकिन क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी उसमें हाथ नहीं है? छोटे उद्योग-धंधों की तरफ बड़ा सौतेला व्यवहार सरकार का है और सौतेला ही नहीं बल्कि ऐसा व्यवहार है कि जिस किसी तरीके से भी छोटे-उद्योग-धंधे मर जायं वही किया जाता है। यह हत्या होगी और मैं समझता हूं कि इस हत्या का प्रायश्चित्त सरकार को करना पड़ेगा। पहली और दूसरी योजनाओं में भूल हो सकती थी, लेकिन उस भूल के अनुभव से तीसरी योजना में इसको संभालना होगा।

मैं, एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चार शुगर मिलें बनाने की योजना थी। हम नहीं बना पाये और जो कोआपरेटिव मिलें हमारी बनी हुई उनकी तरफ भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, चाहे वह बाजपुर की हो, चाहे बागपत की हो

[श्री गेंदासिंह]

बागपत की फैक्ट्री की क्या हालत है ? उसकी ऐसी हालत है कि मिल वाले हमको ताना देते हैं। मैं समझता हूं कि ये फैक्टरियां आदर्श होनी चाहिये और वह आदर्श हो सकती हैं।

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मोहीउद्दीनपुर, खड्डा और डोईवाला, ये तीनों फैक्टरियां सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं और उसके बाद से उनकी हालत सुधरी है। आखिर कोआपरेटिव सेक्टर क्यों नहीं सुधरेगा ? क्या जरूरत है कि हम उसमें १,८०० और २,००० रुपये के मैनेजर रखें। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को मैनेजर रखना चाहिये जो एक बुनियाद वहां पर तैयार कर सकें। तो इन कोआपरेटिव फैक्टरियों को इस तरह से चलाना चाहिये जिससे कि दूसरों के लिये वे एक आदर्श हो सकें। आज किछा की फैक्ट्री क्यों नहीं चल सकी ? और नहीं चल सकी तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं ? वहां ४० लाख रुपये सरकार के आज कितने दिनों से पड़े हुए हैं। कभी दीवाल बनती है, कभी गिरती है। और भारत सरकार से हमारा नाता कोई खराब नहीं है। सारी दुनिया कहती है कि भारत सरकार में तो यू० पी० ही यू० पी० है।

जब उत्तर प्रदेश भारत सरकार में है और मिनिस्ट्री में बंटवारा हो सकता है तो हम सोचते थे कि कुछ मिनिस्टर यहां छोड़ कर चले आते जिससे हमारा हिस्सा ठीक से मिल पाये। क्यों नहीं मशीन मिली, क्यों नहीं फैक्ट्री चली ? एक बात और कहूं कि कुछ जगह तो रुपया भी इकट्ठा हो गया था। जैसे पलिया में किसानों ने कई लाख रुपया इकट्ठा कर लिया था और वहां के लोगों की बड़ी शिकायत है कि वहां मिल क्यों नहीं खोली गई ? यदि शुक्ल जी मुख्य मंत्री जी की सेवा में निवेदन करें तो शायद कुछ सुनवाई हो जाय। मैं भी समझता हूं कि इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

एक दो बात अंत में और कह दूं। क्या कभी सरकार ने ध्यान दिया है कि इस सूबे में रीजनल डिसपैरिटी है ? हमें एक किताब उद्योग विभाग की मिली है। इसमें सादगी का खयाल रखा गया है और गोविन्दसिंह जी चुर्क फैक्ट्री की किताब के बढ़िया कागज की बात कह रहे थे, उससे यह जरूर कुछ हल्का है। इनफार्मेशन भी कुछ ज्यादा है और मैं समझता हूं कि गोविन्द सिंह जी को जरूर खुशी हुई होगी। अगर इनफार्मेशन सस्ते दामों में दें तो बहुत अच्छा है। फैक्टरियों के लिये जो लाइसेंस मिले हैं उनको देखा जाय। हमारा कसूर जरूर है और रऊफ जाफरी साहब का भी है कि जहां वह रहते हैं वहां बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। मैं क्या करूं ? अगर वहां पर आबादी ज्यादा है तो उसको दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिये। जब सरकार की पालिसी है, मैं भी कहता हूं, कृषि मंत्री जी भी कहते हैं और मुख्य मंत्री जी भी कहते हैं कि जमीन के बटवारे का नाम क्यों लेते हो ? क्यों नहीं इनको इंडस्ट्रीज की ओर ले जाते हो ? कहां ले जायं ? कोल्हू मरने वाले हैं, खांडसारी चली गई और कपड़ों की बिक्री होगी नहीं क्योंकि आमदनी नहीं है। इन सब चीजों के होते हुए इस पापुलेशन को किस प्रकार ले जायं। अगर इस तरफ सरकार का ध्यान जायगा तो मैं समझता हूं कि सबका कल्याण होगा

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य मंत्री जी ने उद्योग विभाग का अनुदान प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह निश्चय ही सत्य है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जो उद्योगों में प्रगति हुई है उसमें भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत नीचे है। यह भी सही है कि उद्योगों में होने वाली आय, देश की आय यानी मेरा राष्ट्रीय इनकम से मतलब है, इसमें जो प्रगति हुई है उत्तर प्रदेश उसमें भी बहुत पिछड़ा हुआ है। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों के लिये साधन पर्याप्त नहीं हैं। यह कह कर केन्द्रीय सरकार उद्योगों धंधों को इस प्रदेश में लगाने के लिये बहुत कम ध्यान देती है। कुछ उद्योगपति भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई चीजों की बड़ी भारी कमी

है। एक तो यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बंदरगाह नहीं है इसलिये माल के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिये हमारे यहां उद्योग-धंधे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। बिजली के लिये कहते हैं कि मंहगी पड़ती है, इसके अलावा रॉ मैटीरियल का भी जिक्र करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के मुकाबले में कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन हमारे यहां छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज के लिये बहुत गुंजायश है और इसकी तरफ भी उत्तर प्रदेश में बहुत कम ध्यान दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों को तीन हिस्से में बांटा गया है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्माल स्केल इंडस्ट्री, काटेज ऐन्ड विलेज इंडस्ट्रीज। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में कुछ प्रगति हुई है। पर आमतौर से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में हम लोन दिया करते और वही हाल काटेज इंडस्ट्रीज में भी है। हमें उत्तर प्रदेश में इस बात की जरूरत महसूस होती है कि जो यह लोन दिया जाता है क्या इसका सही-सही उपयोग होता है? और इससे कितना उत्पादन बढ़ता है, इसमें कितना एम्पलायमेंट बढ़ता है, इन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाय, मेरा खयाल है कि जितना इनवेस्टमेंट होता है उस हिसाब से न तो उत्पादन बढ़ा है और न उस अनुपात से एम्पलायमेंट बढ़ा हालत में मुझे लगता है कि इसमें दो चीजों की कमी है। एक तो सुपरविजन कम है, दूसरे है। ऐसी टेक्निकल हैंड्स प्रोवाइड करने की कमी मालूम पड़ती है।

एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उद्योग-धंधों के सिलसिले में हमें ग्रामों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये, क्योंकि मैं शहर में देखता हूं कि हर एक मिल के फाटक पर हजारों की तादाद में मजदूर मुंह बाये रहते हैं कि उनको कुछ काम मिल जाय। अगर देहातों में यह आकर्षण पैदा किया जाय तो वहां से जो पल्टन आ कर इकट्ठा हो जाती है और परेशानी तथा भुखमरी का शिकार बनती है, इससे बच जायं। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि कानपुर की ओर बहुत ध्यान दिया जाता है, रोज वहां मंत्री पहुंचते हैं। पर मैं उन मित्रों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सभी पार्टियों के बड़े-बड़े नेता कानपुर की तरफ नजर लगाये रहते हैं और वहां पहुंचते हैं। उनके भी आकर्षण का केन्द्र कानपुर है। इसमें भी कोई शक नहीं।

कानपुर कई माने में दर्शनीय नगर है। एक तो वहां पर ऐसे उद्योग-धंधे हैं जिनकी एशिया में कोई सानी नहीं, जैसे चमड़े और जूते का उद्योग। स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में है, जिसमें १२ हजार मजदूर एम्प्लायड हैं। एशिया भर में ऐसा मिल नहीं है। एलेक्ट्रिक सप्लाई का कारखाना भी बहुत बड़ा कारखाना है, लेकिन साथ ही वहां के पूंजीपति बेईमान इस मानी में हैं कि जो आर्डर उनको मिलते हैं वह सही माल सप्लाई नहीं करते। हम कह सकते हैं कि डिसआनेस्ट एक्सपोर्टस हैं। इस मामले में कानपुर बहुत बदनाम हो गया है। कई बार इस सदन में भी इस बात का जिक्र आया है कि चमड़े के जूतों का आर्डर मिला, वह कैंसिल हुआ और बहुत बदनामी हुई। सरकार का ध्यान इस तरफ जाना चाहिये कि उत्तर प्रदेश की शाख इस मामले में गिरने न पाये। इसके साथ साथ मैं दो एक बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह हैं जितने उद्योग-धंधे प्रदेश में बढ़े, बेकारों की पल्टन भी बहुत बढ़ी है। हमारे सेवा योजन कार्यालय इस ओर प्रगति कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को एम्प्लायमेंट मिले, हालां कि सेवा योजन कार्यालय इसलिये नहीं बने हैं कि लोगों को नौकरी दिलायें। वह इसलिये बने हैं कि जहां पर आदमियों की मांग हो, वहां पर जिस दस्तकारी को लोग जानते हों, उनको वहां भेज दिया जाय। उनका दूसरा काम टेक्निकल हैंड्स प्रोवाइड करना भी है। पर ट्रेनिंग में कहीं पर कमी जरूर है क्यों कि ट्रेन्ड वर्कर्स भी अनएम्प्लायड हैं। इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये कि ट्रेनिंग उसी तरह की दी जानी चाहिये जिस तरह की कि उद्योग-धन्धों में मांग हो।

एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो कारखाने खुलते हैं, थोड़ी बहुत पूंजी लगाकर वह कारोबार शुरू कर देते हैं, सैकड़ों मजदूर एम्प्लाय कर

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

लेते हैं, पर वह उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं । नतीजा यह होता है कि एक-एक झोपड़ी में दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह मजदूर घुसे रहते हैं । सरकार एक कानून बनावे जिसके जरिये से यह करे कि जो उद्योगपति कारोबार खोलेगा, उसके लिये यह अनिवार्य होगा कि वह अपने कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के लिये इंडस्ट्रियल स्टेट भी बनावेगा । उसका नतीजा यह होगा कि जो बीमारियां कानपुर नगर में बढ़ी हुई हैं, सारे हिन्दुस्तान में उसका नाम बीमारियों के लिये भी सिरमौर है, टी० बी० के मरीजों में आज वह सिरमौर बना हुआ है, वह चीज नहीं रहेगी । ऐसी हालत में उद्योगपतियों पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि जो उद्योगपति कोई कारोबार खोलेगा उसको इंडस्ट्रियल एस्टेट बनानी ही पड़ेगी ।

एक बात मैं मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं कि जो उद्योगों में मजदूर लगे हुये हैं यह ठीक है कि हमारे कई मित्रों ने कहा कि बड़ी शान्ति है, ठीक है, शान्ति ऊपर से दिखाई जरूर देती है, पर अन्दर ही अन्दर उसमें एक विद्रोह की ज्वाला भी फैल रही है । उसकी वजह यह है कि उनके साथ न्याय नहीं होता, उनके साथ सख्ती की जाती है और नौकरी की शर्तों में भी उनके साथ बहुत ज्यादती की जाती है । जो आज स्टैंडिंग आर्डर है जिसके मातहत कि उद्योगों में मजदूर काम करते हैं उसमें तब्दीली की जरूरत है ताकि उद्योगों में शान्ति और अमन कायम रह सके और उद्योगों को चलाने वाला जो मजदूर है उसकी भी हालत अच्छी हो । हमारा देश समृद्धि की ओर बढ़े, यह जब हम कहते हैं तो उस समृद्धि की एक नाप (Seatle) यह भी है कि जो नीचे दर्जे का आदमी है, मजदूर है, किसान है, जब उसकी तरक्की होगी तभी हम उन्नति करेंगे और तभी देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के और विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने सबने मेरा समर्थन किया । एकआध माननीय सदस्यों ने शुरू में एक तकल्लुफ के नाते कहिये या शिष्टाचार के नाते कहिये माननीय मंत्री जी के ग्रान्ट की ताईद तो की कि ग्रान्ट पास हो जाय, लेकिन उसके बाद सारी तकरीर जो दी वह मेरे पक्ष में दी । इतना ही नहीं मैं माननीय नरेन्द्र सिंह जी भंडारी का बड़ा ही अनुगृहीत हूं, उन्होंने कहा कि यद्यपि सरकार बहुत शोर करती है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जो कि तिब्बत से मिला हुआ है, वहां के निवासियों की हालत को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है । गुर्बत वहां बहुत इन्तहा दर्जे पर पहुंच चुकी है । माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं थे, उनकी याददाश्त ताजी हो जाय इसलिए मैंने दुहरा दिया । गोयल जी ने थोड़ा-सा शुरू में समर्थन किया, लेकिन अन्त में कहा कि जो इंडस्ट्रियल आफिसर्स हैं वह कुछ काम के नहीं हैं, कुछ जानते नहीं, कुछ बताते नहीं, वह किसी काम के नहीं है । माननीय बेचनराम जी ने कुछ भूमिका बांधी, लेकिन उसके बाद कहा कि लघु उद्योग गिर रहा है, फलां चीज होनी चाहिए, फलां चीज होनी चाहिए । बहर-हाल कोई विशेष बात ऐसी नहीं कही गई जिसका कि जवाब मुझे देने की जरूरत हो । हां, विरोधी पक्ष से एक बात आयी ।

माननीय गेंदा सिंह जी को कुछ ठेस लग गई एक समाजवादी के नाते, समाजवाद का नाम जो ले लिया । गोया समाजवाद क्या हो गया कोई छुई-मुई का पौधा हो गया, जरा छू दिया तो बड़बड़ाने लगता है । तो एक नारा है, एक मौका है उसके लिए, एक फैशन होता है--मौलाना शौकत अली ने लिखा था--

'बुद्धू मियां भी हजरते गान्धी के साथ हैं,
गो मुश्ते खाक हैं मगर आंधी के साथ हैं ।'

तो वह शेर याद आता है और अकबर इलाहाबादी की बात याद आती है कि आज अगर सोशलिज्म न कहा जाय तो सारी तकरीर बेकार । सोशलिज्म गोया तकरीर के द्वारा ही वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लायेंगे, उसके लिए आचरण, त्याग, तपस्या, बलिदान आदि की कुछ जरूरत नहीं है। तो इस सोशलिज्म के नाते एक बात उन्होंने कह दी कि यह होना चाहिए और सोशलिज्म होगा, होकर रहेगा। इसके मानी क्या ? इसके मानी यह कि राष्ट्रीयकरण होगा सभी उद्योगों का। व्यक्तिगत लोग उद्योगों को नहीं चलायेंगे बल्कि सरकार उनका राष्ट्रीयकरण करेगी और चलावेगा कौन ? वही ब्यूरोक्रेसी जिससे उनको इतनी सख्त नफरत है। यानी कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी का रहेगा, लेकिन कहते हैं कि सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण हो जाय। यह परस्पर विरोधी बातें नहीं होनी चाहिये। आप अपने दिल की बात सफाई से कहिये।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दो-चार बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। रामपुर के उद्योगों में करोड़ों रुपया लगा हुआ है, पहले वे चलते थे लेकिन अब ठप पड़े हुए हैं। उसके शेयर का दाम भी हमने घटाया और नुकसान भी दिया, लेकिन जब तक हमारे पास रहे, वे चले भी तो घाटे में, अब किसी को दे दिया है तो उसमें नफा होने लगा। इसी तरह से आपकी एक जी० पी० आई० एफ० है, दूसरी चुर्क की फैक्टरी है और एक झूठा नफा दिखाने वाली बरेली में एक फैक्टरी है, बाकी और कौन-सा ऐसा उद्योग है कि जो नफे में चल रहा है ? लेकिन फिर भी कहते हैं कि सारे उद्योग हम करेंगे। आखिर आपको अपनी क्षमता भी देखनी चाहिये। उसका टेक्निकल नोहाउ क्या है यह भी जानना चाहिये : रामपुर के उद्योगों के लिये कम से कम कुछ करना चाहिये और किसी प्रकार भी उनको चलाना चाहिये ताकि उनके रख-रखाव का खर्च तो खत्म हो।

एक आध माननीय सदस्यों ने याद दिलायी कि अनुदान का किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है और पार्टी के आदमियों को किस प्रकार मदद करने की कोशिश की जाती है। इसी सदन में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि अल्मोड़े में एक राजनीतिक पीड़ित है उसे उद्योग के नाम पर रुपया दिया गया और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि उन्होंने उससे गल्ले की दूकान खोली है। यह नये किस्म का उद्योग है। तो इस प्रकार इस रुपये का दुरुपयोग होता है। मैं बस्ती गया, वहां पता लगा कि बहुत-सा रुपया इस तरह का पड़ा हुआ है और एक खास गुट के लोगों को दिया जाता है। तो इस प्रकार जनता के धन के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिये।

इंडस्ट्री में जो आदमी हैं, भले ही वे विरोधी पक्ष के हों अथवा अपने पक्ष के, उसमें ऐसे आदमियों को यह रुपया दिया जाय जो उद्योग को बढ़ायें। यह भावना कि अनुदान देकर अहसान करेंगे किसी पर, यह गलत चीज है। एक बात और है। स्माल इंटरप्राइज में जो आमदनी थी वह घटी है। पहले १५.५ थी और दो योजनाओं की पूर्ति के बाद वह १२.४ रह गयी है। १९५४ में सूती कपड़ा ९ करोड़ १० लाख ५२ हजार गज था तो वह अब घटकर ९ करोड़ १ लाख ७ हजार गज रह गया है और कपड़ा इसी तरह से ३६ से घटकर ३४ आ गया। इसी तरह से तागा, जूट आदि में गिरावट हुई है। क्या तरक्की यही हुई है ?

मैं एक माननीय सदस्य शिवराम जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बतलाया कि हमारे भारत में कुल १३ करोड़ का सालाना तांबा आता है। पहले सबसे ज्यादा इस्पात और लोहा आता था। तीसरे नम्बर पर तांबा था। आज भी वह आ रहा है। हमारे देश में १९५६ में २ करोड़ ९० लाख का तांबा पैदा हुआ। पहले माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि कुछ सर्वे कराने की योजना है। लेकिन दो योजनायें बीत गयीं और अभी तक कुछ नहीं किया जा सका। हमारे यहां मैंगनासाइट, शीशा, तांबा आदि निकला है, लेकिन उसके लिये कोई योजना हमारे सामने नहीं है और अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने कुमायूं के पिछड़े होने की याद दिलायी। वह तो बीच में त्रिशंकु की तरह से लटका हुआ है। हम पिछड़े हुए गिनेज उत्तराखंड में, लेकिन उसे हमारे साथ रखा नहीं जाता। उसकी योजनायें अलग हैं। इधर हम मिलाये नहीं जाते। तो उस क्षेत्र में तो अब हमारे मुख्य मंत्री जी भी पधारे हैं, और इस तरह वह भी त्रिशंकु लोक में

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

पहुंच गये हैं। श्रीमन्, वह न आसमान में है। और न जमीन में। यह नेगलेक्टेड एरिया है। यह जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं ये उत्तराखंड की हैं। तो इस क्षेत्र की ओर ध्यान देने की जरूरत है।

फिर ऊन उद्योग की बात बहुत की जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि वे ऊन ऊन की बात बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन कितना ऊन का उद्योग वहां के घरों में वे स्थापित कर सके हैं यह मैं जानना चाहता हूं। उसे वे कितना आगे बढ़ा सके हैं। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि अल्मोड़ा में जो प्लान्ट लगा है उसको जाकर देखें कि उसमें कितनी प्रगति हुई है। वह तनिक भी आगे नहीं बढ़ा है।

मान्यवर, जो पुस्तिका हमें मिली है उसके पृष्ठ १०१ पर कुछ आंकड़े दिये गये हैं कि हमारा लक्ष्य क्या था और उनकी कहां तक प्राप्ति हुई है? इसमें लिखा है कि प्रशिक्षित कत्तिनों की संख्या का लक्ष्य था ११,४०० और प्राप्ति दिखाई गयी है ५,८६०। इसी तरह प्रशिक्षित बुनकरों की संख्या का लक्ष्य था २०५, प्राप्ति है केवल १३४। वस्त्रोत्पादन (रुपये) में का लक्ष्य था ४,०८,००० और प्राप्ति है २,१८,८४७.८७। एक चीज और है वस्त्रों का विपणन, यह विपणन शब्द तो क्या है, मैं जानता नहीं, इसका लक्ष्य भी ४,०८,००० था और प्राप्ति है २,२१,२०२.०० रुपये। तो इस तरह से करीब ५० प्रतिशत का एचीवमेंट्स हो पाया है, ५० प्रतिशत हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाये हैं। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी अब चूंकि पहाड़ से संबंध रखते हैं इसलिये वहां की ओर उनका विशेष ध्यान रहेगा।

एक बात मान्यवर, मैं यह कहूंगा कि जब तक हमारा औद्योगिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। इसके लिये जरूरी यह है कि जो मजदूर काम करने वाला है उसको यह अच्छी तरह से विश्वास हो जाये कि अगर वह ज्यादा मेहनत करेगा तो उसका उसे कुछ फल मिलेगा। जब तक उसमें उसका कुछ हिस्सा नहीं होगा तब तक वह ज्यादा मेहनत से काम नहीं करेगा और हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकेगा। सरकार राष्ट्रीयकरण की बात करती है, लेकिन मैं पूछता हूं आज तक सरकार ने कितने उद्योग ऐसे चलाये हैं जिनमें मजदूरों को हिस्सेदार बनाया है। जिसमें उनकी मेहनत का हिस्सा रखा गया है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार उनको उनमें हिस्सेदार बनाये और यह कार्य करके एक आदर्श स्थापित करे।

टेक्निकल इन्स्टीट्यूट की बात है। कई स्कूलों के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा। मैं चाहता हूं इसकी हमारे यहां बहुत आवश्यकता है। हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े-बड़े उद्योग तो खुल नहीं सकते, छोटे-छोटे उद्योग खुल सकते हैं। लीसा जैसी चीज के लिये तो बरेली को ठीक समझा जायेगा, मगर मैं इतना कहूंगा कि हमारे यहां लीसा इतना पैदा होता है कि हम उसे खर्च नहीं कर सकते। हमारे यहां के जो पिछड़े हुए पूर्वी क्षेत्र हैं जहां के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी कोई सुधार होने की सम्भावना नहीं है, पता नहीं उनको क्यों छोड़ दिया गया है, उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी जरूर ध्यान दें। आज इस बात की शिकायत है कि सरकार जो रुपया बांटती है वह जिस तरीके से बांटती है वह तरीका गलत है, उसको ठीक किया जाय। जब बाहर आदमी आता है तो उसे नजर आता है कि वह क्या है, किन्तु जब वह कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। कहा है—

"कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय,
या खाये बौरात है वा पाये बौराय।"

आज औद्योगीकरण हमारे लिये जीवन और मरण का प्रश्न है। इस दिशा में हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। आज तक जो कुछ भी हुआ है वह बहुत कम है। जो कुछ भी अनुदान हम इसके लिये देते हैं, अभी यह बताया गया कि उसमें से १० परसेंट तो उद्योग अधिकारी और दूसरे अधिकारियों की जेबों में चला जाता है। फिर यह देखा गया है कि जिसकी माली हालत केवल ५०० रुपये की है उसकी तो ३२ हजार रुपये की जमानत मान ली जाती है और जिसकी जायदाद १० हजार की होती है उसकी ३ हजार की भी नहीं मानी जाती। इन बातों की ओर माननीय

मुख्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और जो हमारे आफिसरों का जो ट्रेन्ड है उसे भी बदलना चाहिये। अच्छे आदमियों को हमें इसमें रखना चाहिये और उनको एक आदर्शमय अधिकारी बनाना चाहिये। जब यह सब होगा तभी हमारे प्रदेश की तरक्की होगी, तभी हमारे देश की तरक्की होगी . . .

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम रह गया. . .

श्री अध्यक्ष—आपने ४-२५ से मांगा था।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने ४ बजकर १५ मिनट पर कहा था कि बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—आपको १० मिनट और भी अधिक दिया जा सकता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अनुगृहीत हूं उनके बहुत से सुझावों के लिए, जो उन्होंने विकास के सिलसिले में और कमियों के सिलसिले में सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं। मैंने उनकी बहुत सी आलोचनाओं को स्वतः बहुत गौर से सुना है और उनका बराबर यह आक्षेप था कि यह सरकार, जहां भूलें भी होती हैं, गलतियां भी होती है, महज प्रचार के लिए और प्रसार के लिए उन भूलों को स्वीकार नहीं करती है और बराबर यह बड़ी बड़ी पुस्तकें छपा कर इस प्रदेश की जनता को और माननीय सदस्यों को बहकाने की चेष्टा करती है, यद्यपि उसको कोई इस बात को साबित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने इतने वर्षों में प्रदेश में उद्योग-धंधों की दिशा में कोई कार्य नहीं किया है; अंग्रेज के जमाने में जो कार्य चलते थे या जिन उद्योगों का संचालन होता था उससे प्रदेश में कोई अधिक प्रगति हुई नहीं है—कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार से अपने विचार प्रगट किये।

मैं अब उन विचारों के विषय में इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि यदि माननीय सदस्य सदा एक ही चश्मा लगा कर प्रदेश की उन खामियों, कमियों और प्रगति के सिलसिले में अपनी नजर डालते रहेंगे और उस नजरिये के अनुसार अपने विचार प्रकट करते रहेंगे तो प्रदेश कभी प्रगति करने वाला नहीं है। हां, यह हो सकता है कि उधर बैठने से चश्मे का रंग शायद दूसरा रहता है और जब कभी इधर आने का अवसर मिलता है तो चश्मा बदल जाता है। तो मैं चाहूंगा कि सदस्यगण इन कमियों और खामियों को दूर करने की इस प्रकार से चेष्टा करें कि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाकर वे उसको राजी करें और उस ऊपरी क्रान्ति को शीघ्र लाने की चेष्टा करें जिसके विषय में बराबर चर्चा करते हैं। क्योंकि जितने सामने बैठने वाले सदस्यगण हैं वह किसानों के हिमायती हैं और इधर जितने हैं ये पूंजीपतियों के हिमायती हैं, पैसे वालों के पीछे चलने वाले हैं और रोजमर्रा कानपुर का सफर करते हैं, इस तरह से आलोचना करने में हम कुछ चीजों के निर्मित करने में सहायता प्रदान नहीं करते। हमने कभी दावा नहीं किया। बराबर जिस दिन से मैं यहां आकर बैठा हूं, अपनी कमियों, प्रदेश की कमियों और जो कुछ खामियां हमारे कार्य करने के सिलसिले में रहती हैं उनकी बराबर चर्चा रहती है और उनके विषय में बराबर कहा है कि हम बढ़ नहीं पाये हैं। लेकिन यह भी कहा है कि हमारा बराबर कदम उधर चलने की तरफ रहा है, क्योंकि चलकर ही कदाचित् हम प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और प्रदेश में उद्योग-धंधों को चलाकर और उनके विकास के कार्यों का सम्पादन करके उस समाज को लाने में एक रास्ता पकड़ सकते हैं जिसके बनाने के लिए प्रत्येक उधर बैठने वाला उत्सुकता प्रदर्शित करता है। और बहुत उमंग का परिचय देता है।

मैं पहले गोविन्द सिंह जी के प्रश्नों को ही लेता हूं। उन्होंने यह आलोचना की कि जो घरेलू उद्योग-धंधे और छोटे उद्योग-धंधे हैं उनको हम विकसित नहीं कर रहे हैं; पहाड़ों की तरफ जो कि पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है और हम उनकी प्रगति के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मैं बहुत अदब से उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे वास्तविकता को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जब वे यह कहते हैं कि घरेलू और छोटे उद्योग धंधों की तरफ इस प्रदेश की सरकार का ध्यान नहीं गया है ?

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

क्या अंग्रेजों के जाने के बाद इस प्रदेश में घरेलू और छोटे उद्योग धंधे विकसित नहीं हुये हैं ? यदि उन्हें आज से दस पन्द्रह वर्ष पहले के उद्योग धंधे देखने थे और आज जो छोटे और घरेलू उद्योग धंधे विकसित हुये हैं उनको देखना है तो उनको प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाना चाहिये जहां कि इस प्रकार के उद्योग धंधे विकसित होते रहे हैं। वे आज अलीगढ़ चले जायं और देखें कि क्या आज वहां ताले का रोजगार उसी तरह से चल रहा है जैसे १५ वर्ष पहले चल रहा था और क्या आज वह ताले का उद्योग हमारे देश को फारेन एक्सचेंज नहीं प्रदान कर रहा है और अधिक लोग उसमें लगकर अपनी रोजी नहीं कमा रहे हैं ? वे मेरठ में चले जायं जहां शरणार्थी भाई आये हैं और जब से आकर बसे हैं क्या उन्होंने वहां पर कैंची और इसी तरह के अन्य उद्योगों को विकसित करने में भारी कदम नहीं उठाया है ? वह गाजियाबाद में बने हुये विभिन्न प्रकार के लोहे के सामान की तरफ ध्यान दें और देखें कि क्या उत्तरोत्तर उद्योगों में प्रगति नहीं हुई है ? इसी प्रकार से वे बनारस, मऊ या कानपुर ही चले जायं और देखें कि वहां पर जो बहुत पहले छोटे छोटे उद्योग धंधे चल रहे थे उनमें परिवर्तन नहीं हुआ है और क्या जितना विकास हुआ है उसके चिन्ह नजर नहीं आते हैं ? तो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से बातें करते हैं तो वास्तविकता से मुंह मोड़ते हैं।

पिछले ८-१० वर्षों से जब से कि हमारी योजनायें चली हैं, हमने जो छोटे और घरेलू उद्योग-धंधों के विकास और प्रसार के लिये भारी कदम उठाये हैं और आज जब कि मेरे पास आंकड़े हैं क्या उनसे इस बात की घोषणा नहीं होती कि उत्तरोत्तर छोटे उद्योग धंधों को काफी मात्रा में हम विकसित करते जा रहे हैं। हमारे पास प्रोडक्शन फीगर्स हैं उसके अनुसार हमने २५,६०,६७,००० रुपये का सामान इन उद्योगों से १९५७ में पैदा किया। १९५८ में ३०,३१,७३,००० रुपये का सामान तैयार किया। १९५९ में ३२,२६,०५,००० रुपये का सामान तैयार किया और १९६० में ३९,१५,६१,००० रुपये का सामान तैयार किया। और इन छोटे उद्योग धंधों के द्वारा ही करीब साढ़े ६ करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेंज कमाया। क्या यह फारन एक्सचेंज हम अंग्रेजों के जमाने में भी कमाते थे ? क्या इतनी मात्रा में हम उस जमाने में छोटे उद्योग धंधों का संचालन करते थे ?

मैं मानता हूं और बराबर कहता रहा हूं कि उद्योगधंधों की प्रगति बहुत तेजी से नहीं हो रही है, उसमें दिक्कतें रही हैं, परेशानियां रही हैं, ट्रेन्ड पर्सोनल की कमी रही है और साधनों की कमी रही है और सबसे भारी कमी बिजली की रही है। यह सही है कि जन संख्या के अनुपात में लोगों को रोजगार देने के लिये और बेरोजगारी को मिटाने के लिये जिस हद तक इन छोटे छोटे उद्योग धंधों को पनपाना चाहिये था उतना हम नहीं पनपा पाये हैं, लेकिन यह कोई नहीं कह सकता कि उत्तरोत्तर हम प्रगति की ओर नहीं जा रहे हैं, उद्योग धंधों का विकास नहीं कर रहे हैं। विभिन्न डिजाइन सेन्टर्स पर नयी नयी डिजाइन्स निकाल कर क्या हम लघु उद्योग धंधों को एक बल नहीं दे रहे हैं ? और क्या उन उद्योगों के द्वारा हम फारेन मार्केट बनाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं ? आगरे के जूते मशहूर हैं। कौन नहीं जानता कि अभी थोड़े समय पहले रूस से जूतों का आर्डर मिला तो क्या वह वहां से आर्डर पूरा नहीं किया गया ? यदि मैं तमाम उन उद्योग धंधों की चर्चा करने लगूं तो बहुत समय लग जायगा। केन्द्रीय सरकार ने यह नीति नहीं बरती है कि सिर्फ घरेलू और छोटे उद्योग धंधे ही पनपें।

आज जिस युग में हम सब रह रहे हैं वह इस बात की इजाजत नहीं देता है कि महज छोटे उद्योग धंधों की बुनियाद पर हम अपने बीच वह सारी शक्ति पैदा कर लेंगे जिसके हम इच्छुक हैं। माननीय सदस्यगण जो मेरे सामने बैठे हैं रोज चीन और रूस की चर्चा करते हैं। रूस तो आज कल चन्द्रलोक में जाने की चेष्टा कर रहा है, उसने एक आदमी स्पेस के पार भेज भी दिया। उसका आदर्श हमारे सामने रखना और फिर छोटे उद्योग धंधों की चर्चा करने में, मैं समझता हूं, जो लोग ऐसा करते हैं उनके विचारों में संतुलन नहीं है। केन्द्रीय सरकार की

नीति बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के साथ छोटे धंधों को विकसित करने की रही है और वही हमारी भी है। मैं समझता हूं और यह सरकार भी समझती है कि बिना ऐसी नीति अपनाये हुये हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि इस विज्ञान के युग में संसार के देशों में हमें अपनी जगह प्राप्त करनी है तो जहां छोटे उद्योगों का हम विकास करें वहां बड़े उद्योगों को बढ़ाना भी जरूरी है। अगर वे पब्लिक सैक्टर के द्वारा संचालित हो जावें तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम सब चाहते हैं कि बड़े-बड़े बेसिक उद्योग धंधे पब्लिक सैक्टर के द्वारा संचालित हों। लकिन क्या उसके लिये हमें साधनों की जरूरत नहीं पड़ती है? जो हमने विधान बना रखा है क्या उसके मुताबिक यदि हम प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो उन्हें कम्पेनसेशन देना जरूरी नहीं है?

माननीय विष्ट जी तो बिना इसके राजी भी नहीं होंगे, भले ही गेंदासिंह जी कह दें कि उनका राष्ट्रीयकरण कर लो। लेकिन विष्ट जी तो उठ कर चिल्लाने लगेंगे कि यह हस्तक्षेप तो विधान के विरुद्ध है और रोज वे और उनके साथी हाई कोर्ट में दिखलाई देंगे। विष्ट जी की नीति यह नहीं है कि समाजवादी व्यवस्था इस देश में स्थापित हो। लेकिन फिर मेरी समझ में नहीं आता कि राजनारायणजी ने भी उनका समर्थन कैसे कर दिया जो हर चीज में राष्ट्रीयकरण की ही बातें करते हैं। राष्ट्रीयकरण की बातें करने का उन्हें अधिकार है और इस ओर बैठने वाले लोग भी उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन वे उस नीति को उसी हद तक पूरा करने को उद्यत हैं जिस हद तक उसे केन्द्रीय सरकार ने और सारे प्रदेशों ने अपनाया हुआ है। उसके तहत में हम बेसिक इंडस्ट्रीज को लेंगे और प्राइवेट सैक्टर को भी बहुत कुछ उद्योग धंधों में काम करने की इजाजत देंगे। महज आलोचना करने से या आंकड़े पेश करने से उद्योग धंधे हमारे बीच में नहीं आ सकते हैं। हमें तो उनके लगाने का प्रयास करना है। इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन जो केन्द्रीय सरकार का है उसी के तहत में हम आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। ज्यों-ज्यों हमारे साधन बढ़ते जाते हैं वैसे ही हम तेजी की ओर बढ़ने के लिये कदम उठाते जाते हैं।

माननीय विष्ट जी ने पहाड़ों का जिक्र किया। क्या १०, १२ वर्ष के बाद आज पहाड़ी क्षेत्र वैसे ही हैं जैसे पहले थे? अगर कोई यह कहे कि वहां विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है तो मैं कहना चाहता हूं कि वह एक सही बात सदन के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर रहा है। मैं भी आज पहाड़ी क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं यद्यपि मुझे बहुत कुछ वहां जाने का अवसर अभी नहीं मिला है लेकिन जो कुछ थोड़े से समय में मैंने देखा है मैं कह सकता हूं कि वहां विकास के कार्य हो रहे हैं। फल संरक्षण का उद्योग हमारे प्रदेश में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। क्या वह पहाड़ के रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन पैदा नहीं कर रहा है? और क्या उत्तरोत्तर वह रोजगार देने की दिशा में नहीं जा रहे हैं? हमने वहां लगाने के लिये ३३ लाख पेड़ बांटे और २५ लाख अपनी नर्सरीज में पैदा किये। रानीखेत में जो चौपटिया का गार्डन है उससे अगर आमदनी बढ़ती है तो क्या उससे उस, क्षेत्र के आदमियों की आमदनी नहीं बढ़ती? हमने वहां पर फैक्ट्रीज भी खोलीं, प्रोसेसिंग फैक्ट्री खोलीं। क्या पहाड़ों के रहने वालों को उससे लाभ होने नहीं जा रहा है? जिन लोगों के पास जमीन नहीं है खेती करने के लिये क्या इन तरीकों से उनकी आमदनी को नहीं बढ़ाया जा रहा है? यदि उनकी आमदनी बढ़ी है तो फिर उस बात को स्वीकार करने से आप गुरेज क्यों करते हैं? यह सही है कि सारे पहाड़ी क्षेत्र में हम उद्योग धंधों को नहीं फैला पाये हैं। इस योजना में भी पिछड़े हुए पहाड़ी इलाकों को विकसित करने के लिये प्रयत्न किया गया है। फलों के बगीचे और हर्ब्स को लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उत्तराखंड के जिस हिस्से का जिक्र किया गया उसकी आबादी ५० हजार है, उस हिस्से में जहां खेती नहीं हो सकती है वहां ऊन और फलों के रोजगार को बढ़ावा दिया जायगा। हर्ब्स के रोजगार को भी विकसित किया जायगा।

हमारे यहां इसके अतिरिक्त जियोलोजिकल विभाग खुला हुआ है। वह पहाड़ों पर मिल सकने वाले मिनरल्स के बारे में खोज कर रहा है कि क्या कोई चीज वहां मिल सकती है। लेकिन अनुसंधान का काम एक दिन में नहीं हो जाता। फूंक मार कर उनको नहीं निकाला जा सकता।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

उसमें वर्षों लगते हैं और पैसा भी उस पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन फिर भी आज शिकायत की जाती है कि सरकार पहाड़ों की ओर ध्यान नहीं देती है।

लीसा के उद्योग के बारे में बहुत जिक्र किया गया। लीसा से हमारे मित्र विष्ट जी तो बहुत दिनों से परिचित हैं लेकिन मैं तो अभी थोड़े ही दिनों से पहाड़ी हुआ हूं। इन्हीं थोड़े से समय में मैंने अल्मोड़ा जिला की पंचायतों को ८·१/२–१० लाख रुपये की लीसा से आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न किया है। आप ने शिकायत की कि लीसा कोआपरेटिव सोसाइटीज को नहीं दिया जाता है और सारा लीसा टरपेन्टाइन फैक्टरी को दे दिया जाता है। यह सच है कि टरपेन्टाइन फैक्ट्री को जितना लीसा दिया जाता है वह कुल लीसे का अधिकांश होता है और वह इसलिये दिया जाता है कि लीसा फैक्ट्री सरकारी फैक्ट्री है और उसने सरकार से २० साल का एग्रीमेन्ट कर रखा है कि जो प्रोड्यूस होगी उसमें से इतना हिस्सा देना पड़ेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—एग्रीमेन्ट तो ६१ में खत्म हो रहा है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उस एग्रीमेन्ट के तहत में अब तक लीसा दिया जाता रहा है। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार ४ लाख ५५ हजार मन लीसा तैयार होगा जिसमें से तीन लाख मन हम टरपेन्टाइन फैक्ट्री को देंगे, १ लाख मन ओपेन मार्केट में बेचेंगे और ६० हजार मन कोआपरेटिव सोसाइटीज को देंगे जिन के लिये माननीय विष्ट जी बहुत इच्छुक हैं कि उनको अधिक मात्रा में लीसा दिया जाय। इसके अलावा ५० हजार मन लीसा अल्मोड़ा जिले में बेनाप लैंड में होता है। इस लैंड का अब तक बहुत दुरुपयोग होता रहा है। उससे हमें ५० हजार मन लीसा मिलेगा। करीब-करीब साढ़े आठ या १० लाख रुपये का लीसा हम वहां की गांव समाज को दे सकेंगे। इस आमदनी से वे विकास के कार्य कर सकेंगे। माननीय विष्ट जी तो जमाने से वहां रहते हैं और भी हमारे बहुत से पहाड़ से आने वाले भाइयों को यह खयाल भी नहीं था कि उस बेनाप लैंड से लीसा भी प्राप्त हो सकेगा। जब इस ओर मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हां, ऐसा हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं ....

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैंने बार-बार पत्र लिखे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—खैर, मुझे तो आप के पत्र नहीं मिले। मैं जब दौरे से लौटा तो मैंने प्रतिनिधियों को बुला कर बताया। पहले तो मेरी जानकारी थी नहीं, घूमने गया तभी हुई। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज यह कह देना कि पिछड़े हुए क्षेत्र की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। वास्तविकता से परे है।

किसी साथी ने कहा कि हैंडलूम के उद्योग के बढ़ाने के लिये यह नहीं कर रहे हैं कि जो फैक्टरीज बहुत से कपड़े तैयार करती हैं उनके किसी भाग के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाय कि वह कपड़ा न तैयार करें। माननीय सदस्य शायद यह नहीं जानते हैं कि यह नियंत्रण क्या हमारे हाथ में है। वह तो केन्द्रीय सरकार के हाथ में है तो उसकी नीति की तहत में फैक्टरियों को काम करना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया कि अमुक वस्तु मिल न तैयार करें और आज उसके करने की आवश्यकता भी नहीं है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनसे पता चलता है कि हैंडलूम से १० करोड़ ५९ लाख गज कपड़ा १९६०–६१ में तैयार हुआ जब कि ६ करोड़ ९६ लाख गज १९५९–६० में तैयार हुआ था। यह आंकड़े क्या सिद्ध करते हैं? उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ इशारा नहीं करते हैं?

कितने व्यक्ति इन छोटे उद्योग-धंधों की वजह से रोजगार पाते जा रहे हैं और किस प्रकार उत्तरोत्तर बेरोजगारी को दूर करने में जो सहायक हो रहे हैं इसके आंकड़े भी मैं प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। मेरे पास स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के सिलसिले में ये फिगर्स हैं कि सन् १९५८ में ७१ यूनिट्स थे जिनमें ३७ हजार १९० आदमी काम करते थे और प्रोडक्शन हुआ ३० करोड़ ३२ लाख का। सन् १९५९ में १ हजार ५२३ यूनिट्स थ जिनमें ४१ हजार ७२५ आदमी थे और

प्रोडक्शन था ३२ करोड़ २६ लाख का। सन् १९६० में १ हजार ७१४ यूनिट्स थे जिनमें ५० हजार ६७१ आदमी थे और प्रोडेक्शन था ३९ करोड़ १६ लाख का। तो फिर यह कहना सही नहीं है कि छोटे- उद्योग-धंधों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है।

केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करीब २०० करोड़ रुपया इन छोटे उद्योग-धंधों के लिये रखा था और तृतीय योजना में २५० करोड़ रखा है। हमें उसमें से १६ करोड़ ३७ लाख या ७३ लाख मिला है। यह उससे ड्योढ़ा या दुगना है जो कि दूसरी योजना में मिला था। शायद तब साढ़े १० करोड़ मिला था यद्यपि हम उसे पूरा व्यय नहीं कर पाये. . . . .

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—९ करोड़ खर्च हुआ था।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उसमें जो डेढ़ करोड़ के करीब कम व्यय हुआ उसका कारण यह रहा कि कुछ फारेन एक्सचेन्ज नहीं मिले, कुछ ट्रेंड परसोनेल नहीं मिले, कुछ तेजी के साथ काम नहीं कर पाये। हो सकता है कहीं भूलें हुई हों, कहीं कमजोरी भी रही हो। लेकिन इसके बावजूद भी घरेलू उद्योग-धंधे और छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के सिलसिले में विकास का कार्य तेजी के साथ बढ़ रहा है और इस प्रदेश की सरकार भी अनुभव करती है कि बड़े बड़े उद्योग-धंधे तो बहुत मात्रा में इस प्रदेश में नहीं लग सकते हैं क्योंकि उतने बड़े मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं हैं जैसे बिहार और मध्य प्रदेश के पास हैं। फिर भी हम इस प्रयास में हैं कि इन छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को बड़े बड़े उद्योग-धंधों के द्वारा विकसित करें।

जो अलमूनियम फैक्टरी हमारे प्रदेश में लग रही है वह २० हजार टन की लग रही है। जो लोग फैक्टरी लगा रहे हैं वह चाहते हैं कि ५० हजार टन की लग जाय। हम भी चाहते हैं। अगर ५० हजार टन की लग गई तो सारे देश की आवश्यकता को पूरा करेगी और बहुत से छोटे उद्योग-धंधों के चलाने में भी मदद मिलेगी। अगर ५० हजार टन की लग गई तो ५० हजार किलोवाट जो हमने उन्हें बिजली दी है, जिसकी बहुत चर्चा हुई है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। हम कह रहे हैं किअपनी बिजली लगाओ और हमारी बिजली वापस करो। अगर केन्द्रीय सरकार इस बात को स्वीकार कर लेगी तो जितनी बिजली हमने उन्हें दी है और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बिजली की चर्चा समय समय पर बहुत हुई है लेकिन अलमूनियम फैक्टरी लगाने के लिये हमने अपने प्रदेश में जो बिजली दी है वह अन्य प्रदेशों में जहां अलमूनियम फैक्टरी लगाने के लिये बिजली दी गई है उनके रेट्स से ज्यादा है लेकिन चूंकि उसका सम्बन्ध बिड़ला जी से है और बिड़ला जी चूंकि पूंजीपति हैं और हमने चूंकि बिड़ला जी को रोजगार लगाने के लिये प्रबन्ध कर दिया इसलिये इस सरकार ने बड़ा भारी पाप किया और यह पूंजीपतियों की समर्थक है।

इसके अलावा, माननीय सदस्यों को अब तक तीन चार उद्योगों के सिलसिले में जानकारी हुई है। ऐक्टी-बायोटिक फैक्टरी ऋषिकेश में, फर्टिलाइजर फैक्टरी गोरखपुर, एलेक्ट्रिकल फैक्टरी हरिद्वार और रुड़की के बीच में लगाने के ऊपर जांच हो रही है और हमें उम्मीद है कि वह फैक्टरियां यहां लगेंगी। इनके अलावा हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की तहत में चूर्क सीमेंट फैक्टरी में एक नयी योजना बना रहे हैं। वहां पर हम ह्वाइट सीमेंट बनाने जा रहे हैं, एल्यूमिना बनाने जा रहे हैं। तो उस दिशा में चलने की चेष्टा कर रहे हैं जिस पर चल कर अपने प्रदेश की उन्नति करने का हम मार्ग खोज सकें।

आज से ४, ५ वर्ष पहले हमने प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया था। हमने उनको धन ५ परसेंट पर दे दिया और इसलिये दे दिया कि वे उद्योग धंधे हमारे प्रदेश में लगावें। जो प्राइवेट सेक्टर हमारे प्रदेश के बीच में आना नहीं चाहते थे उन को हमने दावत दी क्योंकि हमने देखा कि अन्य प्रदेश प्राइवेट सेक्टर द्वारा उद्योग धंधों को खोल कर उन्नति करते जा रहे हैं तो फिर हम ही क्यों पिछड़े रहें? तो कौन सी समाजवादी नीति है वह क्या हमारे रास्ते में रुकावट डालने वाली है। यदि हम इस बात की चेष्टा करें जो आज अन्य प्रदेशों में हो रहा

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

है और अन्य प्रदेश उनको करके अपने प्रदेश की प्रगति करने की चेष्टा कर रहे हैं तो इसमें क्या अपराध है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद कोई किताब में रखने वाली चीज नहीं है और उसको बिना हमारे बीच में रखे, हमारे देश के अन्दर कोई काम नहीं होने वाला है। उसके लिये हम को तरह तरह की योजनायें बनानी पड़ेंगी, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और इस सिलसिले में मैं बराबर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। जिन देशों में समाजवादी व्यवस्था कायम हुई है वहां तो एक मिनट में हुक्म हुआ और प्लान को कार्यान्वित करने के लिये सारे अधिकारी और सारे जितने काम करने वाले लोग हैं सब जुट जाते हैं, लेकिन यहां तो रोजमर्रा कोई लेबर का ट्रिब्यूनल, कहीं मिलमालिकों के झगड़े, रोज अपने प्रदेश में खड़े किये जाते हैं और उन लोगों की ओर से खड़े किये जाते हैं जो नेता बनते हैं मजदूरों के और उन लोगों की तरफ से खड़े किये जाते हैं जो समाजवाद की व्यवस्था को शीघ्रातिशीघ्र हमारे बीच में लाना चाहते हैं। तो रोज झगड़े ही होते रहें और पैदावार बढ़े नहीं तो लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा होगा, यह मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निरर्थक बहस और निरर्थक आलोचना से क्या लाभ होने वाला है। वैसे हमारे अधिकारियों की कमियां दिखावें, हमारी कमियां दिखावें। हमारे अधिकारी भी कमियों की तरफ ध्यान दिलाते हैं, लेकिन आपका, विरोधी बेंचेज के नेताओं का कर्त्तव्य है कि उन कमियों की ओर सरकार का ध्यान दिलावें और सरकार उन कमियों को दूर करने का प्रयास करे। हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन जब वास्तविकता से परे बात करते हैं, सत्य बात को नहीं रखते हैं तो मैं कहता हूं कि आप परम्परा के विरुद्ध बातें करते हैं।

कई सदस्यों ने हमें कई सुझाव दिये। उनके कुछ सुझावों से तो ऐसा परिचय मिला कि मानों वे ही विशेषज्ञ हों। एक साहब ने सुझाव दिया कि रेहू से ग्लास बनाया जा सकता है। हमने सारे प्रदेश के रेहू का अन्वेषण करा लिया है कहां की रेत कांच बनाने के काम में आ सकती है, उसकी तो हमारे वैज्ञानिकों ने जानकारी प्राप्त कर ली है। प्रत्येक व्यक्ति यदि हर विषय के, हर चीज के सम्बन्ध में अपनी राय दे दे तो वह राय आजकल के युग में क्या मानने योग्य होती है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे राजनारायण जी ने कहा मिर्जापुर में पहले लाल मिट्टी के बर्तन बनते थे, लेकिन वह इस बात को भूल जाते हैं कि लाल मिट्टी के बर्तन अगर बाजार में आ जायें तो आजकल कोई उसकी कीमत देने वाला नहीं है।

आज तो पालिटेक्निक की शिक्षा चल रही है जिसके द्वारा लोगों को दूसरे प्रकार के मिट्टी के बर्तन और दूसरी चीजें बनाने का उद्योग सिखाया जा रहा है और इस प्रकार से वह कार्य पूरा हो रहा है। जिन क्षेत्रों में लोग इन कार्यों में लगे हुये थे उनको उसकी टेक्निक को समझाते हुये उसमें नये तरीके बरत कर, उस रोजगार को बढ़ाने की चेष्टा हमारी हो रही है। हमारे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रोडक्शन सेन्टर प्रदेश में काफी मात्रा में चल रहे हैं जिनपर पर कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ९ करोड़ रुपया व्यय होने वाला है। विभिन्न संस्थायें इस प्रकार की चल रही हैं जिनमें प्रशिक्षण का कार्य हो रहा है वह इसलिये कि हमारे प्रदेश में इन्जीनियर पैदा हों, ओवरसियर पैदा हों, मैकेनिकल इन्जीनियर और इलैक्ट्रिकल इंजीनियर पैदा हों, और लोगों को विभिन्न विषयों की जानकारी पैदा हो।

कहीं पर लेदर इंस्टीट्यूट बना हुआ है तो कहीं पर पाटरी की संस्था है और इस तरह से प्रदेश में ओवरसियर बनाने का काम चल रहा है और इसी तरह से दूसरे कार्यों का संचालन किया जा रहा है। गोरखपुर, झांसी, बरेली, मिर्जापुर, फैजाबाद, मुरादाबाद इत्यादि में ५ और संस्थायें बनने वाली हैं ताकि अधिक संख्या में लोग प्राविधिक शिक्षाओं के द्वारा उद्योग धन्धों की तरफ अपना ध्यान खींच सकें। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि लेबर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, उसके लिये आपने कहा कि सरकार उसका खात्मा करने जा रही है, लेकिन मेरे पास आंकड़े हैं जिनके द्वारा मैं आपको बता देना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—(मुख्य मन्त्री से) आप कितना समय और लेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि आप मुझे ५-१० मिनट और दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अभी तो आप और कुछ कहेंगे।

श्री अध्यक्ष—मैंने १५ मिनट का समय और बढ़ा दिया है, आप अपनी बात समाप्त कर लें।

श्री गौरीशंकर राय—और कुछ तो कहिये, खाली इंडस्ट्री की ही बात आप कर रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—क्या कहूं, क्या आपकी समालोचना करूं और करूं तो शायद वह सही परम्परा न होगी। थोड़ी देर के बाद इस विषय पर बहस होने वाली है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि शुगर की अपने प्रदेश में ६९ यूनिट्स हैं जोकि प्रदेश में काम करती हैं और ३४ लाख टन गन्ना पिछले साल पेरा गया और ३६ लाख टन गन्ना इस साल पेरेंगे तो यह कहना कि सरकार की नीति उद्योगों को कम करने की है, यह सही बात नहीं है। जो कन्ट्रोल किया जाता है वह किसानों के फायदे के लिये किया जाता है जैसे कि माननीय विष्ट जी कन्ट्रोल के खिलाफ हैं उनका खयाल है कि कन्ट्रोल रोजगार बढ़ाने में रुकावट डालता है तो यह उनका भ्रम है। हम कन्ट्रोल का निर्धारण करते हैं इसलिये कि गन्ने की जो मिनिमम कीमत है वह कीमत उनको दिलाई जाय और इसलिये कन्ट्रोल लगाने की चेष्टा की जाती है कि किसानों की जो हालत है उसमें किसी तरह से कोई फर्क न आने पाये। किसान के फायदे के लिये ही यह चीज है। जैसे पहले नार्थ में जो चीनी है मानो उस पर कन्ट्रोल है कि साढ़े १३ लाख टन चीनी तैयार होगी और यदि उसमें से कन्ट्रोल को हटा लें तो क्या होगा, पहले तो दक्षिण में काफी मात्रा में चीनी भेजी जाती थी, लेकिन उसके पास ही में चीनी तैयार होने लगी है, वह भी चीनी तैयार करने लगे, तो अगर चीनी यहां पर फालतू होने लगी और वह जब बाजार में जायेगी तो चीनी के दाम घट जायेंगे। और जब चीनी के दाम आज घट जायेंगे तो करीब १३ गन्ना जो पेरने को बचा हुआ है तो फैक्टरियां क्या इस बचे हुये गन्ने को पेरेंगी ? तो क्या यह बुद्धिमत्ता की बात होगी कि हम इससे कंट्रोल को हटा लें और किसान को कंट्रोल लगा कर जो गन्ने की मुनासिब कीमत दिला रहे हैं वह उसे न दिलायें ? मैं समझता हूं कि जो इस तरह की घोषणा करवाना चाहते हैं और नियंत्रण के विरुद्ध बातें करते हैं वे कितनी मात्रा में किसानों का फायदा करवाना चाहते हैं ? किसानों का फायदा तभी हो सकता है जब आज इस नियंत्रण के युग में हम इस तरह से कार्य करें कि किसान की पैदावार भी बढ़ती चले और पैदावार बढ़ते बढ़ते कोई ऐसी चीज किसान के द्वारा न हो जाय जिससे किसान को स्वतः नुकसान उठाना पड़े।

आज मैं यह कहना चाहता हूं और बराबर इस सदन के बाहर मैंने निवेदन किया है कि आज यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। दक्खिन में काफी फैक्टरियों लग गयी हैं। दुर्भाग्य से केन्द्रीय सरकार ने इस बात का खयाल नहीं रखा कि नार्थ में यह इंडस्ट्री काफी मात्रा में लगी हुई हैं और दक्खिन में बहुत ज्यादा शुगर की फैक्टरियों को लगाने की इजाजत न दी जाय। लेकिन जैसे प्रान्तीयता के विचार आज देश में फैल रहे हैं कदाचित केन्द्रीय सरकार उनका शिकार बन गई और उसी का परिणाम है कि दक्खिन में भी उउने काफी मात्रा में फैक्टरीज खोलने के लिये लाइसेन्स दे दिये हैं। तो केन्द्रीय सरकार की मदद से ही हम उत्तर भारत के इस उद्योग धन्धे को बचा सकते हैं और क्या बचाने का हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं ? रोजमर्रा सम्मेलन, खतो-किताबत और नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन कर रहे हैं कि यह जो साढ़े १३ लाख टन चीनी गोदामों में पड़ी हुई हैं उसे निकाला नहीं गया तो गन्ने की कीमत फैक्टरियां कहां से देंगी, मजदूरों को वेतन कहां से देंगी ? पैसा जो कमाया है वह भी तो रोजगार में लगा हुआ है। तो क्या यह दूरदर्शिता है कि कोई ऐसी नीति हम अपनायें जिससे किसान और मजदूर दोनों का नुकसान

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हो जाय ? तो आज एक संतुलित ढंग से केन्द्रीय सरकार द्वारा हम इस विषय के संबंध में विचार करा रहे हैं और केन्द्रीय सरकार इस बात का प्रबन्ध कर रही है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया से बातचीत करके जो मिल मालिकों को ७५ फीसदी का मार्जिन मिलता है वह ८५ फीसदी तक करवा दिया जाय। यह भी केन्द्रीय सरकार का सुझाव है कि किसानों को अगर फैक्टरियां गन्ने की कीमत नहीं दे पा रहीं हैं तो उन्हें एक नियंत्रित मात्रा में शक्कर दे दी जाय और शक्कर ले लें और जो मजदूर काम करते हैं उन्हें भी वेजेज के बदले में शक्कर दे दी जाय और इस तरह से जो क्राइसिस हमें दिखाई पड़ रहा है उससे हम किसी तरह से निकलें।

आज केन्द्रीय सरकार का यह भी विचार है कि जो शक्कर बाहर भेजी जाय उसमें जितना घाटा इन मिलों ने बर्दाश्त किया है, अब जितना घाटा और बाहर भेजने में उठाना पड़े उस घाटे को केन्द्रीय सरकार अपने किसी कोष से या एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर करे ताकि शक्कर बाहर के देशों में भेजी जा सके। क्योंकि जो शक्कर बाहर हम भेजना चाहते हैं तो उसमें यह दिक्कत आती है कि विदेशों में शक्कर सस्ती बनती है और हमारी कीमती शक्कर होती है, अधिक खर्चा उस पर आता है बनाने में। तो केन्द्रीय सरकार को, मजदूर को, मिल मालिकों को तथा किसान को, सब को मिलकर कार्य करना पड़ेगा और एक इस तरह से काम करना पड़ेगा जिससे कि हम इस क्राइसिस से निकल सकें। लेकिन अगर दिखावे से हमने काम किया तो जो हम करना चाहते है उसे करने में हम असमर्थ रहेंगे। किसान का जो हक है, जो उसकी मेहनत है उसका फल उसको मिलना चाहिये और यह सरकार और केन्द्रीय सरकार उसे उसका फल अधिक मात्रा में देना चाहती है।

आज लोग यह सवाल उठाते हैं कि मजदूर की तनख्वाह बढ़ जानी चाहिये। यद्यपि वेज बोर्ड ने जहां यह बात तय कर दी है कि तनख्वाह बढ़े वहां यह भी तय किया है कि कीमत भी बढ़े। केन्द्रीय सरकार कीमत नहीं बढ़ा रही है तो फिर इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना है। यह चिल्लाते रहें, हम तो मजदूर के तरफदार हैं तो ये जो लाखों किसान हैं, जिन्होंने गन्ना पैदा किया है, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहेगा और जो मजदूर हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान रहेगा। मैं यह नहीं कहता कि मजदूरों के हितों की ओर यह सरकार ध्यान नहीं देती, लेकिन एक संतुलित ढंग से इस प्रश्न का निर्णय हमें करना होगा और अगर हम अलाहिदा अलाहिदा नीति बरतते गये तो हम उस कार्य को नहीं कर सकेंगे और न उस दिशा में चल सकेंगे जिधर प्रत्येक सदस्य चलना चाहता है। इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन है कि जहां तक चीनी का प्रश्न है इसे गंभीरता से समझने की चेष्टा करें और मैं माननीय गेंदासिंह जी को दावत देता हूं कि वह सारी परिस्थिति का अध्ययन करके हमारे सामने सुझाव रखें कि इस प्रकार से हम इस क्राइसिस से निकलने का प्रयास करें।

उन्होंने हमारी कोआपरेटिव फैक्टरीज और हमारे अधिकारियों की भी शिकायत की कि दो-दो, तीन-तीन हजार रुपये महीने के अधिकारी रहते हैं। मैं उनको कोआपरेटिव फैक्टरी का जनरल मैनेजर बनाने के लिये तैयार हूं और यह उनको दावत है कि वे किसी कोआपरेटिव फैक्टरी के जनरल मैनेजर बन जायं और बचत करके दिखा दें और किसान को फायदा करके दिखा दें और मजदूरों को भी पैसा अदा कर दें मैं सहर्ष उसे स्वीकार करूंगा और सरकारी अधिकारियों से कहूंगा कि वे हट जांय और माननीय गेंदासिंह जी उसे चलायें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिन्हें इस प्रकार का अनुभव है उनका कर्त्तव्य है कि वे सहायता करें न कि राजनारायण जी की तरह से वक्त बेवक्त हमेशा सदन के समक्ष उल्टी सीधी बातें कह दें। तो इससे काम बनने वाला नहीं है और न मैं उनकी बातों को मानने वाला हूं चाहे वे मुझे धमकी दें, चाहे अपने साथियों से धमकी दिलायें। उन धमकियों से न मैं डरने वाला हूं और न यह सरकार डरने वाली है। आज तो सब के सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। आज मैं बैठा हूं, कल को गेंदासिंहजी बैठेंगे, त्रिलोकीसिंहजी बैठेंगे और मुमकिन है कि कभी कोई जमाना आये कि राजनारायण जी भी बैठें, हालांकि अभी तो मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं। तो ऐसी विचारधारा को यहां न

रखिये कि जब मुझे उधर बैठने का मौका मिले और मैं आपको आपकी बातों की याद दिलाऊं तो आपको जवाब न दे मिले।

यद्यपि बहुत से प्रश्न आप लोगों ने उठाये, उन सब का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग धन्धों के विषय में यद्यपि हमारे बीच में कमजोरियां और खामियां रहीं हैं फिर भी उनसे निकल कर हम आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। रोजमर्रा अधिकारियों को कोसने से कोई काम चलता नहीं। हमें उन अधिकारियों से काम लेना है। पब्लिक सर्विस कमीशन और न जाने कितने प्रकार से छांट कर उनकी नियुक्ति होती है और हैं ये आपके लड़के, भतीजे, कोई ताऊ कोई चाचा। तो ऐसा करिये कि वे गलत काम न करें और आपको आलोचना करने का अवसर न आये।

इन चन्द शब्दों के साथ जो अनुदान हमारे उपमंत्रीजी ने पेश किया है, मैं चाहता हूं कि यह सदन उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष—मैं कटौती का प्रस्ताव पहले ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८–औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है विभागीय नीति तथा योजनाएं जनहित में नहीं हैं यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति बिन्दुओं का उल्लेख करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ७,१४,३९,४०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—उद्योग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। छोटे उद्योगों की उपेक्षा व रुचिवर्ग करने में ढील।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—उद्योग के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ६,७०,४३,२०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चीनी मिलों के मालिकों द्वारा गन्ने की कीमत का भुगतान न करने आदि के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तगत चर्चा (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष—अब चीनी के दाम के संबंध में जो इंडियन शुगर मिल एसोसियेशन ने गन्ने के दामों तथा अन्य बकायों के भुगतान में असमर्थ होने की सूचना दी है, उस संबंध में चर्चा होगी। कल माननीय मदन पांडेय जी अपना भाषण करीब करीब समाप्त कर चुके थे, मैं उनको ५ मिनट का समय देता हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने उनके कल के भाषण को सुना भी नहीं होगा, इसलिये वह संक्षेप में अपना वक्तव्य दे दें।

---

†१५ अप्रैल, १९६१ की कार्यवाही से।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में इस केस को बताने का प्रयास करूंगा। यदि इसमें एक आध मिनट ज्यादा लग जाय तो क्षमा कीजिये। ८ अप्रैल को लखनऊ की प्रेस कांफ्रेन्स में इंडियन शुगर मिल एसोशियेशन के चेयरमैन डी० डी० पुरी साहब ने एक वक्तव्य दिया और उसमें न जाने कहां से वे आंकड़े खींचकर लाये और उन्होंने यह बताया कि इस साल हमारे यहां जो चीनी की पैदावार होगी वह करीब ३० लाख टन होगी और हमारा होम कंजम्पशन २० लाख टन होगा। ९,१० लाख टन चीनी अधिक होगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल का कैरी ओवर करीब ५, साढ़े ५ लाख टन है। इस तरह से करीब-करीब १५, साढ़े १५ लाख टन चीनी का स्टाक हो जायगा। इसको संभालने के लिये मिलों के पास शक्ति नहीं है। इसलिये उन्होंने अपने कांस्टीट्युएन्ट्स से नोटिस दिला दिया है कि केन्द्रीय सरकार के बकाये को नहीं देंगे, राज्य सरकार के बकाये को नहीं देंगे और किसानों के दाम नहीं देंगे क्योंकि वह देने में असमर्थ हैं। यह संक्षेप में मिल मालिकों का केस है।

अब मैं जो सरकार का केस है, उसको बताना चाहता हूं। पुरी साहब ने जो वक्तव्य दिया है उसमें कहीं भी केन एकरेज के बढ़ने पर जोर नहीं दिया गया है। मुख्य मंत्री जी ने उसका समर्थन किया है और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ३ लाख एकड़ में गन्ना अधिक बोया गया है, यह भी कहा है और इन फीगर्स को लेकर यह कहना शुरू किया है कि हमारे यहां गन्ने का एकरेज ज्यादा हो गया है। इस प्रकार दबी जबान से और सरकार के बोल्ड ऐक्शन से सरकार और मिल मालिकों ने गन्ना किसानों, चीनी मिल मजदूरों और देश के कंज्यूमरों के सामने एक भयंकर समस्या खड़ी कर दी है। यह केस श्रीमन्, सरकार का है।

अब मैं श्रीमन्, इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने कुछ आंकड़े रखकर इस समस्या के निराकरण का सुझाव पेश करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमारी सरकार ने कहा है कि हमारे यहां गन्ने का एकरेज ज्यादा बढ़ गया है इसलिये गन्ने का प्रोडक्शन और सालों की बनिस्बत ज्यादा हो गया है। मैं इसके संबंध में फिगर्स देना चाहता हूं। आल इंडिया के गन्ना फिगर्स १९५९–६० में ५१,७८,००० एकड़ और १९६०–६१ में ५१,५७,००० एकड़ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक अकेले उत्तर प्रदेश का प्रश्न है तीन लाख एकड़ गन्ना का एकरेज बढ़ गया है। लेकिन जब हिन्दुस्तान का एवरेज निकालते हैं तो गन्ने की तादाद ज्यादा नहीं है और पारसाल के बराबर ही है या हजार दो हजार एकड़ कमी बेशी है। जहां चीनी के अधिक उत्पादन का हौव्वा खड़ा कर दिया गया है, वह इस तरह से गलत सिद्ध होती है। अब रह गया सवाल यह कि जो यह कहा जाता है कि चीनी का उत्पादन हमारे यहां २९ लाख टन होगा या इससे कुछ कम होगा या बेशी होगा और करीब ३० लाख टन होगा। इसके संबंध में बताना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने १९६०–६१ में हमारे यहां का होम कंजम्पशन १५ लाख टन आंका था। यह योजना आयोग द्वारा निश्चित किया गया था और ये १९६०–६१ के फिगर्स हैं। पिछले साल हमारे यहां चीनी की पैदावार २४ लाख २० हजार टन थी। अगर योजना आयोग के आंकड़ों पर जरा भी विश्वास हो, जिनके भरोसे इस सारे देश की नइया चलाई जा रही, हम अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, तो २४ लाख २० हजार टन चीनी, की पैदावार १९५९–६० में होने पर जितनी अगले साल के लिये कैरी ओवर बतायी जा रही है, उससे इतनी अधिक होने की सम्भावना नहीं है। इस साल के ३१ मार्च तक के आंकड़े मैं रखना चाहता हूं। ३१ मार्च तक २० लाख और कुछ हजार टन चीनी बनी है। हरदोई, शाहगंज, मसौदा और भटनी की मिलें बन्द हो चुकी हैं। और सूबों की मुझे सूचना नहीं है। पांच महीने मिलें चलाने के बाद हम केवल २० लाख टन चीनी पैदा कर चुके हैं और चार मिलें बन्द हो चुकी हैं। कुछ मिलें अप्रैल के अन्त में और कुछ मई तक बन्द हो जांयगी। दो महीने बचते हैं। इनमें ६, ७ लाख टन से ज्यादा चीनी बनेगी इसका कोई इमकान नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी के आकड़ों कीजगलरी से कोई नयी चीज पैदा हो जाय तो मैं नहीं कह कहता। इस प्रकार २७ लाख टन चीनी बनेगी। अगर पुरी साहब के कथनानुसार २१ लाख टन कंजम्पशन मान

लिया जाय तो हम लोगों के पास ६ लाख टन चीनी अधिक होगी, इन्टर्नल कंजम्पशन से। पिछले साल का साढ़े ५ लाख का आंकड़ा कैरी ओवर होगा। उसको इनकारपोरेट करने के बाद १०, ११ लाख टन चीनी बचेगी। उसमें अगर ठीक-ठीक हिसाब लगाया जाय और जो यू० पी० का शेयर एक्सपोर्ट में होना चाहिये वह उसको मिल जाय तो ३ लाख से अधिक सरप्लस स्टाक नहीं रह जायगा। हमारे पास साढ़े दस लाख टन चीनी कैरी ओवर रहेगी। उसमें से ६ लाख टन बफर स्टाक तीन महीने के खर्च के लिये होना चाहिये। तीन-चार लाख टन और चीनी बचती है, उसको एक्सपोर्ट करने के लिये मार्केट की कमी नहीं है। अभी पाटिल साहब ने कहा है कि निर्यात के लिये अमेरिका से समझौता हो रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशों की चीनी केवल चार सौ रुपये टन पड़ती है लेकिन हमारे यहां की चीनी ७ सौ रुपये टन पड़ती है। इस फर्क को कैसे मीट किया जाय? मैं इसके बारे में कहूंगा कि सरकार की तरफ से जितनी स्पीच प्लैटफार्म को यहां हुई है उससे ज्यादा पाटिल साहब के सामने होनी चाहिये। बहुत बड़ा भेदभाव उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत के साथ किया जा रहा है। हमारे यहां जो चीनी बनती है उसका दाम वहां जा कर सौ रुपये फी टन ज्यादा पड़ता है, रेलवे फ्रेट वगैरह देने के कारण। चीनी बाजार में उसी दर में बिकती है जिस दाम पर दक्षिण भारत की चीनी बिकती है, यानी सौ रुपय टन दक्षिण की मिलों को ज्यादा मुनाफा होता है।

दूसरे इस साल के जो एक्सपोर्ट फोगर्स हैं मैं केवल मैसूर का जिक्र करना चाहता हूं। मैसूर के कुल उत्पादन का ३० परसेंट एक्सपोर्ट के लिये दिया जा चुका है जब कि हमारे यहां का केवल ७ परसेंट दिया गया है। सारे देश के आउटपुट का एक्सपोर्ट ११ परसेंट बताया गया है। अगर केवल ११ परसेंट दिया जाय तो ५० हजार टन से ज्यादा एक लाख टन चीनी एक्सपोर्ट होनी चाहिये अगर केवल इस रेश्यो को बनाये रखा जाय तो चीनी की अधिकता का हौव्वा दूर हो जायगा, न कोई वेज बोर्ड के फैसलों को रद करने की जरूरत पड़ेगी न किसानों के गन्ने के दाम में रुकावट पड़ेगी और न और किसी चीज में रुकावट पड़ेगी।

*सूचना उप-मन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनके सुनने के बाद कुछ ऐसा वहम होता है कि शायद चीनी की जो यह कहा जाता है कि ज्यादती हो गई है और जो यह बात है कि इनके पास में न गोदाम की स्पेस है और न बैंक क्रेडिट है, यह सब बातें गलत हैं और किसी साजिश के मातहत ये सब बातें हो रही हैं कि जिसमें जो मजदूर है उसको जो नये वेज बोर्ड के हिसाब से मिलने वाला है उसको रोका जाय और अगर हो सके तो कुछ किसान को भी उसका पैसा जो मिलने वाला है उसको रोका जाय, या कम कर दिया जाय। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अगर माननीय सदस्य इसके लिये तैयार हों तो हम दस बीस फैक्टरीज का उनको टूअर करा सकते हैं और दिखल सकते हैं कि वह चलकर के अपनी आंखों से देख लें जो इस वक्त स्टाक की हालत है।

यह आंकड़े जो उन्होंने पेश किये हैं कि अगर यह हो, इस मात्रा में इतनी चीनी एक्सपोर्ट हो तो यह सब हो सकता है, तो वह एक्सपोर्ट करने का जो मामला है वह केन्द्रीय सरकार का है और केन्द्रीय सरकार जो है वह पूरे देश के उत्पादन को देखकर के और पूरी तस्वीर सामने रखकर फैसला करती है और उस फैसले की पाबन्दी हम पर होती है। यह सवाल कि हम लोग कोशिश नहीं करते या हमारी सरकार कोशिश नहीं करती वह तो खुद माननीय सदस्य ने जैसा कल कहा था कि जैसे ही यह नोटिस मिला, यहां के जो मिल मालिक लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे पास अब न तो पैसे हैं, न गोदाम का एकमोडेशन रह गया है, वैसे ही हमारे मुख्य मंत्री जी खुद गये, अधिकारियों को भेजा, गन्ना आयुक्त गये, सेक्रेटरी गये और बराबर बातचीत इस बात की होती रही कि हमारे यहां की चीनी कुछ रिलीज हो, कुछ वहां गोदाम का एकमोडेशन खाली हो और कुछ यह भी शक्ल हो कि जो बैंक हैं उनमें उनकी क्रेडिट लिमिट में भी कुछ इजाफा हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रऊफ जाफरी]

तो यह बात कि इधर की तरफ से सरकार कोशिश नहीं कर रही थी, उन प्रयत्नों को नहीं कर रही थी कि जिनके जरिये से इस वक्त जो समस्या आ गई है उसका हल हो, यह बात सही नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों को यह बात बतला देना चाहता हूं कि इस वक्त जो चीनी का उद्योग है वह एक बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है। यही नहीं, हम लोगों के ऊपर, हमारे प्रदेश के ऊपर तो इसका और भी असर पड़ रहा है क्योंकि और प्रदेशों में तो और बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, और बहुत से उद्योग हैं लेकिन हमारे यहां तो ले देकर के एक यही उद्योग है चीनी मिल का। चूंकि अभी तक खेती के ही ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था और सिंचाई के साधन बढ़े, तथा और चीजें बढ़ीं, उसकी वजह से गन्ने की खेती बढ़ती गई और मिलें जो हैं वह पहले जो थीं वही हैं। इधर केन्द्रीय सरकार ने ज्यादा लाइसेंस नहीं दिया है जिसकी शिकायत माननीय गेंदासिंह जी किया करते हैं और जिसकी शिकायत हमको भी है कि हमें और मिलें खोलने के लिये लाइसेंस नहीं दिया गया, लेकिन उनके सामने और दूसरे कंसिडरेशंस भी होते हैं। वह यह कहते हैं कि गन्ने की मिलें क्यों न ऐसी जगह कायम की जांय कि जहां फी एकड़ ज्यादा पैदावार गन्ने की हो, जहां की आबहवा गन्ने की खेती के लिये मुफीद हो और जहां की मिट्टी में गन्ना अधिक पैदा हो सकता है। गो हम तो खुद कहते हैं कि अगर हमारे किसानों की अच्छी तरह से इमदाद की जाय, उनकी फैसिलिटीज बढ़ाई जांय तो हमारे यहां भी पन्द्रह सौ, सोलह सौ मन गन्ना फी एकड़ पैदा हो सकता है और ऐसा हुआ है।

क्राप कम्प्टिशन में सोलह सौ, सत्रह सौ, साढ़े सत्रह सौ मन तक गन्ना हमारे यहां हुआ है। गोरखपुर में जहां के लिये यह समझा जाता है कि वहां पैदावार ज्यादा नहीं हो सकती है वहां पर १५ सौ से ऊपर, सोलह सौ मन के करीब पैदावार गन्ने की हुई है। लेकिन वह तब हुई जब एक एकड़ पर ५ सौ, ६ सौ, ७ सौ रुपया खर्च किया गया था। लेकिन इतना हमारा किसान नहीं कर सकता। इससे हमारे यहां इतनी पैदावार गन्ने की नहीं होती। तो हम इन बातों को कहते हैं लेकिन इस वक्त जो सवाल पेश है वह तो यह है कि किसी सूरत से यह चीनी जो ज्यादा पैदा हो गई है उसको निकाला जाय।

हमारे इस प्रदेश में इस साल हम उम्मीद करते हैं कि साढ़े तेरह लाख टन चीनी पैदा हो जायगी हमारे प्रदेश में खपत ढ़ाई से लेकर तीन लाख टन चीनी की है। बाकी करीब १० लाख टन चीनी बचती है। हमारे लिये बाजार सिकुड़ गये हैं इस लिये कि दक्षिण में काफी मात्रा में चीनी पैदा होने लगी है। हमारे पास बाजारों में है राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा और बंगाल आदि जिनमें बिहार की चीनी भी जाती है। तो इतनी चीनी की उन जगहों में खपत नहीं हो सकती और प्रोडक्शन ओवर आल ज्यादा हो गया है। सिवाय एक्सपोर्ट के और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके लिये बात चीत हो रही है, केन्द्रीय सरकार भी इस राय की हो गयी है कि वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से जो रेट होगा चीनी का, उसे पूरा करने के लिये एक्साइज ड्यूटी आदि छोड़ कर उसे एक्सपोर्ट किया जायगा। लेकिन इस वक्त यह एक समस्या है। बैंक क्रेडिट के सिलसिले में भी हमने सलाह दी थी कि ७५ परसेंट को बढ़ा कर ८५ परसेंट तक कर दिया जाय। यह ठीक है कि केन्द्रीय सरकार इसके लिये कोई हुकम नहीं जारी कर सकती, लेकिन वह इस तरह की सलाह बैंक्स को दे सकती है कि उनकी लिमिट ७५ के बजाय ८५ कर दी जाय।

यहां भी इस तरह की कुछ बातें हुई हैं। जो चीनी उनको दी जाती थी उसमें से ५० परसेंट उनको फ्री सेल के लिये दी जायगी और उसे यह कर दिया जायगा कि यदि वे सात दिन के अन्दर नहीं उठायेंगे तो उसे भी वही कर दिया जायगा। इस तरह से भी मैं समझता हूं कि हालत में कुछ सुधार होगा। केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन यह बात भी है कि जो मजदूर वहां काम करते हैं वे बजाय रुपये के चीनी ले सकते हैं। यह भी एक खयाल है कि टैम्पोरेरी लाइसेंस दे कर चीनी की बिक्री बढ़ायी जाय। यह सब कोशिशें की जा रही हैं। गेंदासिंह जी ने इस समय आज भी और पहले और भी इस सिलसिले में अपने विचार रखे थे।

इस वक्त उन्हें मालूम होगा कि गुड़ का भाव गिर गया है। भाव गिरना तो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है, लेकिन यह मार्केट मैकेनिज्म की बात है। जैसी गन्ने की उन्हें चिन्ता है वैसी ही हमें भी है। हम तो मिल वालों से कह रहे हैं कि वे मिलें उस समय तक चलाते रहें जबतक कि गन्ना खत्म न हो जाय और मेरा खयाल है कि दस बारह मिलें जून के खात्मे तक चलेंगी और एक दो फैक्टरी जुलाई के कुछ हिस्से तक चलेंगी।

क्रशर के सिलसिले में उन्हें बड़ी शिकायत यह है कि बावजूद उनकी मुखालिफत के हम ने परचेज टैक्स एक्ट पास कर दिया और उसकी वजह से रुकावट पड़ेगी। उस ऐक्ट के एक सेक्शन में यह भी कहा गया है कि अगर कभी गन्ने की पेराई की जरूरत हो और चीनी के उत्पादन के हित में हो तो गन्ना आयुक्त जो है वह उनको प्रोत्साहन देने के लिये खुलवा सकता है, उन पर जो परचेज टैक्स लगाया गया है उसको माफ कर सकता है। इसके अन्दर इसकी गुंजायश है। मैं इसका वायदा तो नहीं करता कि इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन इस तमाम मसले पर ठंडे दिल से और लिबरल तरीके से सरकार विचार करेगी कि किस तरह से इस समस्या को सुलझाया जाय।

मैं माननीय गेंदासिंह और अन्य सदस्यों से यह कहूंगा कि जो इस हमारे सबसे बड़े उद्योग पर यह क्राइसिस आ गया है उसके लिये जो भी सुझाव वे देंगे कि जिससे इसका हल निकल सके, उस पर हम विचार करेंगे और मैं इसके लिये भी तैयार हूं कि जो माननीय सदस्य इससे दिलचस्पी रखते हों उनको इकट्ठा करके हम आपस में बैठकर सलाह करें। हम यह सोच रहे हैं कि किस तरह से इस मसले को हल कर सकते हैं। आखिर, हमारा आपका मकसद एक ही है। जिस तरह से, अध्यक्ष महोदय, उनको शिकायत है उसी तरह से हमको भी शिकायत है कि जब पहले से हमारे यहां इतनी फैक्टरीज थीं तो क्यों दक्षिण में और फैक्टरीज को दिया गया? यह सब बातें ऐसी हैं जो हम सब के सामने हैं। आज महज यह कहने से कि वह खराबी है, यह खराबी है, कोई हल निकलने वाला नहीं है। इसके लिये तो हम और आप सब मिल कर बैठें और ठंडे दिल से विचार करें, तभी कुछ हल निकल सकता है और गन्ना उत्पादकों को भी फायदा हो सकता है। जो सुझाव भी आपकी तरफ से आयेंगे उनका स्वागत किया जायेगा और हम उन पर विचार करने के लिये तैयार हैं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बातें हों जिनको हम इस समय सुन रहे हैं कि आज चीनी का बाहुल्य हो गया है और इस कारण गन्ने के काश्तकारों पर एक मुसीबत आ गयी है। जो शुगर वेज बोर्ड की सिफारिशें थीं, उनको भी मिल मालिक आज लागू करने से इनकार कर रहे हैं। आज वे कर्मचारियों के वेतन न बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, टैक्सों में छूट देने की मांग कर रहे हैं, गन्ने की कीमत घटाने की मांग कर रहे हैं, यह सब इंडियन शुगर मिल एसोशियेशन की तरफ से हो रहा है।

मैं आज आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में चीनी के भाव की ओर ले जाना चाहता हूं। आज माननीय मंत्री जी बाजार में जो चीनी का भाव है उसको जाकर देखें। आज भी खुले बाजार में चीनी १८ आने सेर से कम नहीं बिक रही है। जो भी दुकानें सरकार की तरफ से खोली गयी हैं उनमें तो जरूर कन्ट्रोल रेट से, जो कि १ रुपये कुछ नये पैसे है, बेचते हैं, लेकिन बाजार में आज भी इतनी चीनी का बाहुल्य होते हुये भी बाजार भाव तेज है। आज मेरे यहां एक लड़का चाय लेकर आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम शकर क्या भाव लाते हो? उसने बताया कि यहां बाजार से हम १८ आने सेर लेते हैं। वह चीनी बहुत अच्छी चीनी नहीं थी, अच्छी वाली का भाव शायद सवा रुपया हो।

मैं श्रीमन्, रोजाना कानपुर और हापुड़ में चीनी के भावों को देख लिया करता हूं। हापुड़ और कानपुर में तो प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव दिया जाता है, लेकिन खुर्जा में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

प्रति बोरी के हिसाब से भाव दिया रहता है। वहां पर इंडियन शुगर मिल एसोसियेशन नहीं पहुंच पाया है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है उसको मैं पढ़ता हूं, माननीय रऊफ साहब भी पढ़ने की कृपा करें। वहां पर उसका भाव ११२ या ११० रुपये प्रति बोरा है। बोरे का वजन पौने तीन मन का होता है और इस हिसाब से चीनी ४० रुपये के ऊपर प्रति मन जाकर पड़ती है।

श्रीमन्, आपको मालूम है कि सन् १९५८ में चीनी के भाव पर नियंत्रण किया गया था और उस समय उसका रेट फिक्स किया गया था। थोक का भाव उस समय ३७.८५ रुपये प्रति मन था और उस पर दिल्ली के बाजार में जाकर १२ आने अधिक किराया बढ़ जाता था, कानपुर में वह ८–१० आने बढ़ जाती थी। यह थोक का भाव है।

इस तरह से सारी चीनी पर सरकार ने नियंत्रण कर रखा है और यदि एक पाव चीनी भी कोई मिल से निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता है। जब कभी भी इसकी चर्चा हुई तो यही कहा गया कि इधर-उधर कहीं इन दामों पर बिक जाती होगी, नहीं तो नियंत्रित भाव पर ही बिकती है। तो यह तो सरकार इस सदन में तैयार होकर जवाब दे कि खुले बाजार में उत्तर प्रदेश में चीनी किस भाव में मिलती है। अगर १८ आने से कम हो तो मैं सब छोड़ने को तैयार हूं। बुलन्दशहर और सिहावली, दोनों के नाम से बोरा ११० और १११ रुपये में बिक रहा है। तो यह इनफार्मेशन डिपार्टमेन्ट, खुफिया विभाग, केन डिपार्टमेन्ट यह सारे क सारे डिपार्टमेन्ट क्या कर रहे हैं? जब इंडियन शुगर मिल असोशियेशन इतने बड़े क्राइसिस का प्रश्न सरकार के सामने रखती है तो सरकार क्यों नहीं सोचती?

दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार को अपनी तरफ से इस बात की खबर नहीं थी कि गन्ने की उपज और एकरेज बढ़ा है? क्या रेवेन्यू और गन्ने के डिपार्टमेन्ट को रहे थे जो अप्रैल के महीने में पता चला कि गन्ने की क्या स्थिति है और सारी जून फैक्टरियां चलेंगी? जो फीगर्स उस दिन दिये थे १ अरब, ११ करोड़ मन के, वह किसके दिये हुये थे? उन्होंने आज से एक महीने पहले कहा था कि गन्ना रिजर्व और असाइंड एरिया में १,११ करोड़ मन है। जब पता था कि गन्ना ज्यादा होने से चीनी ज्यादा पैदा होगी तो उसके बाद भी सरकार क्या करती है कि खंडसारी की तरफ गन्ना न जाने पाये। इसलिये प्रदेश में एक विधेयक ले आती है जिससे खंडसारी की यूनिटें अगर बन रहीं हों तो समाप्त हो जायं। क्या यह सही नहीं है कि कोल्हू के फारवर्ड मार्केट कमीशन ने गुड़ के दाम गिराये हैं? वह इसका पता लगावें। सरकार को मालूम था कि पौने तीन लाख कोल्हू चलते हैं, उनको हमने बरबाद किया, खंडसारी के यूनिटों को बरबाद किया और आज किसानों को बरबाद करने के लिये कहती है कि मिल मालिक सहूलियत मांग रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह ऐसा विशस सर्किल है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल है। ५१ लाख एकड़ जमीन में गन्ना बो दिया गया तो बड़ा संकट आ गया।

श्री अध्यक्ष—वह यह कहते हैं कि सब लोग मिल कर इस पर विचार करें, उसको आप ऐक्सेप्ट करते हैं?

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मुझे बिलकुल कबूल है अगर बैठकर बात करना चाहें, लेकिन यह तो सरकार का ही काम है। वह बुलाते हैं तो मैं दौड़ा दौड़ा जाता हूं। मैं उनके चपरासी को भी सलाम करता हूं ताकि गन्ना वाले काश्तकार को कुछ तो राहत हो जाय। रऊफ साहब बुलायें तो सर आंखों पर तैयार हूं।

अन्त में जो दक्षिण भारत की बात करते हैं, मिलों के साथ तो उनका गठबंधन है प्रत्यक्ष भले ही न हो, लेकिन कुछ गठबंधन ऐसे होते हैं जो अन्धेरे में हो जाते हैं। कपड़ा ऐसे कहीं अंधेरे में बंध जाय तो इसी प्रकार इंडियन शुगर मिल असोसियेशन के साथ अंधेरे में सरकार का कपड़ा बंध गया है जिसको वह छुड़ाना नहीं चाहती है। यह सही है कि दक्षिण भारत में फैक्टरियां अधिक हैं और गन्ने की खेती भी अधिक है। वह यह कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की चीनी

खाने के लिये तैयार नहीं है और उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम अपने बाजार में कंट्रोल जरूर रखेंगे, क्योंकि चीनी की कीमत गिर जायगी, इन चीजों को सुनकर हैरत होती है।

अन्त में यह कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि मुझे बहुत काम सुपुर्द हुये हैं, लेकिन मैं एक काम सरकार के सुपुर्द करवाना चाहता हूं, वह यह कि इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के पास जो सेलिंग एजेंसी कमीशन एक रुपये वाला है वह सरकार उनसे समूचा इकट्ठा कर ले। इसमें करीब एक करोड़ रुपया होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरी सलाह के मुताबिक और कुछ दूसरे मित्रों की सलाह के मुताबिक अगर सरकार चले तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में किसी तरह का कोई संकट नहीं आने वाला है। श्रीमन्, अगले तीन महीने जो शर्बत और शादी के हैं उनमें ५ लाख टन की खपत हो सकती है और कोई संकट नहीं आ सकते हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो किसानों और मिल मालिकों का मसला है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसी उद्योग के कारण आज हमारे प्रदेश का आर्थिक ढांचा रुका हुआ है। इसी लिये मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया कि इस मसले पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संबंध में मैं दो एक सुझाव देना चाहता हूं

इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन कहता है कि चीनी का स्टाक बहुत ज्यादा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने भाषण के दौरान में बताया कि ३४ करोड़ मन गन्ना पारसाल हुआ था और इस साल ३८ करोड़ मन गन्ना होने की आशा की जाती है। तो ४ करोड़ मन गन्ना इस साल ज्यादा होगा तो फिर तीन-चार लाख टन चीनी भी ज्यादा होगी। मान्यवर, साढ़े १३ रुपये के हिसाब से केंद्रीय सरकार को सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। तो क्या सम्भव नहीं हो सकता कि १३ रुपये जो टैक्स के रूप में सरकार लेती है वह ४ करोड़ मन गन्ने की जो अधिक चीनी बनने वाली है इस साल उस पर वह टैक्स छोड़ दिया जाय और पारसाल की रेवेन्यू को ही परमानेंट मान लिया जाय। अगर ऐसा हो जाय तो करीब २५ रुपये मन कास्ट प्राइस हो जायगी चीनी की।

दूसरे देशों में जो चीनी भेजने का रेट है वह शायद १५–१६ रुपया मन है तो इस २५ रुपये की कास्ट प्राइस में करीब १० रुपये की प्राइस सपोर्ट दे दी जाय तो आसानी से काफी मात्रा में बाहर चीनी भेजी जा सकती है। कठिनाई यही है कि हमारी चीनी मंहगी पड़ती है जबकि हवाई और जावा की चीनी सस्ती पड़ती है। इस लिये मेरा सुझाव है कि पारसाल का जो प्रोडक्शन है उसी को परमानेंट मान लिया जाय और साढ़े १२ रुपये की टैक्सेज में छूट देकर और १० रुपये की प्राइस सपोर्ट देकर चीनी को बाहर भेजा जाय।

मान्यवर, इस प्रदेश की इकोनामी चीनी पर आधारित है। आज बम्बई के लिये आठ शुगर मिलें स्वीकृत हुई हैं और मद्रास ने कहा है कि वह हमारे यहां की चीनी लेना नहीं चाहते। अब मध्य भारत, बंगाल जैसे कुछ हिस्से बचते हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह संभव नहीं है कि केंद्रीय सरकार सारे प्रदेशों की व्यवस्था को देखकर लाइसेंस दे जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था अस्त, व्यस्त न हो और दूसरे प्रदेशों का नुकसान भी न हो—प्रांतीय सरकार को इसी प्रकार का सुझाव केंद्र को देना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, जो विवाद प्रस्तुत हुआ है वह सरकार की दकियानूसी पालिसी को सिद्ध करता है....

श्री अध्यक्ष—आप पांच मिनट ही लें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जरा हमारे उस वाक्य को पुनः सुन लिया जाय कि दो परस्पर विरोधी बातों का संघर्ष चिकनी-चुपड़ी बातों से और शिष्ट व्यवहार से टाला नहीं जा सकता। हम चाहे कितना ही शिष्ट व्यवहार करें, कितनी ही चिकनी-चुपड़ी बातें करें, लेकिन सरकार जो मिल मालिकों की हित-पोषक है वह हमारी बातों से किसानों की हित-पोषक नहीं बन जायगी।

श्रीमन्, मैं सारे प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों की गन्ने के उत्पादन की स्थिति सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यही प्रश्न सामने है। ज्यादा इतिहास में मत जाइये।

श्री राजनारायण—बिलकुल नहीं। आंध्र में गन्ना जब ५,०७४ हजार टन पैदा हुआ, तो इस प्रदेश में ३७,७८५ हजार टन पैदा हुआ। आसाम में ६६६ हजार टन, बिहार में ४,०९९ हजार टन, बम्बई में ५,९६७ हजार टन, काश्मीर में ९ हजार टन, मध्य प्रदेश में १,२८९ हजार टन, मद्रास में ३,४१० हजार टन, मैसूर में ३,०९४ हजार टन, पंजाब में ५,३८५ हजार टन, राजस्थान में ५,५२७ हजार टन, और उत्तर प्रदेश में ३७,७८५ हजार टन, उड़ीसा में ९,१८१ हजार टन और बंगाल में १,११० हजार टन हुआ। यह उत्पादन है एक साल का। अब जरा खपत को भी देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—दूसरे प्रांतों का टोटल क्या हुआ ?

श्री राजनारायण—कुल ६९,३७४ हजार टन। इसमें केवल उत्तर प्रदेश का ३७,७८५ हजार टन है। यानी आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश है। हमने ये १९५६–५७ के फीगर्स पढ़े हैं। अब सन् १९६० के इंडियन शुगर मिल्स एसोसियेशन के अध्यक्ष के भाषण का भी अध्ययन कर लें। प्रति व्यक्ति चीनी की खपत किलोग्राम में यह है। बम्बई में २२.४, पश्चिमी बंगाल २७.२, पंजाब १९.१, मैसूर ९.१, मध्य प्रदेश ११.९, मद्रास ९.५, उत्तर प्रदेश ६.५, राजस्थान ९.५, आसाम ११.३, बिहार में है ७। हमसे ज्यादा बिहार में खपत है। आंध्र में ४.६ है और उड़ीसा में ३.६ है। कई प्रदेशों में तो हमसे दुगुनी, ढाईगुनी और तीनगुनी तक खपत है। यह स्थिति है। अगर हमारे यहां गन्ने का उत्पादन ज्यादा है तो सरकार ने किस मुंह से, किस अक्ल से खंडसारी पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोल्हू पर टैक्स बढ़ाया है ?

श्रीमन्, इसी सदन में विवाद हुआ कि हमारे मिल वाले हमारा गन्ना न लेकर नेपाल का गन्ना लेते हैं। यह सरकार इसे कबूल कर चुकी है। यह सरकार मिलवालों के हित की पोषक है। किसान की बकाया रकम न मिलना और वेज बोर्ड की रपट लागू न करना, यह राज है क्या ? सन् १९४७–४८ में भी यही कांग्रेस की सरकार थी, २ रुपये मन गन्ने का दाम था और चीनी का था ३३ रुपया मन। १९४८–४९ में गन्ने का दाम १।।।) मन हुआ और चीनी की कीमत हुई ३०।।) मन। जब १ रुपया १० आने मन गन्ने का दाम हुआ तो चीनी की कीमत २८।।) मन हुई, और उसके बाद सन् १९५२ का चुनाव आ गया। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर सरकार की जानकारी उसके विपरीत हो तो बता दें, ३ करोड़ रुपया आम निर्वाचन के लिये मिल मालिकों से सरकार ने चन्दा लिया। फिर चुनाव आ रहा है। वह सन् १९५१–५२ था और अब है १९६०–६१ और १९६२ में चुनाव आ रहा है। अब मिल मालिक सरकार को चलायेंगे और सरकार चलेगी। सरकार उनके हित में कहीं न कहीं जाकर बैठ जायगी। मिल मालिकों ने बहुत ही सुनहरा मौका देखा और उन्होंने समझा कि सरकार को अब चन्दे की जरूरत होगी और हम चन्दा देंगे तो इस चन्दे के एवज में सरकार को दबा कर गन्ना उत्पादकों का गला क्यों न घोंटा जाय। यह षड़यंत्र और राग चल रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी जब से मुख्य मंत्री हुये हैं तब से भविष्य वक्ता भी हो गये हैं। उनकी जगह माननीय त्रिलोकी सिंह बैठ जायं या माननीय गेंदा सिंह जी बैठ जायं तो मैं कोई दोनों में ज्यादा फर्क नहीं समझता। लेकिन राज नारायण की सरकार नहीं बैठेगी, यह

उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। जिसको जनता बैठायेगी वह बैठेगा। श्री चन्द्रभानु गुप्त के बैठाये न तो बैठेंगे और न हटाये हटेंगे। चाहे जनता हमें बैठाये या न बैठाये, यह तो उस परनिर्भर करता है, उसके अन्दर इसकी ताकत है, लेकिन यह मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इस सरकार का दिमाग खराब हो, सरकार पाजी हो तो उसका ठीक करना हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं और ठीक करके रहेंगे। तमाम जिलों में हमने दौरा किया है। इस चीनी के मामले को लेकर मालिकों के ८ अप्रैल वाले बयान को लेकर हर जगह का गन्ना उत्पादक सशंक हो गया है, उत्तेजित हो गया है। वह जानता है और सजग है कि किस प्रकार उसे अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिये। हम जानते हैं कि अधिकारों के लिये किस प्रकार से लड़ा जाता है और माननीय गुप्ता जी के यहां बैठ जाने से हम हरगिज जनता को अधिकारों से वंचित नहीं होने दे सकते।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्ने के सिलसिले में जो यह विवाद चल रहा है, वह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि क्या सरकार कृषकों के अधिकारों की रक्षा कर रही है, उनका गन्ना बिकवाने का प्रयत्न कर रही है या मिल मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा कर रही है और इस बात को देख रही है कि उनके चीनी के दामों में एक पैसे का भी फर्क न आने पाये या किसानों को भी मूल्य मिल जाय ?

माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुये बताया था कि कपड़ा नहीं बिका इसलिये बिजली के दाम नहीं लिये गये, लेकिन कपड़ा तो बिक गया पर बिजली के दाम आज तक नहीं लिये गये। यह सरकार इस प्रकार के कार्य सदा मिल मालिकों के प्रति करती रहती है। मुझे भी कुछ मिल मालिकों और कुछ काश्तकारों से बातें करने का मौका मिला। उन्होंने केवल एक ही दृष्टिकोण नहीं रखा। उन्होंने यह बताया कि हमारे यहां की मिलों की क्षमता भी खराब है। आज दक्षिण की मिलें १ रु० १४ आ० मन का दाम देकर यहां से सस्ती शक्कर बेंचती हैं, लेकिन यहां १ रु० १२ आने मन गन्ने का भाव देकर वहां से तेज शक्कर बेंचती है। काश्तकारों की तो यह बात ठीक हो सकती है कि वे उसके लिये लेबर करते हैं, उसमें अपनी शक्ति लगाते हैं, लेकिन उनको १ रु० १२ आ० ही दिया जाता है, वह आज भी कम है। वार टाइम में किसानों को अपने गन्ने का दाम अधिक मिलता था और उस समय चीनी का मूल्य आज से कम था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि आज गन्ने का दाम कम है और शक्कर महंगी हो गयी है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुझाव दिया कि किसानों को शक्कर बना कर दे दी जाय। अच्छा है। यह भी सरकार के विचाराधीन है, लेकिन मुख्य मंत्री जी यह सुझाव उस समय क्यों नहीं देते जब कि शक्कर महंगी होती है। अगर उस समय भी काश्तकार को यह सुझाव दिया जाय तब तो अच्छा है। मिल मालिक केवल पेरने का पैसा ले लिया करें और रिकवरी के हिसाब से काश्तकारों को शक्कर दे दिया करें। यह सदा के लिये हो जाय तो बहुत अच्छा है। इसमें काश्तकारों को कोई परेशानी न होगी और उसकी माली हालत खराब न होगी।

आज भी दक्षिण भारत की मिलों को देखते हुये यहां की मिलों की सहायता इस मामले में होती है कि यह मिल वाले तमाम डेप्रिशियेशन पर जोर देते रहते हैं और कहते रहते हैं कि साहब हमको कम बचता है। लेकिन उनको अभी पिछले वर्ष कितना लाभ हुआ था। मई का महीना आते ही तत्काल किसानों का दाम कम कर देते हैं और कहते हैं कि साहब रिकवरी की बेसिस पर देंगे। लेकिन सिंचाई का रेट बढ़ाते समय काश्तकारों पर सरकार ने नहीं सोचा कि किसानों का गन्ना सूख भी रहा है। अगर हमारा फी एकड़ में २० मन, २५ मन या ५० मन सूख गया तो उसके टोटल पर हम को कैसे लाभ पहुंचेगा।

हमारी सरकार को मिल मालिकों का इतना खयाल है कि मिलमालिकों को जब जरा सा नुकसान होने लगा तो सरकार कहने लगी कि विरोधी दल भी बैठे और हम भी बैठें लेकिन जब सिंचाई का रेट बढ़ाने की बात थी तब नहीं खयाल किया गया और नहीं कहा गया कि आओ विरोधी दल वाले भी बैठें और हम भी। तो काश्तकारों के हितों का तो इस सरकार को क्या

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

खयाल है यह इसी से साबित होता है। जब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जैसा कहा है वैसा प्राइस फिक्जेशन कर दो तो माननीय चरण सिंह जी कहते हैं कि वह तो नहीं हो सकता। जब मिलमालिकों को फायदा उठाना हो तो यह सरकार फौरन तैयार है। हमें शाप छोड़ दीजिये, देखिये हम अपने गन्ने का दाम मिल मालिक से ढाई रुपये मन कैसे लेते हैं। लेकिन जब सरकार मिल मालिकों की परेशानी देखती है तो परेशान होती है लेकिन जब हम पर परेशानी आती है तो सरकार के पास हमारे लिये कोई सहूलियतें नहीं होती। जब हम कहते हैं कि हम फलां मिल को नहीं सप्लाई करेंगे तो फौरन सरकार बीच में आयेगी। जहां-जहां मिल मालिकों के हित की व्यवस्था हो वहां तो सरकार को बहुत ध्यान रहता है और जहां हम कृषकों के हित की बात आती है वहां हमको क्रश किया जाता है।

एक सदस्य—क्या जवाब देंगे ? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।

*श्री रऊफ जाफरी—श्रीमन्, अभी-अभी एक माननीय सदस्य ने उधर से कहा है कि क्या जवाब देंगे ? तो बात तो वाकई यही है। जो बात यहां हुई और जो सवाल था उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन जो कुछ मेरी समझ में आया उनके मुताल्लिक मैं कह दूंगा।

एक बात तो यह कही गयी कि सरकार कोपता नहीं था, हालांकि उसके पास तमाम साधन मौजूद हैं, कि १११ करोड़ मन गन्ने की पैदावार अधिक है। जी नहीं, सरकार को पहले से पता था और इसी कारण मिलों से यह कह दिया गया था कि तुम अपना काम जल्द शुरू नवम्बर से ही शुरू करो और इसकी कोशिश की गयी और मिलों को जल्दी चालू कराया गया। यही नहीं, सरकार को यह भी मालूम था कि इस १११ करोड़ मन में से कितना ज्यादा से ज्यादा मिलें पेर सकती हैं। यहां पर एकाध दफा कहा भी जा चुका था कि हम उम्मीद करते थे कि ३८ करोड़ मन गन्ना ये मिलें पेर सकती हैं। ३६ करोड़ मन के करीब जब तक हमारे पास यह सुचना आयी थी तब तक पिर चुका था और ३८ करोड़ मन तक पिर जायगा यह हमें पूरी उम्मीद है।

श्री गेंदासिंह—यह ३६ करोड़ मन गन्ना नहीं पेरा जा चुका है।

श्री रऊफ जाफरी—आप ठीक कहते हैं। आई स्टैंड करेक्टेड। ३६ करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा जा चुका है और ३१ करोड़ मन गन्ना पिर चुका है, लेकिन जब तक मिल चलेंगी तब तक हमें उम्मीद है कि ३८ करोड़ मन गन्ना पिर जायगा।

श्री गेंदासिंह—कब तक फैक्टरियां चलेंगी, यह भी ध्यान रखिये।

श्री रऊफ जाफरी—मैंने अर्ज कर दिया था कि १२,१३ फैक्टरियां जून तक चलेंगी और १ या २ फैक्टरियां शायद जुलाई तक भी चलेंगी। कुछ पहले भी बन्द हो जायेंगी। कुछ बन्द भी हो गयी हैं दो-तीन के करीब।

अब यह सवाल रहा कि गन्ने के ऊपर लाइसेंस जो लगा दिया गया और जो रेट हो गया उसकी वजह से इस वक्त रुकावट हुई और गन्ना खड़ा रह गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब गुड़ का भाव महंगा होता है तो गन्ना उधर जाने लगता है और जब गुड़ का भाव सस्ता होता है तो क्रशर वाले भी लेने में उखड़ते हैं और अगर वह ज्यादा क्रश करना शुरू करें तो नतीजा यह होगा कि वहां भी ग्लट हो जायगा। गुड़ और खंडसारी में भी ग्लट हो जायगा तो उसमें भी वही दिक्कत हो जायगी। (लाल बत्ती जलने पर) दो-तीन मिनट और दे दीजिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहा गया कि नैपाल से गन्ना लाया गया। एक मिल में जरूर ऐसा हुआ है। वह २८५ नम्बर का गन्ना था, वह भी हम पिरवा रहे हैं। लेकिन वह कोई आम बात नहीं है, जैसा कि राजनारायण जी ने कह दिया कि नैपाल का गन्ना आ रहा है और यहां का नहीं लिया जा रहा है। बहस यह थी कि चीनी का उत्पादन जो ज्यादा हो गया है उसके सिलसिले में क्या कार्यवाही की जा रही है। तो मैंने बतलाया कि उस सिलसिले में यह कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष—इन लोगों ने सूचना यह दी कि जो बकाया पैसा है किसानों का वह नहीं दिया गया। उसके दिलाने के बारे में सवाल है।

श्री रऊफ जाफरी—उसको दिलाने की बराबर कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। ३६ करोड़ में से ३१ करोड़ के करीब उनको मिल चुका है और अदायगी का परसेंटेज किसी साल से खराब नहीं है, बल्कि अच्छा है। पिछले साल ३४ करोड़ का गन्ना बिका था जिसमें इस वक्त तक ३१ करोड़ के करीब मिल गया था और ३, ३।। करोड़ के करीब बाकी था। अबकी बार ३६ करोड़ में से ५ करोड़ के करीब बाकी है। कोशिश बराबर रहेगी और उनके खिलाफ हर किस्म की कार्यवाही की जायगी। जो बातें उनके यहां से चीनी निकालने के लिये की जारही है वह इसीलिये है कि किसान को भी रुपया मिल जाय और वेज बोर्ड जो कहता है उसका भी कुछ रास्ता निकले।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—चीनी जब ज्यादा है तो १८ आने सेर कैसे बिक रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—हम लोगों ने यह इंतिहाई कोशिश की कि फ्री रिलीज कर दें। लेकिन केन्द्रीय सरकार पूरे हिन्दोस्तान के नक्शे को देखते हुये नहीं मानती है और कहती है कि अगर डिकंट्रोल कर दिया तो बाजार बैठ जायगा। इसलिये वह नहीं कर रहे हैं। हमारी तरफ से कहा गया कि हमारे गोदामों को खाली करने के लिये कुछ किया जाय, लेकिन फूड मिनिस्ट्री ने इस रिकेंमडेशन को नहीं माना। जितने भी एवेन्यूज थे इस किस्म के उनके लिये सरकार ने प्रयत्न किया। मैंने जो दावत दी थी माननीय सदस्यों को वह इसी नीयत से दी थी कि कोई ऐसे सुझाव उनके जहन में हों तो हम फिर उनसे कहने को तैयार हैं।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१७ अप्रैल, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७—८ का उत्तर पीछे पृष्ठ५५५ पर)

तालिका १

जिला पंचायतराज कार्यालय में प्राप्त हुई अपीलों (जिनमें प्रतिवेदन, प्रार्थना-पत्र इत्यादि सम्मिलत हैं) की संख्या।

वर्ष	अपील करने वाले कर्मचारियों का पद नाम	संख्या
१९५८—५९	पंचायत निरीक्षक	०
,,	लिपिक	२
,,	पंचायत मंत्री	७
१९५९—६०	पंचायत निरीक्षक	०
,,	लिपिक	१
,,	पंचायत मंत्री	५

तालिका २

निर्मित अपीलों (जिनमें प्रतिवेदन प्रार्थना-पत्र इत्यादि सम्मिलित हैं) का ब्योरा।

वर्ष	अपील करने वाले कर्मचारी का पद	अपील करने वाले कर्मचारी का नाम	निर्णय करने वाला अधिकारी	निर्णय की तिथि
१९५८—५९	पंचायत निरीक्षक			
	लिपिक	श्री राम शकल चतुर्वेदी	जिला पंचायत अधिकारी	१३—२—१९५९
,,	,,	,, शिव मूर्ति त्रिपाठी	,,	२२—१—१९५९
,,	,,	,, रामशकल चतुर्वेदी	जिलाधीश	८—८—१९५८
,,	,,	,, राम शक्ल चतुवदी	,,	९—५—१९५९
,,	,,	,, शिवमूर्ति त्रिपाठी	,,	३०—५—१९५९
,,	,,	,, राम शक्ल चतुवदी	निदेशक, पंचायत-राज	२१—१—१९५९
	पंचायत मंत्री	,, प्रद्युम्न नाथ शास्त्री	जिला पंचायत-अधिकारी	८५—९—१९५८
,,		राम चन्द्र सिंह	जिलाधीश	१६—६—१९५८
,,	,,	जंग बहादुर सिंह	,,	३—३—१९५९
,,	,,	राम चन्द्र सिंह	निदेशक, पंचायत राज	८—१०—१९५८
,,	,,	छोटे लाल	,,	२४—३—१९६१
,,	,,	बद्री सिंह	,,	२—११—१९५८
,,	,,	रामराज लाल	जिलाधीश	३—३—१९५९
,,	,,	राम हृदय दुबे	जिलाधीश	२३—१२—१९५९
,,	,,	राम चन्द्र सिंह	शासन	२९—३—१९६१

अप्रमाणित प्रकाशन सभा

वर्ष	अपील करने वाले कर्मचारी का पद	अपील करने वाले कर्मचारी का नाम	निर्णय करने वाला अधिकारी	निर्णय की तिथि
१९५९–६०	पंचायत निरीक्षक लिपिक	शिव मूर्ति त्रिपाठी	निदेशक, पंचायत राज	२०–११–१९५९
	पंचायत मंत्री	,, छोटे लाल	जिला पंचायत–अधिकारी	१३–५–१९६०
,,	,,	,, सीता राम पांडेय	,,	२२–१०–१९५९
,,	,,	,, सहदेव सिंह	निदेशक, पंचायत राज	८–३–१९६०
,,	,,	,, रामराज लाल	,,	२–७–१९५९

तालिका ३

निदेशक पंचायतराज के पास प्रेषित अपीलों (जिनमें प्रतिवेदन, प्रार्थना-पत्र इत्यादि सम्मिलित हैं) का ब्योरा।

वर्ष	अपील करने वाले कर्मचारी का पद नाम	अपील करने वाले कर्मचारी का नाम	जिला पंचायत कार्यालय में अपील मिलने की तिथि	जिला पंचायत कार्यालय द्वारा अपील प्रसारित होने की तिथि
१९५८–५९	पंचायत निरीक्षक	..	..	..
,,	लिपिक	श्री राम शक्ल चतुर्वेदी	३०–१०–१९५८	२५–११–१९५८
,,	पंचायत मंत्री	श्री राम चन्द्र सिंह	१६–८–१९५	२३–९–१९५८
,,	,,	श्री छोटेलाल राय	६–९–१९५८	७–१०–१ ६०
,,	,,	श्री बद्री सिंह	१६–८–१९५८	१३–९–१९५८
,,	,,	श्री रामचन्द्र सिंह	जनवरी, १९५९	१६–१–१९५९
१९५९–६०	पंचायत निरीक्षक			
,,	लिपिक	श्री शिव मूर्ति त्रिपाठी	१–७–१९५९	२५–७–१९५९
,,	पंचायत मंत्री	श्री सहदेव सिंह	७–९–१९५९	२२–१०–१९५९
,,	,,	श्री राम राज लाल	९–४–१९५९	१७–६–१९५९

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—६३ एल० ए०—१९६१—८४५।